खण्ड-382, अंक-1
शुक्रवार, 26 आषाढ़, शक संवत् 1909
(17 जुलाई, 1987 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 382 में 2 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1987

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ संख्या
श्री राज्यपाल, मंत्री परिषद् तथा नेता, विरोधी दल उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी के अधिष्ठाता मण्डल	..	क—घ
उपस्थित सदस्य	..	1—3
प्रश्नों के सम्बन्ध में दी गई जानकारी	..	5
प्रश्नोत्तर	..	5—42
माननीय अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के प्रति अविश्वास प्रकट करने हेतु संकल्प के सम्बन्ध में सूचना	..	42—43
दि0 यू0 पी0 स्टेट ब्रासवेयर कारपोरेशन लिमिटेड, मुरादाबाद का 9वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा आर्थिक चिट्ठा वर्ष 1982-83 (सदन के पटल पर रखा गया)	..	43
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (पैंतालिसवां संशोधन) नियमावली, 1987—(सदन के पटल पर रखी गई)	..	43
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (छियालिसवां संशोधन) नियमावली, 1987—(सदन के पटल पर रखी गई)	..	43
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (सैंतालिसवां संशोधन) नियमावली, 1987—(सदन के पटल पर रखी गई)	..	44
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (केन्द्रीय संकाय्य संवर्ग) (पांववां संशोधन) नियमावली, 1987—(सदन के पटल पर रखी गई)	..	44
उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का पंचम् प्रतिवेदन—(प्रस्तुत किया गया)	..	44
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	..	44—45
राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने पर श्री आर0 वेंकटरमण को बधाई..		45
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1987—(पुरःस्थापित)	..	46
कार्य-स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में सूचना	..	46
वित्तीय वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 24-गन्ना विकास विभाग (गन्ना), अनुदान संख्या 25-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) तथा अनुदान संख्या 1-आबकारी विभाग—(स्वीकृत)	..	46—48

विषय	पृष्ठ संख्या
अनुदान संख्या 89-सैनिक कल्याण विभाग, अनुदान संख्या 90-हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (हरिजन कल्याण), अनुदान संख्या 91-हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण) तथा अनुदान संख्या 92-हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)--(स्वीकृत) ..	48—50
अनुदान संख्या 47-पर्वतीय विकास विभाग--(स्वीकृत) ..	50--51
उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1987--(पारित) ..	51--62
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1987--(पारित) ..	63--64
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1987--(पारित) ..	64--65
समय से पूर्व बजट प्रस्तुत होने तथा कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत न कर पाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	66--67
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव--(स्वीकृत) ..	67--68
वित्तीय वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 2-आवास तथा नगर विकास विभाग (आवास) तथा अनुदान संख्या 3-आवास तथा नगर विकास विभाग (नगर विकास)--(स्वीकृत) ..	68--69
अनुदान संख्या 18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)--(स्वीकृत) ..	69
अनुदान संख्या 20-कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)--(स्वीकृत)	70
अनुदान संख्या 21-कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)--(स्वीकृत) ..	70
अनुदान संख्या 23-खेल विभाग--(स्वीकृत) ..	70
अनुदान संख्या 26-गृह विभाग (कारागार)--(स्वीकृत) ..	71
अनुदान संख्या 28-गृह विभाग (राजनैतिक पेन्शन तथा अन्य व्यय)--(स्वीकृत) ..	71
अनुदान संख्या 29-गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)--(स्वीकृत) ..	71--72
अनुदान संख्या 30-गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)--(स्वीकृत) ..	72
अनुदान संख्या 38-नागरिक उड्डयन विभाग--(स्वीकृत) ..	72
अनुदान संख्या 39-नियुक्ति विभाग--(स्वीकृत) ..	72--73
अनुदान संख्या 40-नियोजन विभाग--(स्वीकृत) ..	73
अनुदान संख्या 41-निर्वाचन विभाग--(स्वीकृत) ..	73
अनुदान संख्या 42-न्याय विभाग--(स्वीकृत) ..	73--74

विषय		पृष्ठ संख्या
अनुदान संख्या 44–पर्यटन विभाग––(स्वीकृत)	..	74
अनुदान संख्या 45–प्रशासनिक सुधार विभाग––(स्वीकृत)	..	75
अनुदान संख्या 46–प्राविधिक शिक्षा विभाग––(स्वीकृत)	..	75
अनुदान संख्या 48–मुस्लिम वक्फ विभाग––(स्वीकृत)	..	75––76
अनुदान संख्या 52–राष्ट्रीय एकीकरण विभाग––(स्वीकृत)	..	76
अनुदान संख्या 54–वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)––(स्वीकृत)	..	76
अनुदान संख्या 55–वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेन्शनें)––(स्वीकृत)	..	76––77
अनुदान संख्या 56–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)––(स्वीकृत)	..	77
अनुदान संख्या 57–वित्त विभाग (राज्य लाटरी)––(स्वीकृत)	..	77
अनुदान संख्या 58–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा अल्प बचत आदि)––(स्वीकृत)	..	77––78
अनुदान संख्या 59–वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)––(स्वीकृत)	..	78
अनुदान संख्या 60–विधान परिषद् सचिवालय––(स्वीकृत)	..	78
अनुदान संख्या 61–विधान सभा सचिवालय––(स्वीकृत)	..	79
अनुदान संख्या 62–विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल)––(स्वीकृत)	..	79
अनुदान संख्या 63–विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग––(स्वीकृत)	..	79––80
अनुदान संख्या 64–शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)––(स्वीकृत)	..	80
अनुदान संख्या 65–शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा)––(स्वीकृत)	..	80
अनुदान संख्या 66–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)––स्वीकृत)	..	80––81
अनुदान संख्या 67–शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा)––(स्वीकृत)	..	81
अनुदान संख्या 68–शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद्)––(स्वीकृत)	..	81
सदन में बैठे एक अजनबी व्यक्ति के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	..	81––82
वित्तीय वर्ष 1987–88 के आय–व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 69–श्रम विभाग (श्रम कल्याण)––(स्वीकृत)	..	82
अनुदान संख्या 70–श्रम विभाग (सेवा योजन)––(स्वीकृत)	..	82
अनुदान संख्या 78–संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय),	..	82––83
अनुदान संख्या 79–संस्थागत वित्त विभाग (बिक्री कर)	..	83

विषय		पृष्ठ संख्या
अनुदान संख्या 80- संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) तथा अनुदान संख्या 81-संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)--(स्वीकृत)	..	83--84
अनुदान संख्या 82-सचिवालय प्रशासन विभाग---(स्वीकृत)	..	84
अनुदान संख्या 83-सतर्कता विभाग---(स्वीकृत)	..	84
अनुदान संख्या 85-सांस्कृतिक कार्य विभाग---(स्वीकृत)	..	84--85
अनुदान संख्या 86-सामान्य प्रशासन विभाग---(स्वीकृत)	..	85
अनुदान संख्या 87-सार्वजनिक उद्यम विभाग---(स्वीकृत)	..	85
अनुदान संख्या 88-सूचना विभाग---(स्वीकृत)	..	86
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1987---(पारित)	..	86--97
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1987---(पारित)	..	97--99
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1987---(पारित)	..	100--101
निलम्बित सदस्यों के निलम्बन को तत्कालिक प्रभाव से समाप्त किये जाने का प्रस्ताव	..	101
आज की कार्यसूची की मद संख्या 29 के स्थगन की सूचना	..	102
नियम 51 के अन्तर्गत सूचना	..	102
सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश में छपाई के कागजों की खरीद में घोटाला किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य	..	102
हाथरस-आगरा मार्ग पर परिवहन निगम के दो बसों में हुई दुर्घटना के सम्बन्ध में वक्तव्य	..	102--103
सदन में बैठे अजनबी व्यक्ति को सजा दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव (स्वीकृत)	..	104
मतदी	..	105

राज्यपाल

श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ

मंत्रि–परिषद्

1––श्री वीर बहादुर सिंह––मुख्य मन्त्री एवं मन्त्री सामान्य प्रशासन, प्राविधिक शिक्षा, विज्ञान एवं प्रोद्योग, पर्यावरण एवं परिस्थिति विज्ञान, पर्वतीय विकास, नागरिक उड्डयन, सार्वजनिक निर्माण, वित्त, न्याय, गन्ना विकास, वन, पर्यटन, सांस्कृतिक कार्य, राष्ट्रीय एकीकरण, सूचना, पूर्त धर्मस्व, सिंचाई, खाद्य तथा रसद, आबकारी एवं मद्य निषेध, उद्योग, पशुधन, जेल एवं राजनैतिक पेंशन, नियोजन ।

2––श्री बल्देव सिंह आर्य––राजस्व मन्त्री, राजस्व, अभाव तथा सहायता एवं पुनर्वास ।

3––श्री लोकपति त्रिपाठी––जन–स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मन्त्री ।

4––श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी––हरिजन कल्याण, समाज कल्याण एवं सैनिक कल्याण मन्त्री ।

5––डाक्टर संजय सिंह––परिवहन मन्त्री ।

6––चौधरी नरेन्द्र सिंह––कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान, उद्यान एवं फल उपयोग।

7––श्री श्याम सूरत उपाध्याय––ग्राम विकास, पंचायती राज, क्षेत्रीय विकास, लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मन्त्री ।

8––श्री अरुण कुमार सिंह (सदस्य, विधान परिषद्)––सहकारिता मन्त्री ।

9––श्री सुनील शास्त्री––ऊर्जा मन्त्री ।

10––श्री सिब्ते रजी (सदस्य, विधान परिषद्)––शिक्षा, मुस्लिम वक्फ मन्त्री ।

11––श्री गोपीनाथ दीक्षित––गृह मन्त्री ।

12––श्री अम्मार रिजवी (सदस्य, विधान परिषद्)––संसदीय कार्य मन्त्री ।

13––श्री सईदुल हसन––श्रम, सेवायोजन मन्त्री ।

राज्य मन्त्री

1––श्री हुकुम सिंह––संसदीय कार्य, खाद्य एवं रसद तथा पशुधन मन्त्री ।

2––श्री जफर अली नकवी––वन मन्त्री ।

3––श्रीमती पद्मा सेठ––नगर विकास, जल सम्पूर्ति एवं नगर भूमि तथा आवास मन्त्री ।

4––श्री शिव बालक पासी––कृषि मन्त्री ।

5––श्री ओम प्रकाश रिछारिया––वित्त तथा नियोजन मन्त्री ।

6––श्री गौरी शंकर––राजस्व मन्त्री ।

7––श्री मानपाल सिंह एडवोकेट––खाद्य तथा रसद मन्त्री ।

8—श्री प्रमोद कुमार—ऊर्जा एवं पर्यटन मन्त्री ।

9—श्री भोला शंकर मौर्य—सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण मन्त्री ।

10—श्री निसार अहमद अंसारी (सदस्य, विधान परिषद्)—लघु उद्योग एवं हथकरघा मन्त्री ।

11—श्री राम औतार दीक्षित—पर्वतीय विकास मन्त्री ।

12—श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—गृह, न्याय एवं जेल मन्त्री ।

13—श्री चेतराम गंगवार—प्राविधिक शिक्षा, बीस सूत्री कार्यक्रम एवं ग्राम्य विकास मन्त्री ।

14—श्री राम नरेश शुक्ल—सामान्य प्रशासन, होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा तथा राजनैतिक पेंशन मन्त्री ।

15—श्री सीताराम निषाद—मत्स्य, सार्वजनिक निर्माण मन्त्री ।

16—कुमारी सरस्वती अग्रमाल (सदस्य, विधान परिषद्)—श्रम मन्त्री ।

17—श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—शिक्षा मन्त्री ।

18—श्री प्रवीण कुमार शर्मा—उच्च शिक्षा मन्त्री ।

19—श्री सुरेन्द्र सिंह—सहकारिता मन्त्री ।

20—श्रीमती बीपा (सदस्य, विधान परिषद्)—पर्यावरण एवं परिस्थिति विज्ञान, विज्ञान एवं प्रोद्योग, सांस्कृतिक कार्य तथा सूचना मन्त्री ।

21—श्री राम नाथ मुन्शी—आबकारी तथा गन्ना विकास मन्त्री ।

उप मन्त्री

श्रीमती प्रेमीला बच्चार मेहरा—पर्यटन मन्त्री ।

नेता, विरोधी दल

श्री सत्यपाल सिंह ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री नियाज हसन

उपाध्यक्ष

श्री त्रिलोक चन्द्र

सचिव

श्री भाल चन्द्र शुक्ल

विधान सभा

अधिष्ठाता मण्डल

1—श्रीमती कमला साहनी (बस्ती) ।

2—डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल (आगरा) ।

3—श्री खान गुफरान जाहिदी (फतेहपुर) ।

4—श्री जयदीप सिंह बरार (बरेली) ।

5—श्री भगवती सिंह विशारद (उन्नाव) ।

6—श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी (उन्नाव) ।

7—श्री बेनी प्रसाद वर्मा (बाराबंकी) ।

8—कुंवर रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद) ।

9—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (सीतापुर) ।

10—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल (गढ़वाल) ।

हिन्दी भवन

9127

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 17 जुलाई, 1987

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :

अकबर हुसैन बाबर, श्री (फैजाबाद)
अकबर अहमद डम्पी, श्री (नैनीताल)
अचल सिंह, श्री (फतेहपुर)
अच्युतानन्द तिवारी, डा० (गोरखपुर)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अतर सिंह यादव, श्री (एटा)
अनुग्रह नारायण सिंह, श्री (इलाहाबाद)
अब्बुल वहीद कुरैशी, श्री (मेरठ)
अमिताभ अनिल दुबे, श्री (गाजीपुर)
अमीर आलम खां, श्री (मुजफ्फरनगर)
अरविन्द तिवारी, श्री (जालौन)
अर्जुन सिंह यादव, श्री (जौनपुर)
अवधेश प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
अवनीश कुमार सिंह, श्री (बदायूं)
अशोक बाजपेयी, श्री (हरदोई)
औसान सिंह, श्री (इटावा)
कालका सिंह, श्री (गाजियाबाद)
कमल किशन पाण्डेय, श्री (पिथौरागढ़)
कमलेश कुमार पाठक, श्री (इटावा)
कल्याण सिंह, श्री (अलीगढ़)
काजी मोहिउद्दीन, श्री (सहारनपुर)
कामेश्वर उपाध्याय, श्री (देवरिया)
काशी सिंह ऐरी, श्री (पिथौरागढ़)
किरन पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशन लाल, श्री (पीलीभीत)
किशन लाल बिलेर, श्री (अलीगढ़)
कुशल पाल सिंह, श्री (मथुरा)
कौशिक रमाशंकर, श्री (मुरादाबाद)
गया प्रसाद वर्मा, श्री (इटावा)
गोपाल दास यादव, श्री (इलाहाबाद)
गोपीनाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गौरी शंकर भइया, श्री (बलिया)
चन्द्र भान मौर्य, श्री (आगरा)
चन्द्र सेन, श्री (जौनपुर)
जगमोहन सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जगबीर सिंह, श्री (अलीगढ़)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जफर अली नकवी, श्री (लखनऊ)
जमुना प्रसाद बोस, श्री (बांदा)
जयदीप सिंह बरार, श्री (बरेली)
जवाहर सिंह यादव, श्री (इलाहाबाद)
जागन सिंह, श्री (रामपुर)
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री (कानपुर)
दिनेश जौहरी, डा० (बरेली)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीप चन्द्र सोनकर, श्री (जौनपुर)
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री (आजमगढ़)
दूधनाथ, श्री (जौनपुर)
देव कुमार यादव, श्री (बांदा)
देवता दीन, श्री (बहराइच)
धनराज यादव, श्री (बस्ती)
नंगा राम, श्री (खीरी)
नरेन्द्र देव, श्री (मिर्जापुर)
नरेन्द्र सिंह, कुंवर (सहारनपुर)
नरेश पाल सिंह यादव, श्री (बदायूं)
निहाला सिंह, श्री (वाराणसी)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
पारसनाथ यादव, श्री (जौनपुर)
प्रदीप माथुर, श्री (मथुरा)
प्रभु दयाल, प्रधान (मेरठ)
फसीउर्रहमान, श्री उर्फ मुन्नन खां (गोंडा)
फागू चौहान, श्री (आजमगढ़)
बंगाली सिंह, डा० (अलीगढ़)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बलबीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
बलराम यादव, श्री (आजमगढ़)
बाबूराम श्री यादव, (मैनपुरी)

बाबू सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
बालेश्वर, श्री (देवरिया)
बुनियाद हुसैन अन्सारी, श्री (सीतापुर)
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री (बाराबंकी)
ब्रजेन्द्र पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री (फर्रुखाबाद)
भगवान दीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भगौती सिंह, श्री (लखनऊ)
भीखा राम, श्री (आजमगढ़)
भोपाल सिंह, श्री (मेरठ)
भोला सिंह, श्री (इलाहाबाद)
मंगल देव, श्री (गोण्डा)
मनोहर लाल, श्री (उन्नाव)
मयंकर सिंह, श्री (बहराइच)
मरगूब अहमद खां, श्री (बाराबंकी)
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
महाराज सिंह, चौधरी (इटावा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महेन्द्र भाटी, श्री (गाजियाबाद)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मानवेन्द्र सिंह, कुंवर (झांसी)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुलायम सिंह यादव, श्री (इटावा)
मुस्तमद [illegible] खां, श्री (मथुरा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मूलचन्द, श्री (वाराणसी)
मैनेजर सिंह, श्री (बलिया)
मोहम्मद असलम खां, श्री (सहारनपुर)
मोहम्मद आकिल, श्री उर्फ मुन्ना मियां (मुरादाबाद)
मोहम्मद मसूद खां, श्री (आजमगढ़)
मोहम्मद रिजवानुल हक, श्री (मुरादाबाद)
मोहम्मद हयात, हाजी (मुरादाबाद)
यदुनाथ सिंह, श्री (मिर्जापुर)
रघुवर दयाल वर्मा, श्री (आगरा)
रजनी कान्त वत्स, डा0 (वाराणसी)
रणजीत, श्री (देवरिया)
रफीक अहमद, श्री (उर्फ रफ्फन) (बरेली)
रमाकान्त, श्री (आजमगढ़)
रमेश चन्द्र उर्फ रमेश यादव, श्री (एटा)
रवीन्द्रनाथ तिवारी, श्री (फैजाबाद)
राकेश्वर त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राज किशोर सिंह, श्री (वाराणसी)
राम बहादुर, श्री (जौनपुर)
राजित प्रसाद यादव, श्री (वाराणसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
रामगोविन्द चौधरी, श्री (बलिया)
रामचन्द्र शर्मा, श्री (वाराणसी)
रामचन्द्र बख्श सिंह, श्री (बाराबंकी)
राम जतन, श्री (आजमगढ़)
रामनन्दिनी वर्मा, श्रीमती (फर्रुखाबाद)
राम नरेश यादव, श्री (मैनपुरी)
राम पाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम सजीवन, श्री (बांदा)
राम शरण दास, श्री (सहारनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राय लक्ष्मी नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
रिछपाल सिंह बंसल, श्री (मेरठ)
रीना कुमारी, श्रीमती (मुरादाबाद)
रेवती रमण सिंह, कुंवर (इलाहाबाद)
लक्ष्मी नारायण, श्री (मथुरा)
लोकपति त्रिपाठी, श्री (मिर्जापुर)
विक्रमादित्य पाण्डे, श्री (बलिया)
विजय लक्ष्मी, श्रीमती (बलिया)
विजय सिंह राणा, श्री (आगरा)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विष्णु देव, श्री (आजमगढ़)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (एटा)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
शतरुद्र प्रकाश, श्री (वाराणसी)
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री (मुरादाबाद)
शारदा देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
शारदानन्द अंबल, श्री (बलिया)
शारदा प्रताप, श्री (लखनऊ)
शिव मंगल सिंह, श्री (बलिया)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (चमोली)
शैलेन्द्र कुमार, श्री (इलाहाबाद)
श्याम बिहारी सिंह, श्री (बरेली)
श्री प्रकाश, श्री (आजमगढ़)
संजय सिंह, डाक्टर (सुल्तानपुर)
सलावत हुसैन, श्री (गाजियाबाद)
सत्य प्रकाश विकल, श्री (आगरा)
सन्तन बड़थ्वाल, श्री (चमोली)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
सरोज वर्मा, श्रीमती (मेरठ)

धुवपाल पाण्डे, श्री (बस्ती)
सुन्दर लाल, श्री (उन्नाव)
सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री (बांदा)
सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (रायबरेली)
सुरेश प्रताप सिंह धाँधी, श्री (अलीगढ़)
सूर्य प्रताप शाही, श्री (देवरिया)
सैयद अली अशरफी, श्री (पीलीभीत)

हफीज भारती, श्री (आजमगढ़)
हर नारायण सिंह, श्री (रायबरेली)
हरिशंकर तिवारी, श्री (गोरखपुर)
हरिश्चन्द्र, हरीश जी, श्री (बस्ती)
हरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
हर्ष वर्धन, श्री (गोरखपुर)
हृदय नरायन दीक्षित, श्री (उन्नाव)

विधान परिषद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नों के सम्बन्ध में दी गयी जानकारी

श्री अध्यक्ष--

आज बहुत से माननीय सदस्य, जिनका प्रश्न है, वह हैं नहीं। जो मौजूद हैं, उन्हीं का प्रश्न लिया जायेगा।

एक सदस्य--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्नों के समय में व्यवस्था क्या होगी ?

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, दिनांक 17 जुलाई, 1987 ई0

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

उ0 प्र0 राज्य विद्युत् की वितरण व्यवस्था का पुनर्गठन

**1--श्री त्रियुगी नारायण मिश्र व श्री सूर्य प्रताप शाही--

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि विद्युत् परिषद् में घाटे के निरन्तर वृद्धि एवं कार्य क्षमता की गिरावट को दृष्टि में रखकर सरकार विद्युत् परिषद् का पुनर्गठन करने पर विचार कर रही है। क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि विद्युत् परिषद् के सचिव का चयन केन्द्रीय सेवा के लिए अभी हाल ही में हुआ था ? यदि हां, तो किन कारणों से सरकार ने विद्युत् परिषद् में उन्हें पुनः रोक लिया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)--

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् को होने वाले घाटे को दृष्टिगत करते हुए तथा कार्यक्षमता में सुधार लाने के उद्देश्य से परिषद् द्वारा अपनी वितरण व्यवस्था का पुनर्गठन मार्च, 1987 में किया गया है।

जी हां, सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का चयन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अन्तर्गत संयुक्त सचिव के पद हेतु किया गया था किन्तु परिषदीय कार्यहित को दृष्टिगत करते हुए उन्हें उस हेतु अवमुक्त नहीं किया गया।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दो बातें जानना चाहता हूं। पहली बात यह है कि विद्युत् परिषद् में निरन्तर घाटा और कार्य क्षमता की गिरावट को देखते हुए क्या विद्युत् परिषद् का पुनर्गठन किया जायेगा ? मान्यवर, उत्तर में कहा गया है कि परिषद् द्वारा अपनी वितरण व्यवस्था का पुनर्गठन किया गया है। मैंने विद्युत् परिषद् के पुनर्गठन की बात कही थी। मान्यवर, यह घाटे की जिम्मेदारी जिसकी है और इसका क्या कारण है और इस पर प्रति वर्ष कितना घाटा हो रहा है ? इसको सुधारने के लिए और भी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिये आपने

क्या-क्या कारगर उपाय अपनाये हैं । इसके परिप्रेक्ष्य में क्या आप विद्युत् परिषद् के पुनर्गठन की योजना बना रहे हैं ? मान्यवर, विद्युत् परिषद् के सचिव का चयन दिल्ली में हो गया है मंत्री जी ने जवाब में कहा है कि परिषदीय कार्यहित को दृष्टिगत करते हुए उन्हें उस हेतु अवमुक्त नहीं किया गया तो मैं जानना चाहता हूं कि परिषदीय कार्य हित में कौन-कौन हैं जिनके आधार पर उनको रोका है और कार्यमुक्त नहीं किया गया है ?

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, जहां तक पहला प्रश्न है उसमें उत्तर स्पष्ट है । मान्यवर, जहां तक राज्य विद्युत् परिषद् की कार्य क्षमता को बढ़ाना है, उसमें सुधार लाना है उसके परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्गठन जो तैयार किया गया है जिसको एक मार्च, 1987 से लागू कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त जहां तक सचिव, राज्य विद्युत् परिषद् का प्रश्न है, यह पूरे पुनर्गठन की एक योजना तैयार की गयी है वह सचिव, राज्य विद्युत्, परिषद्, जो वर्तमान सचिव हैं, उन्हीं के द्वारा तैयार की गयी थी और वह सचिव के पद पर इसीलिए नियुक्त किये गये थे कि वह इसका निर्धारण करते रहेंगे । अगर हम उनको भारत सरकार को भेज देते तो जो कार्यप्रणाली हम चाहते थे उसमें काफी रुकावट आती और हमारे लिए काफी कठिन हो जाता यह पुनर्गठन करना ।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र--

मान्यवर, विद्युत् परिषद् के निरन्तर घाटे एवं कार्यक्षमता की गिरावट को दृष्टि में रखते हुए और विद्युत् परिषद् की व्यवस्था की जिम्मेदारी सचिव को सौंपते हुए क्या विद्युत् परिषद् का पुनर्गठन किया जायेगा । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि विद्युत् परिषद् को लगातार घाटा हो रहा है उसकी जिम्मेदारी किसकी है ? यदि विद्युत् परिषद् की जिम्मेदारी है तो उसका पुनर्गठन किया जायेगा या नहीं किया जायेगा ? दूसरा प्रश्न है सचिव, विद्युत् परिषद् को केन्द्र सरकार में भेजने का, तो माननीय मन्त्री जी ने परिषदीय कार्यहित बताया है मैं जानना चाहता हूं कि जो केन्द्र सरकार में हमारे उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधि होता है संयुक्त सचिव के पद का, उसकी पूर्ति के लिए क्या उपाय हो रहा है ?

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, मैं फिर स्पष्ट उत्तर देना चाहता हूं हमारे यहां राज्य विद्युत् परिषद् का गठन है, अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, सदस्य वितरण हैं, सदस्य लेखा है, सदस्य पारेषण हैं, सदस्य तापीय विद्युत् उत्पादन है । जहां तक विद्युत् परिषद् के गठन का सम्बन्ध है, पूर्णरूप से विद्युत् परिषद् गठित है और हमारे सक्षम अधिकारी हैं । लेकिन विद्युत् परिषद् में जो घाटा हो रहा है, जो कमियां पाई जा रही हैं उसको रोकथाम सक्षम अधिकारियों द्वारा की जा सके इसीलिए इसका पुनर्गठन किया गया । लाभ केन्द्र बनाकर वितरण व्यवस्था का सुधार करने के लिए कार्यमण्डल गठित किया गया । विद्युत् व्यवस्था में तेजी लाने के लिए जो खंड होते हैं उसके अन्दर उपखंड बनाने का निर्णय लिया गया है ।

इस प्रकार से इसमें और सुधार लाया जायेगा । मान्यवर, हम पहले से निरन्तर प्रगति पर आ रहे हैं । जो प्लांट लोड फैक्टर आ रहा है उसमें अधिक उत्पादन हो रहा है ।

अगर आप पिछले वर्ष की जुलाई के पहले 16 दिनों को देखें और इस वर्ष के 16 दिनों को देखें तो 12 प्रतिशत उत्पादन तापीय विद्युत् गृहों से अधिक किया गया। पुनर्गठन करने का जो निर्णय है विद्युत् केन्द्र बनाने का जो निर्णय है उससे उत्पादन बढ़ा है। हमारा उद्देश्य है कि हम छोटे-छोटे अधिकारियों पर जिम्मेदारी डालें। वह रिस्पान्सबिल्टी स्वीकार करें।

जहां तक सचिव का प्रश्न है। मेरी समझ से माननीय सदस्य चाहते हैं कि अगर वह संयुक्त सचिव के पद पर केन्द्र में जाते तो उत्तर प्रदेश की देखभाल कर सकते। वहां पर दो अधिकारी हैं संयुक्त सचिव के पद पर। भारत सरकार से हम बात कर रहे हैं। भारत सरकार ने सहमति भी दे दी है। हम दूसरे उसी स्तर के उच्च अधिकारी को भारत सरकार भेजने की सोच रहे हैं। जैसे ही निर्णय हो जायेगा, भेज देंगे।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र--

मन्त्री जो ने स्वीकार किया कि दिन प्रतिदिन घाटा हो रहा है। कार्यक्षमता में गिरावट आ रही है। इसको रोकने के लिए उन्होंने कौन से उपाय किये हैं।

श्री सुनील शास्त्री--

जहां तक मेरा उत्तर है। शायद माननीय सदस्य समझ नहीं रहे हैं या वह कुछ और चाहते हैं। मैंने यह नहीं कहा कि कार्य में गिरावट आयेगी। मैंने कहा कि बढ़ोत्तरी हुई है। पिछले वर्ष 1 जुलाई से 16 जुलाई तक जो उत्पादन क्षमता थी, इस वर्ष 1 जुलाई से 16 जुलाई तक 12 प्रतिशत बढ़ी। यह बढ़ोत्तरी है। गिरावट तो तब होती जब उत्पादन गिर जाता पिछले वर्ष हमने 45.7 प्रतिशत उत्पादन किया। 34 प्रतिशत के विपरीत 45.7 का लक्ष्य प्राप्त किया। इस वर्ष 50 प्रतिशत का लक्ष्य है। हमारा विश्वास है, हमने पुनर्गठन किया है, उम्मीद है 50 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त हो जायगा। मैंने बताया कि एक अधिकारी के नाम पर विचार कर रहे हैं। जैसे ही भारत सरकार से बात हो जायेगी। हम कार्यमुक्त कर देंगे।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र--

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि निरन्तर विद्युत् परिषद् घाटे में है। मेरी जानकारी है कि 17-18 प्रतिशत घाटा है। जो उपाय किये हैं उससे घाटे में प्रति हो रही है या घाटा रुका है।

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत 157 करोड़ रुपये की योजना है। इसके अन्तर्गत 22 इकाइयां, जो 16 वर्ष से 20 वर्ष की हैं। उनके नवीनीकरण की बात है 27 इकाइयां पुरानी हैं। आठ-नौ मशीनों पर नवीनीकरण का कार्य किया गया है तो हर मशीन से अधिक से अधिक उत्पादन हो रहा है। जिस मशीन से 30-32 प्रतिशत उत्पादन होता था आज उस मशीन पर 65 प्रतिशत उत्पादन कर रहे हैं। दूसरे लाभ केन्द्र स्थापित करने का मुख्य कारण यह है कि अगर हम इनको स्थापित कर लेंगे तो जिम्मेदारी अधिकारियों को इस पर डाल सकते हैं। अधिकारी जिम्मेदारी समझेंगे और उसी के अनुसार जो इनकम परिषद् को होनी चाहिए। वह उन पर निर्धारित की जायेगी। हम कह सकते हैं कि इतनी बिजली दे रहे हैं इतना लाभ होना चाहिए। इस प्रकार की जिम्मेदारी आ जायेगी तो यदि उनकी कार्यक्षमता को खराब पाया जायेगा कि वह ढंग से काम नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध कार्यवाही भी की जायेगी।

श्री आर० एन० पाठक—

माननीय, यह घाटे की बात बिजली में बराबर आती है, इस सम्बन्ध में मैं दो बातों की जानकारी माननीय मन्त्री जी से चाहता हूं एक तो यह क्या उत्तर प्रदेश सरकार सक्षम है बिजली की जो चोरी हो रही है, उसको रोक सकने में, यदि सक्षम है तो उसके लिए अब तक क्या कार्यवाही की है और नं० दो जो बड़े-बड़े इंजीनियर हैं, जिनकी माहवार आमदनी 3,000 रुपये है और 10,000 रुपया प्रति माह का खर्च है उनका तो क्या ऐसों की जानकारी कर उनके खिलाफ कोई कार्यवाही आप करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री—

अगर माननीय सदस्य ऐसे इंजीनियरों के नाम देंगे और अगर उनके खिलाफ कार्यवाही करने की जरूरत समझी गयी तो अवश्य की जायेगी और जहां तक लाइन-लासेज की बात है, हमारा प्लानिंग कमीशन जो है, उसके तहत लगभग 10-12 प्रदेशों का लाइन-लासेज के सम्बन्ध में अध्ययन किया गया तो केवल मद्रास एक ऐसा प्रदेश है, जिसके लाइन-लासेज हम से कम हैं बाकी सभी प्रदेश चाहे वह आन्ध्रा हो, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक और राजस्थान हो सभी प्रदेशों में हमारे प्रदेश से लाइन-लासेज बहुत अधिक हैं और हमारे यहां 17 परसेंट लाइन-लासेज अंकित किया गया है, इस ओर और हम प्रयास कर रहे हैं कि इसमें कमी आए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बिजली को बचत कर सकें और उसे उपभोक्ताओं तक पहुंचा सकें ।

श्री आर० एन० पाठक—

माननीय, ऐसे कई कारखाने हैं जो चोरी से बिजली लेकर चला रहे हैं और इस सम्बन्ध में कई दफा लिखकर भी दे चुका हूं, परन्तु अब तक कोई कार्यवाही इस पर नहीं हुई और मैं अब इसकी जानकारी अध्यक्ष को दे दूंगा ताकि वह गवाह रहें और यह देखा जा सके कि इस पर अब तक क्या कार्यवाही हो रही है ।

कर्नल केशरी सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मन्त्री जी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि जब आप विद्युत् का बजट प्रस्तुत कर रहे थे उस समय आपने यह आश्वासन दिया था कि 1990 तक हम प्रदेश के सभी गांवों में विद्युतीकरण करा देंगे लेकिन बस्ती जिले के बारे में कहा कि इस शताब्दी के अंत तक करायेंगे, तो माननीय, मैं यह जानना चाहता हूं कि बस्ती जनपद के साथ यह भेद-भाव क्यों किया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष—

आप अपना प्रश्न करिए ।

कर्नल केशरी सिंह—

माननीय, मैं प्रश्न कर रहा हूं कि क्या माननीय मन्त्री जी बस्ती जनपद के साथ भेद-भाव न करके क्या जिस प्रकार से प्रदेश में हर जगह के गांव में 1990 तक विद्युतीकरण कर दिया जायेगा तो क्या बस्ती जनपद में भी 1990 तक विद्युतीकरण कर दिया जायेगा ?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, मैंने बजट प्रस्तुत करते समय यह कहा था कि 1990 तक जो हमारा लक्ष्य है, उसके तहत हम 80 फीसदी प्रदेश के गांवों में विद्युतीकरण कर लेंगे और लगभग 7वीं पंचवर्षीय योजना में 19,800 गांवों में विद्युतीकरण कर लेंगे और जहां तक बस्ती जनपद की बात है, जिसमें लगभग 6,000 गांव हैं, इसके 2,000 गांवों का हम विद्युतीकरण कर सकेंगे तो उस पर माननीय सदस्य ने यह प्रश्न किया था कि इस शताब्दी के अंत तक बस्ती जनपद में पूर्ण रूप से विद्युतीकरण कर दिया जायेगा, मैंने कहा था कि पूर्ण कर दिया जायेगा ।

श्री अमिताभ लवानियां—

मान्यवर, नत्थी "क" के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-2 में हमारी रुचि है ।

श्री पूरन सिंह माहरा—

मान्यवर, अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-2, जो माननीय रघुबर दयाल वर्मा का है, उसमें रुचि है सदस्यों की ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है । अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-2 लिया जाता है ।

जनपद आजमगढ़ में पौष्टाहार योजना में बरती गई अनियमितता के विरुद्ध जांच

**2—श्री रघुवर दयाल वर्मा (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जनपद में पौष्टाहार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 में लगभग 35 लाख रुपये की खिचड़ी आपूर्ति में व्यापक अनियमितता की जांच उप विकास आयुक्त, गोरखपुर द्वारा करायी जा रही है ? यदि हां, तो जांच बिन्दु क्या है तथा अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई है ?

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)—

जी हां ।

वर्ष 1985-86 में बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में बाढ़ राहत योजना अन्तर्गत आजमगढ़ जनपद के लिए खिचड़ी के पैकेट आपूर्ति के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों की जांच के बिन्दु निम्नवत् हैं :—

(1) शासनादेशों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर खिचड़ी के पैकेट वितरित न करने का पता लगाना ।

(2) इस मामले में शासकीय धन की हुई क्षति का पता लगाना ।

आयुक्त, गोरखपुर मण्डल से प्राप्त विभागीय जांच रिपोर्ट दिनांक 11 जुलाई, 1987 पर कार्यवाही शासन के विचाराधीन है । इसके अतिरिक्त इस मामले पर

नोट—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-2, श्री अमिताभ लवानियां की रुचि पर लिया गया ।

दिनांक 11 जून, 1987 को सतर्कता निदेशक को खुली जांच/अनुसंधान के आदेश भी दे दिये गये हैं ।

श्री अमिताभ लवानियां--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर में स्वीकार किया कि वहां पर अनियमितता हुई है । यह गम्भीर प्रश्न है, 35 लाख का पुष्टाहार के घोटाले का प्रश्न है । जो तथ्य बता रहे हैं कि प्रकाश में आये हैं, मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन-कौन से तथ्य हैं ? दूसरे अगर वहां कोई घोटाला हुआ है, 35 लाख से ज्यादा हुआ है या 35 लाख से कम का हुआ है, वह कितनी धनराशि है, यह साफ-साफ बतायी जाय ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, जो आयुक्त, गोरखपुर मंडल से रिपोर्ट आई है, उस जांच रिपोर्ट में 2 लाख 27 हजार 800 रुपये का भुगतान गलत ढंग से किया गया है, वह रिपोर्ट मान्यवर, शासन को प्राप्त हुई है ।

श्री अमिताभ लवानियां--

श्री [illegible] माननीय मंत्री जी बता रहे थे कि इसमें घोटाला हुआ और रिपोर्ट भी आई है । तो जिन अधिकारियों को आप दोषी मानते हैं और जिस स्तर से शासन ने इसकी इन्क्वायरी कराई है, तो वह दोषी अधिकारी कौन-कौन हैं ? तो उनके विरुद्ध शासन ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, आयोग की रिपोर्ट में एक कर्मचारी श्री शारदा नन्द श्रीवास्तव, जो कार्यालय अधीक्षक थे, को दोषी पाया गया है । उनको तो मान्यवर, 25 मार्च, 1987 को अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त कर दिया गया है और मान्यवर, जांच रिपोर्ट में, प्राइमाफेसी में, आरोप विकास आयुक्त, गोरखपुर मंडल पर भी बनता है, वह भी दोषी पाये गये हैं, उनको हमने निलम्बित कर दिया है ।

श्री काजी कलीमुर्रहमान--

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मामला हमारे जनपद आजमगढ़ का है मेरी निश्चित जानकारी है, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि एक दम यह टोटल फर्जी ढंग से हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं बांटा गया है । क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि गोरखपुर के एक प्राइवेट आदमी को इसकी पैकटिंग करने के लिये क्यों आर्डर दिया गया ? मान्यवर, उसने इन अधिकारियों से मिल-जुलकर उस पुष्टाहार योजना को लगभग खत्म कर दिया और किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ । मैं यह भी जानना चाहूंगा कि खिचड़ी के पैकेट वितरण करने की गलत सूचना किस अधिकारी द्वारा बनाई गई है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, माननीय सदस्य की सूचना सही है । आदेश यह था शासन का कि मंडल विकास निगम से यह खिचड़ी की आपूर्ति 35 लाख 32 हजार रुपये की कराई जाये लेकिन यह जो शारदा नन्द श्रीवास्तव, कार्यालय अधीक्षक थे, इन्होंने उप विकास आयुक्त को गलत सूचना देकर या भ्रम फैलाकर यह कह दिया कि आनन्द नगर, गोरखपुर को इसकी आपूर्ति का आदेश दे दिया गया है । जितना वितरण का आदेश दिया गया था वहां के अधिकारियों ने उसके प्रतिकूल काम किया । जो जांच रिपोर्ट आई, मान्यवर, माननीय विधायक जो सही कह रहे हैं कि आपूर्ति, वितरण भी गलत ढंग से हुआ

हैं । 6 विकास खंडों की फर्जी रसीदें प्रस्तुत करके 2 लाख 27 हजार 800 रुपये का गलत ढंग से भुगतान किया गया है । मान्यवर, यह जांच प्रकाश में आई है, इस वजह से मान्यवर, जो श्री शारदा नन्द श्रीवास्तव, कार्यालय अधीक्षक थे, उनको कम्पलसरी तौर से रिटायर कर दिया गया है और उप विकास आयुक्त को भी निलम्बित कर दिया गया है । इसके अलावा मान्यवर, जो जांच रिपोर्ट थी, आयुक्त, गोरखपुर मंडल ने कहा कि यह बहुत गम्भीर मामला है इसकी किसी कम्पीटेंट एथारिटी से खुली जांच हो । इस परिप्रेक्ष्य में शासन ने 11 जून, 1987 को यह मामला सतर्कता विभाग को खुली जांच हेतु सौंप दिया है । जो भी तथ्य प्रकाश में आये हैं या आयेंगे, उसकी खुली जांच की जायेगी ।

श्री सुरेन्द्र सिंह (गढ़वाल)--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि यह जो पुष्टाहार योजना प्रदेश के सभी जनपदों में लागू की जा रही है, उसके पीछे मूल भावना यही है कि गरीब परिवार के बच्चों को पुष्टाहार के रूप में खिचड़ी आदि उपलब्ध हो सके, मेरी निश्चित जानकारी है कि मेरे क्षेत्र में पुष्टाहार योजना के अन्तर्गत पुष्टाहार वितरित ही नहीं किया गया है और अगर वितरित भी किया गया है, तो उसकी क्वालिटी अत्यन्त खराब है, जो बच्चों को स्वस्थ बनाने के बजाय अस्वस्थ कर रही है । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि पुष्टाहार योजना के अन्तर्गत जो भी चीज वितरित की जाये वह अच्छी क्वालिटी की हो, इसलिये क्या यह सुनिश्चित करायेंगे कि क्वालिटी कन्ट्रोल बना रहे और उसको बेहतर से बेहतर बनाने की गुंजाइश हो ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, इसमें नये आदेश देने की कोई जरूरत नहीं है । शासनादेश तो हैं ही कि अच्छी क्वालिटी की खिचड़ी वितरित की जाय ।

श्री त्रियुगीनारायण मिश्र--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि 2 लाख 87 हजार कुछ रुपये का घपला प्रकाश में आया है । क्या इस राजकीय धन की वसूली करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर सौंपी गई है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, विजीलेन्स की इन्क्वायरी रिपोर्ट आने के बाद ही जो प्रक्रिया रह जायेगी, उस पर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री पूरन सिंह माहरा--

मान्यवर, श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी जी ने जो प्रश्न किया है कि जो आदेश पुष्टाहार के सम्बन्ध में किये गये थे, उनका पालन सही रूप में नहीं हो रहा है । आपने कह दिया कि नये आदेश करने की जरूरत नहीं है । क्या माननीय मन्त्री जी पुराने आदेशों का कड़ाई से पालन हो सके, कोई कड़े निर्देश जारी करने का आश्वासन देंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

यदि माननीय सदस्य के क्षेत्र में कहीं सही वितरण नहीं हो रहा है तो वह बतायें। उनकी जांच की जायेगी और जो दोषी अधिकारी व कर्मचारी होगा, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।

श्री काजी कलीमुर्रहमान--

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ में वे कौन-कौन से ब्लाक व क्षेत्र हैं, जहां पर वितरण किया गया है और आनन्द नगर के जिस सोसाइटी से अधिकारियों ने सांठ-गांठ करके यह घपला किया है, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

मान्यवर, 6 ब्लाक हैं, कौन-कौन से ब्लाक हैं, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। कार्यवाही करने का जहां तक प्रश्न है, उसके बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूं।

श्री सुरेन्द्र सिंह (गढ़वाल)—

माननीय सदस्यों ने कई प्रश्न किए और कहा है कि बहुत बड़ा घपला है और पुष्टाहार की क्वालिटी ठीक नहीं है। क्या माननीय मंत्री जी इसकी जगह पर क्या कमजोर बच्चों को नकद भुगतान करने की कृपा करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी नहीं।

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय--

मान्यवर, नत्थी 'घ', पेज 17 पर माननीय श्री जयदीप सिंह बरार जी के प्रश्न संख्या 31 पर प्रश्न करने के लिए मैं इच्छुक हूं।

श्री अध्यक्ष--

मैं आगे बढ़ चुका हूं।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को आवास हेतु अनुदान

*1—श्री दीप चन्द सोनकर (अनुपस्थित)--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अन्दर अनुसूचित जाति, जनजाति लोगों को आवास हेतु अनुदान के रूप में जो मु0 6,000 रुपये दिये जाते ह उस धनराशि में कोई आवास नहीं बन पाता और जो बने हैं उसमें रहन के लिये लोग तैयार नहीं हो रहे हैं ? क्या सरकार ऐसे अनुदान की राशि को मु0 6,000 रुपये से बढ़ाकर मु0 10,000 रुपये की राशि देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

जी नहीं। 6,000 रुपये में आवास का निर्माण हो जाता है जिसमें एक कमरा एवं एक बरामदा निर्मित होता है।

जी नहीं, लाभार्थी स्वयं भवन का निर्माण करता है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

*2—श्री सूर्य प्रताप शाही—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

*3—श्री मित्र सेन—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1—श्री रघुबर दयाल वर्मा—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

[शुक्रवार, दिनांक 17 जुलाई, 1987 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

प्रदेश की बाल विकास परियोजनाओं में पुष्टाहार खरीदने हेतु अग्रिम धन राशि

*1—श्री रिछपाल सिंह बंसल (अनुपस्थित)—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1985-86 व 1986-87 में प्रदेश की समस्त बाल विकास परियोजनाओं में पुष्टाहार खरीदने हेतु पी0 सी0 एफ0 की क्रमशः 8 करोड़ व 3 करोड़ रुपये की धनराशि अग्रिम के रूप में शासन द्वारा दी गयी थी, यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त संस्था द्वारा अप्रैल, 1986 तक आठ करोड़ रुपये में से केवल चार करोड़ रुपये के पुष्टाहार की आपूर्ति की गयी ? यदि हां, तो उक्त संस्था को पुनः वित्तीय वर्ष 1986-87 में तीन करोड़ रुपये अग्रिम के रूप में दिये जाने का दायित्व किस अधिकारी पर आता है। क्या सरकार को जानकारी है कि पी0 सी0 एफ0 द्वारा बकाया धनराशि को बैंक में 12 1/2 %की दर से जमा किया गया है और उससे मिलने वाला ब्याज स्वयं लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या शासन पूरे मामले की जांच कराकर दोषी अधिकारी को दण्डित करने पर विचार करेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्रदेश की बाल विकास परियोजनाओं में पुष्टाहार की आपूर्ति हेतु वर्ष 1985-86 में पी सी0 एफ0 को कोई अग्रिम धनराशि नहीं दी गयी। वर्ष 1986-87 में पुष्टाहार आपूर्ति हेतु 3,92,71,485.47 की धनराशि पी0 सी0 एफ0 को अग्रिम रूप मे दी गयी थी।

वर्ष 1985-86 में पी0 सी0 एफ0 द्वारा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में 29,31,466.61 रुपये के पुष्टाहार की आपूर्ति की गयी थी जिसके विरुद्ध पी0 सी0 एफ0 को प्रेषित बिलों के आधार पर मात्र रुपये 28,03,489.49 पैसे का भुगतान किया गया। वित्तीय वर्ष 1985-86 में पी0 सी0 एफ0 द्वारा की गयी आपूर्ति को देखते हुये वर्ष 1986-87 में विभिन्न जनपदों से कुल मिलाकर 3,92,71,485.47 रुपये की धनराशि अग्रिम के रूप में पी0 सी0 एफ0 को दी गयी थी। अतः दायित्व निर्धारण का प्रश्न नहीं उठता।

यह सत्य नहीं है कि पी0 सी0 एफ0 ने उक्त प्राप्त अग्रिम धनराशि को बैंक में रखकर 12 1/2 %का कोई लाभ अर्जित किया है। क्योंकि पी0 सी0 एफ0 एक

व्यावसायिक संस्थान है जो अपने व्यावसायिक लेन-देन के लिये बैंक के चालू खाते (करेन्ट एकाउन्ट) में धनराशि जमा करता है और चालू खाते में किसी प्रकार ब्याज प्राप्त नहीं होता है। अतः मामले की जांच कराकर दोषी अधिकारी को दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता।

राज्य विद्युत् परिषद् में घाटे को रोकने का प्रयास

*2--श्री जयदीप सिंह बरार (अनुपस्थित)--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा बार-बार बिजली दर बढ़ाये जाने के बावजूद भी परिषद् का घाटा उसी अनुपात में बढ़ता जाता है ? क्या सरकार किसी ऐसी योजना पर विचार करेगी जिससे विद्युत् परिषद् को घाटे से बचाया जा सके ? यदि नहीं, तो परिषद् को बिना लाभ बिना हानि के स्तर पर चलाने के लिये सरकार एक निश्चित समयबद्ध कार्यक्रम की तत्काल घोषणा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

बिजली की दरों में वृद्धि विद्युत् उत्पादन के बढ़े हुये व्यय की आंशिक रूप में पूर्ति के लिये की गयी है। वर्ष 1982-83 के चार वर्ष बाद फरवरी, 1986 में कुछ उपभोक्ता श्रेणियों के लिये तथा उसी वर्ष जुलाई में अवशिष्ट श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिये बिजली की दरों में वृद्धि की गयी थी। अतः यह कहना उचित नहीं होगा कि विद्युत् की दरों में बार-बार वृद्धि की गयी है। विद्युत् परिषद् को होने वाले घाटे का मुख्य कारण बिजली की दरों का उत्पादन लागत से कम होना है। राज्य विद्युत् परिषद् अपने घाटे को कम करने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील है और स्थापित विद्युत् क्षमता का अच्छा उपयोग कर, प्लान्ट लोड फैक्टर बढ़ाकर और विद्युत् वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ कर लाइन लासेस में कमी लाकर परिषद् की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है। परिषद् को बिना हानि चलाये जाने के स्तर पर लाने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित करना व्यवहारिक नहीं है।

लखनऊ स्थित सैनिक कल्याण मुख्यालय में दोनों वर्गों के अधिकारियों की नियुक्ति

*3--कर्नल केशरी सिंह--

क्या हरिजन समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सैनिक अनुभाग के शासनादेश संख्या 422 48-85-11-2-(28)-84, दिनांक 27 मार्च, 1985 में इंगित प्राविधानों के अन्तर्गत लखनऊ शहर में स्थित सैनिक कल्याण मुख्यालय में दोनों वर्गों के 50-50 प्रतिशत अधिकारी नियुक्त किये गये हैं ? यदि नहीं, तो कब तक उक्त शासनादेश के परिपालन की कार्यवाही की जायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

उक्त शासनादेश में लखनऊ शहर में स्थित सैनिक कल्याण मुख्यालय में दोनों वर्गों के 50:50 अधिकारी नियुक्त करने का उल्लेख नहीं है, वरन् बड़े शहरों में नियुक्ति के समय 50:50 बेसिस पर नियुक्त किये जाने का प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

कर्नल केशरी सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या लखनऊ शहर बड़ा शहर नहीं है, क्या लखनऊ छोटे शहर में आता है ? यदि

लखनऊ बड़े शहर में आता है तो लखनऊ में जो सैनिक कल्याण का मुख्यालय है और लखनऊ बड़े शहर में माना जाता है तो क्या मुख्यालय में 50:50 के अनुपात में अधिकारी नियुक्त करने के सम्बन्ध में आदेश पारित करेंगी, यदि हां, तो कब तक करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, यह लखनऊ बड़ा शहर है, इसके सम्बन्ध में विवाद नहीं है । विवाद है, मुख्यालय के सम्बन्ध में । बड़े शहरों में इसका इतिहास यह है कि हमारा एक सैनिक कल्याण अधिकारी प्रत्येक जिले में होता है । तो यह विचार सामने आया कि बड़े शहरों में जो सैनिक कल्याण अधिकारी हैं, उनकी नियुक्ति साम्यता के आधार पर होना चाहिये । मान्यवर, कमिश्नरी में जो 12 सैनिक कल्याण अधिकारी हैं, वे दो वर्गों के हैं, एक तो शार्ट कमीशन से सम्बन्धित हैं और दूसरे सेवा निवृत्त आफिसर्स हैं । इसमें जो जी0 ओ0 है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि बड़े शहरों में जो सैनिक कल्याण अधिकारी एप्वाइन्ट होते हैं, वे आधे-आधे के बेसिस पर होने चाहिये । 12 सैनिक कल्याण अधिकारी जिलों में होते हैं तो जी0 ओ0 का तात्पर्य यह है कि 6 शार्ट कमीशन्ड के वर्ग के हैं और 6 वह हैं जो सेवा निवृत्त हुए हैं । इसका यह एक सम्बन्ध तो जी0 ओ0 से है, लेकिन मुख्यालय में कितने हैं, इससे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

कर्नल केशरी सिंह--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी का कहना है कि बड़े शहरों में जितनी नियुक्तियां होंगी, 50 : 50 प्रतिशत के अनुपात में होंगी, तो क्या जी0 ओ0 में लिखा है कि मुख्यालय में इस अनुपात पर एप्वाइन्टमेंट नहीं होगा । जी0 ओ0 के अनुसार टोटल बड़े शहरों में जो एप्वाइन्टमेंट होना चाहिये तो मुख्यालय में जो 6-7 अधिकारी एप्वाइन्ट होने चाहिये, उसमें भी तो वह जी0 ओ0 लागू होना चाहिये । मैं जानना चाहता हूं कि क्या मुख्यालय में भी इसी अनुपात में नियुक्तियां की जाएंगी, यदि नहीं, तो बतावें कि क्यों नहीं की जाएगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, मैंने अभी आपसे निवेदन किया कि यह जी0 ओ0, जिसका उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है, हमारे माननीय सदस्य कर्नल केशरी सिंह बहुत विद्वान हैं, उन्हें जी0 ओ0 का पूरा ज्ञान है, वह समझते हैं कि वह जो 12 सैनिक कल्याण अधिकारी हैं, उनमें से कम से कम 6 शार्ट कमीशन के और 6 सेवा निवृत्त होने चाहिये । उसके सम्बन्ध में जो उचित कार्यवाही है, की जा रही है ।

कर्नल केशरी सिंह--

मान्यवर, मेरा मुख्यालय वाला उत्तर नहीं आया । मुख्यालय में भी तो 6-7 अधिकारी हैं । बड़े शहरों वाला अनुपात यहां पर क्यों नहीं हो सकता । जब 12 कमिश्नरी में हैं तो जो 6 मुख्यालय में हैं उसमें भी तो जी0 ओ0 के अनुसार पचास प्रतिशत होना चाहिये । मुख्यालय में यह अनुपात क्यों नहीं किया जा रहा है । इसका क्या कारण हो सकता है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी0 ओ0 में मुख्यालय के सम्बन्ध में कोई जिक्र नहीं, यह उसी परिवेक्ष्य में जी0 ओ0 बना था, 12 जिलों में जो जो सैनिक कल्याण अधिकारी हैं, उसमें वहां

अपाइन्टमेंट नहीं होता है सैनिक कल्याण अधिकारी का, 12 में से 6 सैनिक कल्याण अधिकारी शार्ट कमीशन की सेवा के होते हैं और 6 वह होते हैं जो सेवानिवृत्ति के बाद आते हैं । मान्यवर, इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही हम स्वयं कर रहे हैं ।

श्री हरदेव—

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य कर्नल सिंह जी ने कहा कि भेदभाव होता है । हमारी सरकार में भेदभाव वाली बात ही नहीं है । माननीय कर्नल सिंह जी भी सैनिक कोटे से जन प्रतिनिधि के रूप में आये हैं । यह हम सब के लिये कितनी खुशी की बात है कि भूतपूर्व सेना का अधिकारी भी हम सब के बीच जन प्रतिनिधि के रूप में है । इसलिए मान्यवर, "भेदभाव" शब्द हटा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

अब अगला प्रश्न लेते हैं ।

जनपद नैनीताल के उद्योगों में साक्षात्कार हेतु सेवा योजना कार्यालय का परिपत्र

*4—श्री पूरन सिंह माहरा—

क्या शासन को जानकारी है कि कुमाऊं क्षेत्र में जनपद नैनीताल में लगे उद्योगों में साक्षात्कार के लिए बुलाये जा रहे जनपद अल्मोड़ा व जनपद पिथौरागढ़ के बेरोजगार नवयुवकों के पास सेवायोजन कार्यालय से जो परिपत्र जारी किये जा रहे हैं उनमें टिप्पणी अंकित है कि नैनीताल जनपद के नवयुवक को प्राथमिकता दी जावेगी ? यदि हां, तो किसके आदेश से यह टिप्पणी जारी की जा रही है ? क्या भविष्य में इस प्रकार की टिप्पणी (रिमार्क) समाप्त करवा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम राज्य मन्त्री (कुमारी सरस्वती अग्माल)—

जी नहीं ।

नैनीताल में लगे उद्योगों में साक्षात्कार के लिये सेवायोजन कार्यालयों द्वारा बुलाये जा रहे बेरोजगार नवयुवकों के पास सेवायोजन कार्यालय से इस आशय के परिपत्र नहीं जारी किए जाते हैं कि नैनीताल जनपद के नवयुवकों को प्राथमिकता दी जायगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री पूरन सिंह माहरा—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में, मेरी सूचना को सही मानते हुए, अलिखित या लिखित जो भी वहां आदेश जारी हुए हैं, नैनीताल जनपद में किसी अल्मोड़ा या पिथौरागढ़ के लड़के ने केयर आफ करके पता दिया है वहां का तो उसे सेवायोजन कार्यालय द्वारा बुला लिया जाता है । अगर अल्मोड़ा में 6 माह पुराना पंजीकृत कोई लड़का है, उसको नहीं बुलाया जाता है । नैनीताल जनपद के अलावा अन्य जनपदों के लड़कों को क्यों नहीं बुलाया जाता ।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करें ।

श्री पूरन सिंह माहरा—

मेरा कहना यह है कि बराबरी के आधार पर सब अभ्यर्थियों को देखा जाय। अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जनपद के अभ्यर्थियों को समान रूप से प्राथमिकता दी जाय न कि किसी विशेष जिले को दी जाय। क्या इसे माननीय मन्त्री जी सुनिश्चित करायेंगी कि अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के लोगों को भी प्राथमिकता दी जाय ?

कुमारी सरस्वती अम्माल—

माननीय, निश्चित रूप से उनके मामले को देखने का आदेश करेंगे।

श्री पूरन सिंह माहरा—

माननीय, आपके माध्यम से, क्या माननीय मन्त्री जी यह बता पायेंगी कि अल्मोड़ा जनपद और पिथौरागढ़ जनपद के कितने लड़के उसमें इन्टरव्यू के लिये वहां बुलाये गये हैं और नैनीताल जनपद के कितने लड़के बुलाये गये हैं ?

कुमारी सरस्वती अम्माल—

इसकी सूचना की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष—

बाकी प्रश्नकर्ता चूंकि मौजूद नहीं हैं, इसलिए प्रश्न समाप्त हुए।

प्रदेश में अनाथ बच्चों की संस्थाओं के अनुदान में रुकावट

*5—श्री राम नरेश यादव—

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अनाथ बच्चों की किन-किन संस्थाओं का कितना-कितना अनुदान कितने वर्षों से रुका हुआ है ? यह अनुदान क्यों नहीं रिलीज हुआ है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

वर्ष 1978-79 से 1984-85 तक की अवधि के अन्तर्गत स्वीकृत 9 संस्थाओं का अनुदान संलग्न विवरण के अनुसार रुका हुआ है।

इन संस्थाओं को अनुदान का भुगतान, शिकायतों की जांच के कारण संस्था द्वारा मामला न्यायालय को सन्दर्भित करने तथा स्वयं संस्था द्वारा अनुदान की स्वीकृत धनराशि को वापस कर देने के कारण नहीं किया जा सका।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 105 पर)

*6—श्री हर्ष वर्धन—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

भू0 पू0 बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी (श्री एस0 पी0 अजोर) के विरुद्ध जांच

*7—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भू0 पू0 बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी डेवरिया (श्री एस0 पी0 अजोर) के विरुद्ध अवैध कार्यों की जांच शासन के आदेश पर

अगस्त, 1985 से नवम्बर तक जिलाधिकारी, देवरिया ने की, जिसमें लगभग 4 हजार एकड़ जंगल एवं गांव समाज की भूमि का अवैध इन्द्राज प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट पर अब तक कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण है ?

राजस्व मन्त्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

जी हां । जांच कराई गयी । जांच में 4032 एकड़ भूमि पर अवैध प्रविष्टियां पाई गई जिसमें से 57 46 एकड़ भूमि के फर्जी इन्द्राज निरस्त किये जा चुके हैं । शेष को निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जा रही है । श्री एस0 पी0 अंजोर के विरुद्ध सतर्कता भी चल रही है ।

*8—श्री विक्रमादित्य पान्डेय—

[6 वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

*9—श्री महेन्द्र भाटी—

[6 वें गुरुवार में ता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उत्तर प्रदेश के ग्रामों का विद्युतीकरण का लक्ष्य एवं पूर्ति

*10—श्री सुरेश प्रताप गांधी—

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सप्तम पंचवर्षीय योजना काल की समाप्ति तक देश के शत प्रतिशत ग्रामों के विद्युतीकरण के लक्ष्य की पूर्ति के लिये प्रदेश सरकार ने क्या कार्यक्रम निर्धारित किया है ? क्या वर्ष 1985-86 में संसाधनों के अभाव में विद्युतीकरण लक्ष्यों के अनुरूप न हो पाने की स्थिति पर विचार कर आगामी वर्षों में आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री—

उत्तर प्रदेश के शत प्रतिशत ग्रामों का विद्युतीकरण सप्तम पंचवर्षीय योजना काल की समाप्ति तक किये जाने का कोई कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया गया है ।

वर्ष 1985-86 में निर्धारित लक्ष्य 4600 के विपरीत 4486 ग्रामों का विद्युतीकरण केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषा द्वारा किया गया । आगामी वर्षों में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति किये जाने के लिये आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था की गयी है और वर्ष 1986-87 में उन मद में लक्ष्यों से अधिक पूर्ति की गयी ।

ईश्वर शरण आश्रम, इलाहाबाद द्वारा संचालित विकास विद्यालय (आ0 प्र0) हायर सेकेन्डरी स्कूल के कार्यकलापों की जांच

*11—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ईश्वर शरण आश्रम, इलाहाबाद द्वारा संचालित विकास विद्यालय (आ0 प्र0) हायर सेकेन्डरी स्कूल के शासन द्वारा अधिग्रहण की कार्यवाही सन् 1980 से ही चल रही है ? यदि हां, तो विलम्ब के कारण क्या हैं ? क्या सरकार शीघ्र ही अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण कराने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं, किन्तु संस्था के कार्यकलापों की जांच के लिये निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की गयी । मामला न्यायपालिका में सन्दर्भित होने के कारण विलम्ब हो रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्ण तथ्यात्मक स्थिति की जांच करके तथा न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में ही आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्णय लिया जा सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्लाईवुड प्रोडक्ट्स, सीतापुर के कर्मचारियों की मांगें सम्बन्धी ज्ञापन

*12--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्लाईवुड प्रोडक्ट्स, सीतापुर के कर्मचारियों की मांगों के बारे में कोई ज्ञापन प्रश्नकर्ता की ओर से 26-6-85 को अथवा उसके आस-पास किसी दिन मिला ? यदि हां, तो मुख्य-मुख्य मांगे क्या है तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रम मंत्री (श्री सईदुल हसन)--

जी हां, ज्ञापन में प्रमुख मांगें प्लाईवुड प्रोडक्ट, सीतापुर के श्रमिकों को सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मजदूरी सम्बन्धी राजाज्ञा, दिनांक 6 अगस्त, 1984, जिस तिथि व स्वरूप में शासन द्वारा लागू की गई है, उसी के अनुसार भुगतान कराये जाने और 1 फरवरी, 1985 की राजाज्ञा के अनुसार मंहगाई भत्ता दिए जाने विषयक है ।

6 अगस्त, 1984 को राजाज्ञा लागू होने के समय प्रतिष्ठान के श्रमिकों व सेवायोजक के मध्य इस आशय का विवाद औद्योगिक न्यायाधिकरण में लम्बित था कि विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को वेतन-वृद्धि किस दर से तथा कब से दी जानी चाहिए । अतः नियमानुसार अधिसूचना 6 अगस्त, 1984 प्रतिष्ठान पर लागू नहीं कराई जा सकी । इस विवाद में पारित अभिनिर्णय दिनांक 28 फरवरी, 1985 के द्वारा निर्धारित वेतन दरें दिनांक 1-10-84 के प्रभाव से लागू हुई । उक्त के परिप्रेक्ष्य में 6 अगस्त, 1984 को राजाज्ञा घोषित तिथि व स्वरूप में लागू कराया जाना सम्भव नहीं था । अब उभय पक्षों के मध्य एक समझौता हो गया है जिसके अनुसार राजाज्ञा, दिनांक 6 अगस्त, 1984 के प्राविधानों के अनुसार 1-2-87 से परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते की सुविधा तथा 1-1-87 से 7 दिन के आकस्मिक अवकाश की सुविधा श्रमिकों को प्राप्त हो गई है ।

हरिजन समाज कल्याण विभाग में डिप्टी डायरेक्टरों के रिक्त पद

*13--श्री बदन सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हरिजन समाज कल्याण विभाग में डिप्टी डायरेक्टरों के कई पद रिक्त है ? यदि हां, तो उन रिक्त पदों पर अभी तक नियुक्ति न करने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के केवल दो पद रिक्त हैं ।

पात्रता क्षेत्र के निर्धारण की प्रक्रिया पूर्ण न होने के कारण चयन समिति द्वारा चयन नहीं किया जा सका । अब निर्णय तो लिया गया है और अति शीघ्र ही चयन कर नियुक्ति कर दी जायगी ।

*14--हृदय नरायन दीक्षित--

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

*15--श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

*16—श्री राज किशोर सिंह--

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

*17--श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

[7वें शुक्रवार में ता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बाल श्रमिकों के पुनर्वास एवं कल्याण हेतु विचाराधीन परियोजना

*18—श्री रघुबर दयाल वर्मा--

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के उद्योगनगर, फिरोजाबाद में कार्यरत चूड़ी एवं कांच के कारोबार में बाल श्रमिक बड़ी संख्या में सेवारत है जिनकी संख्या कुल श्रमिकों की 35 प्रतिशत है ? यदि हां, तो क्या सरकार बाल श्रमिकों के कल्याण हेतु आश्रम पद्धति टाइप विद्यालय एवं होस्टल व बोर्डिंग श्रम मंगजीन और पुष्टाहार जैसी सुविधायें प्रदान करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सईदुल हसन--

फिरोजाबाद नगर के चूड़ी एवं कांच के कारखानों में पिछले एक वर्ष में बाल श्रमिकों की संख्या में काफी कमी आई है । वर्तमान में उक्त कारखानों में बाल श्रमिकों की संख्या लगभग नगण्य है । बाल श्रमिकों के पुनर्वास एवं कल्याण हेतु एक परियोजना तैयार की गई है, जो भारत सरकार के विचाराधीन है ।

*19—श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में अवर अभियन्ता के चयन में कथित अनियमितता की जांच करने की मांग

*20--श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 22-3-85 को सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् द्वारा सचिव, विद्युत् सेवा आयोग को एक डी0 ओ0 संख्या 1063-के (9) (ए)-13 (2)-के 182 लिखा था, जिसमें स्पस्ट रूप से कहा गया था कि विद्युत सेवा आयोग द्वारा संचालित अवर अभियंता विद्युत् यांत्रिक,इलेक्ट्रानिक के पदों हेतु साक्षात्कार के लिये एक पद पर कम से कम तीन छात्रों को बुलाया जाय इसके बावजूद विज्ञापन संख्या-ई एसटी-2/85 द्वारा विज्ञापित 150 पदों में से 50 इलेक्ट्रानिक्स के पदों हेतु लगभग 590 छात्रों को बुलाया गया दूसरी तरफ विद्युत्/यांत्रिक के 100 पदों हेतु मात्र 122 छात्रों को साक्षात्कार हेतु बुलाकर उपर्युक्त पत्र की पूर्णतः उपेक्षा की गई ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इसकी उच्चस्तरीय जांच करायेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री--

जी हां ।

अवर अभियंता विद्युत् यांत्रिक के 100 पदों पर भर्ती हेतु केवल 122 छात्र ही लिखित परीक्षा पास कर पाये थे अतः उन सभी को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया था। लिखित परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों को साक्षात्कार हेतु बुलाने का कोई औचित्य न था। इस प्रकार चयन में उपरोक्त परिषदादेशों की उपेक्षा नहीं की गई है। अतः उच्च स्तरीय जांच कराने की आवश्यकता नहीं है।

अतारांकित प्रश्न

1–2––श्री बलराम यादव––

[6वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

जनपद आगरा में बाल विकास योजनाओं पर व्यय

3––श्री चन्द्रभान मौर्य––

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाल पुष्टाहार योजना के अंतर्गत आगरा जनपद में वर्ष 1986–87 में अब तक कितना धन व्यय किया गया है ? क्या यह सही है कि इस योजना में किये गये व्यय में हजारों रुपया का घोटाला किया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी अब तक किये गये व्यय की मौके पर जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी––

पुष्टाहार योजना के अन्तर्गत आगरा जनपद में वर्ष 1986–87 में बाल विकास परियोजनाओं पर अब तक कुल 4,43,644.10 रु० व्यय किया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

4––श्री मो० अबरार अहमद––

[दिनांक 10 जुलाई, 1987 को अता० प्र० सं० 105 द्वारा उत्तरित]

5––श्री हृदय नरायन दीक्षित––

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

जनपद मैनपुरी की गांव सभा खेरिया शिकमी गोहाना की जमीन पर कथित कब्जा

6––श्री श्याम बिहारी सिंह––

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद मैनपुरी की तहसील जसराना की गांव सभा खेरिया शिकमी गोहाना के आबादी खसरा संख्या–95 पर अनाधिकार कब्जा करने के संबंध में हल्का लेखपाल व पर्यवेक्षक कानूनगो की रिपोर्ट पर तहसीलदार, जसराना ने दिनांक 28 अप्रैल, 1984 को कब्जेदार को बेदखल करते हुये जुर्माना किया था ? यदि हां, तो क्या प्रश्नगत आबादी से कब्जा हट गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य––

जी नहीं।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद आजमगढ़ के ग्राम गोपालो पट्टो में अतिक्रमण समाप्त करने सम्बन्धी पत्र

7--श्री हरिश्चन्द्र, (हरीश जी)--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की फूलपुर तहसील के ग्राम गोपालो पट्टो से खोर नं0 345 से अतिक्रमण समाप्त कराने विषयक रजिस्टर्ड पत्र संख्या 369, दिनांक 7 अक्तूबर, 1986 ई0 का उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

8--श्री हृदय नरायन दीक्षित--

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ।]

जनपद बलिया के विद्युतीकृत गांवों की संख्या

9--श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद में कुल कितने गांवों में विद्युतीकरण हो चुका है और कितने गांव इससे अभी वंचित हैं ? क्या यह सही है कि अधिकांश गांवों में विद्युतीकरण का कार्य नहीं हुआ है और उन्हें विद्युतीकृत की सूची में रखा गया है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच सदन की किसी समिति से करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

जनपद बलिया में कुल 1920 ग्रामों में से मार्च, 1987 तक केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण की परिभाषानुसार 1403 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है और 517 ग्राम अवशेष हैं । केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण की परिभाषानुसार यदि किसी ग्राम की राजस्व सीमा के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का कनेक्शन दिया जा चुका हो, तो उस ग्राम को विद्युतीकृत माना जाता है । उपर्युक्तानुसार विद्युतीकृत गांवों की सूची में कोई अविद्युतीकृत गांव नहीं है । अतः सदन की किसी समिति द्वारा जांच की आवश्यकता नहीं है ।

10--श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

[दिनांक 26-6-87 को अता0 प्र0 सं0 4 द्वारा उत्तरित ।]

11--श्री अशोक बाजपेयी--

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ।]

12--श्री मित्र सेन--

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ।]

सिंचाई विभाग में कर्मकारों के वेतन निर्धारण की नीति

13--श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

क्या श्रम मंत्री को यह ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग में दैनिक वेतन मजदूरों को शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन नीति के अनुसार भुगतान नहीं किया

आ रहा है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ? क्या मंत्री जी इसे तत्काल लागू कराने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री सईदुल हसन--

जी नहीं । सरकारी विभागों को केवल न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रवर्तन से छूट दी गई है । सिंचाई विभाग में कर्मकारों के वेतन उनके प्रशासकीय विभाग द्वारा नियत वेतन के अनुरूप दिया जाता है ।

14--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ।]

श्री नन्द कुमार श्रीवास्तव, ए0 सी0 ओ0, सकरा, बरवन, हरदोई के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर जांच कार्यवाही

15--श्री मैनेजर सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री नन्द कुमार श्रीवास्तव, ए0 सी0 ओ0 द्वारा किय गये भ्रष्टाचारों से संबंधित दिनांक 17-2-84 को एक प्रार्थना-पत्र ग्राम सकरा, परगना बरवन, जनपद हरदोई के किसानों द्वार जिलाधिकारी, हरदोई को दिया गया तथा इसी प्रार्थना-पत्र पर जिलाधिकारी हरदोई ने 17-2-84 को ही जांच के आदेश दे दिये थे ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या ह और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां । जांच में एक सहायक चकबन्दी अधिकारी को अनियमित चक निर्माण के लिए दोषी पाया गया और दंडित भी कर दिया गया ।

मेसर्स एवन प्लास्टिक कं0, हापुड़ के बकाया विद्युत् बिलों को किस्तों में भुगतान हेतु पत्र

16--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मे0 एवन प्लास्टिक कं0, हापुड़ के विद्युत् बकाया को किस्तों में वसूल करने हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र पर दिनांक 5-12-86 को उन्होंने एक आदेश पारित किया था ? क्या यह सही है कि दिनांक 4-2-87 तक अधि0 अभि0 हापुड़ द्वारा उसकी रिपोर्ट न भेजने तत्पश्चात् तथ्यों को गुमराह करते हुये रिपोर्ट भेजने के संबंध में मंत्री जी ने पुनः प्रश्नकर्ता के पत्र पर दिनांक 19-2-87 को किस्तों में बकाया की वसूली तथा अधि0 अभि0 द्वारा भेजी गयी रिपोर्ट की जांच किये जाने हेतु आदेश पारित किया था ? यदि, हां, तो उक्त जांच की क्या रिपोर्ट थी तथा उस अभि0 के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि कार्यवाही नहीं की गई, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

17--श्री राम सजीवन--

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ।]

जनपद हरदोई के ग्राम सकरा में पुनः चकबन्दी कराने के कथित आदेश

18—श्री मैनेजर सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा सकरा, परगना बरवन, जनपद हरदोई में हो रही चकबन्दी में अनियमितताओं के कारण श्री देशराज मिश्र, चकबन्दी अधिकारी, हरदोई को पुनः चकबन्दी कराने के आदेश 17-11-84 को दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या चकबन्दी में अनियमितता बरतने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध शासन स्तर से कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में पटहार जाति को पिछड़ी जातियों की सूची में सम्मिलित करने की मांग

19—श्री धनराज यादव—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जातियों की सूची में पटहार जाति का नाम नहीं है जबकि पटहार एक अत्यन्त पिछड़ी जाति है ? यदि हां, तो पटहार जाति के पिछड़ेपन को देखते हुये इन्हें पिछड़ी जाति की सूची में सम्मिलित करने का आदेश पारित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

पटहार जाति उत्तर प्रदेश की पिछड़ी जातियों की सूची में सम्मिलित नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पिछड़ी जातियों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा श्री बी० पी० मंडल की अध्यक्षता में केन्द्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था । आयोग की रिपोर्ट भारत सरकार के विचाराधीन है । उक्त रिपोर्ट पर केन्द्र सरकार द्वारा लिया गया निर्णय सम्पूर्ण देश के साथ इस प्रदेश पर भी लागू होगा । इस परिप्रेक्ष्य में प्रदेश सरकार द्वारा किसी जाति विशेष को पिछड़ी जातियों की सूची में सम्मिलित किया जाना उचित नहीं है ।

उत्तर प्रदेश विद्युत् परिषद् के घाटे को कम करने हेतु उपाय

20—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश विद्युत् बोर्ड में 1 मई, 1987 तक कुल कितने रुपये का घाटा हो चुका है ? इस घाटे के परिप्रेक्ष्य में कितनी धनराशि उपरोक्त तिथि तक ऋण के रूप में विभिन्न स्रोतों से ली जा चुकी है ? सरकार ने उपरोक्त घाटे को समाप्त करने तथा ऋण के भुगतान को सुनिश्चित करने हेतु क्या-क्या कदम उठाये हैं ? कब तक उपरोक्त बोर्ड ऋण मुक्त होकर लाभार्जन करने लगेगा ?

श्री सुनील शास्त्री—

वर्ष 1986-87 के वार्षिक लेखे अभी तैयार नहीं हैं, अतः प्रश्न में वर्णित मई, 1987 तक का घाटा व ऋण की राशि अन्तिम रूप से बतलाना इस समय सम्भव नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् घाटे को कम करने तथा ऋणों के भुगतान को सुनिश्चित करने हेतु विद्युत् उत्पादन में वृद्धि करने, प्लांट लोड फैक्टर बढ़ाने तथा वितरण व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण कर लाइन लासेज में कमी लाने में प्रयत्नशील है। परिषद् द्वारा ऋण मुक्त होकर लाभार्जन करने की समय सीमा इस समय निर्धारित करना व्यावहारिक नहीं है।

जनपद मिर्जापुर में वृहद तापीय विद्युत् परियोजना रिहन्द नगर द्वारा अधिगृहीत भूमि के मुआवजे की मांग

21—श्री विजय सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मिर्जापुर का वृहद् तापीय विद्युत् परियोजना रिहन्द नगर (बीजपुर) में ज्यादातर ऐसी भूमि अध्याप्त की गयी है जिन पर रिहन्द बांध से विस्थापित काश्तकार बसे हुये थे जिन्हें राजस्व में मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं था ? क्या यह सही है कि भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही के समय उन काश्तकारों को यह आश्वासन दिया गया था कि अगले बन्दोबस्त में इस भूमि पर सीरदारी अधिकार देकर उनको मुआवजा दिया जायेगा और उन काश्तकारों को बन्दोबस्त होने के पूर्व ही बीजपुर प्रोजेक्ट द्वारा उजाड़ दिया गया ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी उन काश्तकारों को सीरदारी अधिकार देकर उनको मुआवजा दिलाने की व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद मिर्जापुर के ग्राम बोडर, रजखड़ हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

21(अ)—श्री विजय सिंह—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के दुद्धी तहसील के ग्राम बोडर, रजखड़ हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत धनराशि स्वीकृत है ? यदि हां, तो उक्त गांवों का विद्युतीकरण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद मिर्जापुर के दुद्धी तहसील के अन्तर्गत डी० सी० एफ० कालोनी का विद्युत् कनेक्शन

22—श्री विजय सिंह—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के तहसील दुद्धी के डी० सी० एफ० कालोनी में रह रहे किरायेदारों ने कई बार विद्युत् निरीक्षक सहायक अभियन्ता और अधिशासी अभियन्ता, मिर्जापुर को मौखिक व लिखित प्रार्थना-पत्र देकर व्यक्तिगत कनेक्शन देने का निवेदन किया था और उन्हें यह कह कर कनेक्शन

नहीं दिया गया कि डी0 सी0 एफ0 संस्था के ऊपर विद्युत् बिल बाकी है फिर उस कालोनी में श्री गौतम को व्यक्तिगत नाम से कनेक्शन किस आधार पर दिया गया है। क्या उसी तरह अन्य किरायेदारों को भी व्यक्तिगत कनेक्शन दिलवायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

जनपद मिर्जापुर के दुद्धी तहसील के अन्तर्गत डी0 सी0 एफ0 कालोनी में रह रहे किरायेदार न तो सम्बन्धित अधिकारी से विद्युत् कनेक्शन हेतु मिले और न ही कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ जिससे उन्हें विद्युत् कनेक्शन देने की कार्यवाही की जा सकती। जहां तक श्री गौतम को व्यक्तिगत नाम से कनेक्शन देने का प्रश्न है वह विद्युत परिषद् के नियमों के अनुसार ही दिया गया है क्योंकि श्री विनायक राव, प्रधानाचार्य, राजकीय इन्टर कालेज को जिस क्वार्टर में बत्ती एवं पंखा का कनेक्शन दिया गया था वह डी0 सी0 एस0 कार्यालय के कनेक्शन में सम्मिलित नहीं था, अतः श्री राव के स्थानान्तरण के पश्चात् श्री गौतम को उसी क्वार्टर में बत्ती एवं पंखा हेतु व्यक्तिगत कनेक्शन दे दिया गया है। डी0 सी0 एफ0 कार्यालय पर विद्युत् परिषद् का रु0 1791·78 बकाया है जिस कारण उसे विद्युत् कनेक्शन नहीं दिया जा सकता है, कार्यालय से अलग किसी भी परिसर में वैध रूप से रहने वाले को उसके नाम से व्यक्तिगत कनेक्शन दिया जा सकता है।

जनपद मिर्जापुर के तहसील दुद्धी के गांवों का विद्युतीकरण

23--श्री विजय सिंह--

क्या ऊर्जा मन्त्री बतानें की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के दुद्धी तहसील के कितने गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है, उसमें से किन-किन गांवों में लाइट एवं पावर कनेक्शन कितने-कितने लोगों को दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या विद्युतीकृत गांवों में 10-10 बल्ब लगाये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

सूचना एकत्र की जा रही है।

24--श्री शारदानन्द अंचल--

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया।]

25--श्री सै0 जावेद अली--

[7वें मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 129 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

26--श्री काशी सिंह ऐरी--

[6वें शुक्रवार के लिए स्थगित।]

जनपद नैनीताल के लघु पन विद्युत् परिकल्प की व्यवस्था

27--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या ऊर्जा मन्त्री को ज्ञात है कि 1982 के बाद नैनीताल (मुख्यालय) में लघु-पन विद्युत् परिकल्प मण्डल की स्थापना कर वहां तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी ? यदि हां, तो इन कर्मचारियों को अगस्त, 1986 में एक मुस्त देहरादून स्थानान्तरित करने के क्या कारण हैं। क्या यह सही है कि इस प्रकार पूर्ण स्थापित परिकल्प मण्डल के व्यवस्थित कार्य करने में बाधा उत्पन्न हुई है ? यदि हां, तो

सरकार ने उपरोक्त लघु पन विद्युत् परिकल्प को व्यवस्थित रूप से लगातार चालू रहने के लिए क्रमशः क्या-क्या कार्यवाही की है ! यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद पिथौरागढ़ के विद्युतीकरण के मानकों में परिवर्तन हेतु संयोजक का कथित ज्ञापन

28--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या ऊर्जा मन्त्री को जनपद पिथौरागढ़ की मुनस्यारी तहसील में भ्रमण के अवसर पर उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के जनपद संयोजक की ओर से पर्वतीय क्षेत्र में विद्युतीकरण के मानकों को अतिशीघ्र परिवर्तित करने के लिये ज्ञापन दिया गया था ? यदि हां, तो इस सन्दर्भ में दिनांक 1-3-87 तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

प्रश्न में उल्लिखित उत्तराखण्ड क्रान्तिदल के जनपद संयोजक का ज्ञापन उपलब्ध न होने के अभाव में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी है ।

29--श्री काशी सिंह ऐरी--

[6वें बुधवार में अता० प्र० सं० 57 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् उत्पादन निगम की प्रगति

30--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् उत्पादन निगम की स्थापना से लेकर आज तक इस निगम में कुल कितना व्यय किया गया है तथा कितना विद्युत् उत्पादन हुआ है ? विद्युत् उत्पादन कब तक प्रारम्भ हो जायेगा तथा उत्पादन प्रारम्भ होने के समय निगम द्वारा उत्पादित विद्युत् पर प्रति यूनिट उत्पादन लागत क्या आयेगी ?

श्री सुनील शास्त्री--

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् उत्पादन निगम की स्थापना से लेकर माह जून, 1987 तक इस निगम द्वारा फिरोज गांधी ऊंचाहार ताप विद्युत् परियोजना के निर्माण पर रुपये 398·45 करोड़ व्यय किये गये हैं । अभी उक्त ताप विद्युत् परियोजना निर्माणाधीन है । अतः निगम द्वारा कोई विद्युत् उत्पादन नहीं किया गया है , फिरोज गांधी ऊंचाहार ताप विद्युत् गृह की 210-210 मेगावाट प्रति की दो इकाइयों में से पहली इकाई वित्तीय वर्ष 1987-88 के अन्तिम तिमाही म चालू हो जाने की सम्भावना है । यह बतला पाना अभी संभव नहीं है कि निगम द्वारा उत्पादित विद्युत् की प्रति यूनिट उत्पादन लागत क्या आयेगी ।

विद्युत् विभाग द्वारा काश्तकार को सुविधा एवं मार्ग अनुसार नलकूप कनेक्शन

31--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद बरेली में एवं अन्यत्र निजी नलकूपों को ऊर्जीकृत करने के लक्ष्य पूरे करने इसलिए कठिन हो गये हैं क्योंकि छोटी-छोटी

जोतों पर लगे हुए बोरिंग पर पांच अश्व शक्ति के कनेक्शन कृषक के लिए बहुत महंगे हैं तथा विद्युत् परिषद् उन्हें तीन अश्व शक्ति का कनेक्शन नहीं देती है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी तीन अश्व शक्ति के कनेक्शन कृषकों के पम्प सेटों के लिए देकर ग्रामीण विद्युतीकरण को बढ़ावा देने तथा डीजल पर व्यय हो रही विदेशी मुद्रा की बचत में योगदान देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

बरेली जनपद के लिये वर्ष 1986–87 में 270 निजी नलकूप पम्प सेट के ऊर्जीकरण का लक्ष्य नियत किया गया था । जिसे निर्धारित अवधि के भीतर सुगमता से पूर्ण कर दिया गया । इन कनेक्शनों में 36 ऐसे कनेक्शन हैं जिनमें से 3 अश्व शक्ति भार के हैं । परिषद् कृषको के मांगने पर 3 अश्व शक्ति भार के कनेक्शन देता आ रहा है । बहुत से अधिक भार के कनेक्शन लेते हैं । नलकूप कनेक्शन काश्तकार की सुविधा और मांग के अनुसार दिये जा रहे हैं । यह कहना उचित नहीं है कि 3 अश्वशक्ति भार के कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं ।

श्रीमती फूल कुमारी विधवा स्व0 बृजेश, बेगमबाग, मेरठ का न्यायालय के विचाराधीन भूमि सम्बन्धी मामला

32—श्री कल्यान सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित दिनांक 13 मार्च, 1987 का श्रीमती फूल कुमारी विधवा स्व0 बृजेश कुमार, एडवोकेट मं0 नं0 611, मोहल्ला बेगमबाग, मेरठ का कोई प्रार्थना–पत्र सरकार को प्राप्त हुआ है, जिसमें इन्होंने ग्राम अनवरपुर, तहसील हापुड़, जिला गाजियाबाद में अपनी भूमि के सम्बन्ध में जिला गाजियाबाद के चकबन्दी अधिकारियों द्वारा गत लगभग 14 वर्षो से अन्याय और अत्याचार किये जाने के गम्भीर आरोपों का उल्लेख किया है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की है ? जिला गाजियाबाद के चकबन्दी अधिकारियों के यहां 14 वर्षों की अवधि से विलम्बित इनके मामले में निर्णय न किए जाने के क्या कारण हैं ? निर्णय कब तक कर दिया जायेगा ? इस विलम्ब के लिये कौन–कौन अधिकारी दोषी हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां ।

उक्त शिकायती–पत्र उप संचालक चकबन्दी, गाजियाबाद को जांच हेतु भेजा गया है ।

चकबन्दी अधिकारी, हापुड़ द्वारा सम्बन्धित वाद दिनांक 16–4–79 को निस्तारित किया गया था । प्रतिपक्षी द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 17 मार्च, 80 को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड की गई । विपक्षी द्वारा बार–बार समय बढ़वाये जाने के कारण निस्तारित नहीं हो सका ।

न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत उक्त वाद के शीघ्र निस्तारण हेतु आवश्यक निदेश दिये जा चुके हैं ।

कोई अधिकारी दोषी नहीं है क्योंकि समय विपक्षी बार–बार बढ़वा रहे हैं ।

जनपद बाराबंकी के हरिजन बस्ती अमोनी के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में पत्र

33—श्री कल्यान सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन ऊर्जा मंत्री ने दिनांक 1 जून, 1985 को बाराबंकी जिले के अधिशासी अभियन्ता विद्युत् को अपने कार्यालय के

पत्र सं0 217/वी0 आई0 पी0/85 द्वारा यह आदेश दिया था कि बाराबंकी जिले के ग्राम अमोनी, पो0 रामपुरजनक की हरिजन बस्ती में शीघ्र विद्युतीकरण कराया जाय ? यदि हां, तो अभी तक शासन द्वारा उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या ग्राम अमोनी में बिजली लग गयी है ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है और बिजली कब तक लग जायेगी ?

श्री सुनील शास्त्री—

उ0 प्र0 राज्य विद्युत् परिषद् से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद बाराबंकी के ग्राम अमोनी, पो0 रामपुरजनक की हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में तत्कालीन माननीय ऊर्जा मंत्री जी का पत्र सं0 217–वी0 आई0 पी0/85, अधिशासी अभियंता, विद्युत् वितरण खण्ड, बाराबंकी के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ । यह ग्राम विकास खंड रुदौली की ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की योजना में विद्युतीकरण हेतु सम्मिलित नहीं है । अतः इसका विद्युतीकरण राज्य सामान्य योजना में होना है जिसमें कि एल0 टी0 लाइन बिछाकर विद्युतीकरण करने की अनुमानित लागत पर ग्रामवासियों के कनेक्शन लेने हेतु प्रार्थना-पत्रों के आधार पर 15 प्रतिशत वार्षिक प्रतिलाभ प्राप्त होना आवश्यक है । अभी तक ग्राम के किसी निवासी ने कनेक्शन हेतु आवेदन-पत्र नहीं दिया है । ग्राम एवं उसकी हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण आवेदन-पत्रों के आधार पर आवश्यक प्रतिलाभ प्राप्त होने पर संभव हो सकेगा ।

34—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया)

जनपद उन्नाव के ग्राम रंकड़ में ग्राम समाज की भूमि पर कथित अनधिकृत कब्जा

35—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या राजस्व मन्त्री को जानकारी है कि ग्राम रंकड़, तहसील पुरवा, जिला उन्नाव में गंगा सागर यादव उर्फ टोडी व शीतला यादव पुत्रगण श्री कृपा यादव, 115–डी में जुर्माना तथा बेदखल होने पर भी ग्राम समाज की भूमि पर अनधिकृत कब्जा किये हुये हैं ? यदि हां, तो सरकार अनधिकृत कब्जे के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी के ग्राम अमोनी के विद्युतकरण के सम्बन्ध में पत्र

36—श्री कल्यान सिंह—

क्या ऊर्जा मन्त्री को 30–5–85 को ग्राम अमोनी, डा0 रामपुरजनक, जिला बाराबंकी के हरिजनों द्वारा हस्ताक्षरित पत्र मिला जिस पर ऊर्जा मन्त्री जी ने अधिशासी अभियन्ता, विद्युत्, बाराबंकी को यह आदेश दिया था कि हरिजन गांव अमोनी, डा0 रामपुर जनक, जिला बाराबंकी का शीघ्र विद्युतकरण करें ? क्या यह आदेश आपके कार्यालय के पत्र संख्या 217/बी0 आई0 पी0/85 द्वारा दिया गया था ? यदि हां, तो उसका परिपालन न होने का क्या कारण है और उक्त गांव में कब तक बिजली लग जायेगी ?

श्री सुनील शास्त्री--

प्रश्नगत संदर्भ अभिलेखानुसार प्राप्त नहीं हुआ है । जहां तक उक्त ग्राम के विद्युतीकरण का प्रश्न है, ग्राम अमोनी, विकास खंड रुदौली की स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की योजना में सम्मिलित नहीं है । राज्य सामान्य योजना के अन्तर्गत एल0 टी0 लाइन बिछाकर ग्राम का विद्युतीकरण करने के लिये अनुमानित लागत पर ग्रामवासियों के कनेक्शन लेने हेतु प्रार्थना-पत्रों के आधार पर 15 प्रतिशत वार्षिक प्रतिलाभ प्राप्त होना आवश्यक है । अभी तक ग्राम के किसी निवासी ने कनक्शन हेतु आवेदन-पत्र नहीं दिया है । ग्राम एवं उसकी हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण आवेदन-पत्रों के आधार पर आवश्यक प्रतिलाभ सुनिश्चित होने पर सम्भव हो सकेगा ।

37--श्री विक्रमादित्य पाण्डे--

[दिनांक 26 जून, 1987 को अतारांकित प्रश्न संख्या 42 द्वारा उत्तरित]

38--श्री रेवतीरमण सिंह--

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

39--श्री रामनरेश यादव--

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

40--श्री शारदानन्द अंचल--

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

41--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

42--श्री हृदय नारायन दीक्षित--

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

जनपद गाजीपुर के ग्राम सभा बढ़नपुरा की ग्राम समाज की भूमि का आवंटन

43--श्री अफजाल अंसारी--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम सभा बढ़नपुरा में मौजा बढ़नपुरा की आराजी नं0 249 व 244 व 246 जो कि सुरक्षित हरिजन आबादी है और भूमि प्रबन्धक समिति ने हरिजनों के हक में प्रस्ताव भी कर दिया है ? यदि हां, तो किन कारणों में उक्त सुरक्षित आबादी पर नायब तहसीलदार ने किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा करा दिया है ? क्या इस विषय में शिकायती-पत्रों पर दिनांक 20 फरवरी, 1987 को परगना अधिकारी, मुहम्मदाबाद व 24 फरवरी, 1987 और 27 फरवरी, 1987 को ए0 डी0 एम0 राजस्व ने तथा 23 मार्च, 1987 और 30 मार्च 1987 को जिलाधिकारी गाजीपुर ने परगनाधिकारी तथा थाना अध्यक्ष भांवरकलि को निर्देश भी दिए ? यदि हां, तो आदेश की उपेक्षा करके किस स्वार्थ से लेखपाल, कानूनगो तथा नायब तहसीलदार ने उक्त आराजी पर गैर हरिजन व्यक्ति का कब्जा करा दिया ? अब तक इस विषय में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जी नहीं ।

केवल आराजी नं0 249 हरिजन आबादी हेतु सुरक्षित थी, जिसका आवंटन भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव दिनांक 25 जनवरी, 1976 तथा परगनाधिकारी के अनुमोदन दिनांक 25 फरवरी, 1976 द्वारा श्री बाबूलाल पुत्र श्री विशम्भर हरिजन को कब्जा दखल दे दिया गया था ।

आराजी नम्बर 244 मौके पर गड्ढा ह और अब भी खाली है । आराजी खतौनी में नं0 246 सुरक्षित हरिजन आबादी की भूमि नहीं है, बल्कि नवीन परती के रूप में खतौनी में दर्ज है । आराजी नं0 244 एवं 246 को आवंटित करने हेतु भूमि प्रबन्धक समिति का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं है । खसरा नं0 246 की दो बिस्वा परगनाधिकारी के आदेश 31 जनवरी, 1987 द्वारा आबादी की श्रेणी में दर्ज हो गया है । 246 का शेष दो बिस्वा ग्यारह धूर क्षेत्रफल पर अतिक्रमण हुआ है । अतिक्रमणकर्ता की बेदखली का मुकदमा धारा 122-बी के अन्तर्गत तहसीलदार के न्यायालय में विचाराधीन है । नायब तहसीलदार द्वारा इन भूखण्डों में से किसी पर अन्य व्यक्ति का कब्जा नहीं कराया गया है । इस विषय में शिकायती पत्रों की जांच के आदेश परगना अधिकारी, मुहम्मदाबाद, मुख्य राजस्व अधिकारी, गाजीपुर तथा जिलाधिकारी, गाजीपुर ने दिये थे । इन आदेशों की उपेक्षा नहीं की गयी बल्कि जांच कराई गई और जांच में पाया गया कि लेखपाल, कानूनगो तथा नायब तहसीलदार द्वारा उक्त आराजी पर किसी गैर हरिजन का कब्जा नहीं कराया गया है । जांच में पाया गया कि गाटा संख्या 249 के आवंटी ने आवंटित भूमि का कब्जा अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित कर दिया है । चूंकि यह हस्तान्तरण अनियमित है, इसलिए गाटा संख्या 249 के निरस्त करने की कार्यवाही की गयी है ।

44--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

[दिनांक 3-7-87 को अता0 प्र0 सं0 161 द्वारा उत्तरित]

45--श्री राम आसरे वर्मा--

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

46-47--कुंवर रेवती रमण सिंह--

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

जनपद देवरिया के विकास खंड, पथरदेवा तथा देसही के विद्युतीकरण की मांग

48--श्री सूर्य प्रताप शाही--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के विकास खंड, पथरदेवा तथा देसही देवरिया में वर्ष 1980 से अब तक कितने गांवों का ऊर्जीकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण योजना या अन्य योजनाओं के माध्यम से किया गया ? इन विकास खंडों में गांवों के उर्जीकरण न किये जाने के कारण क्या हैं तथा इन विकास खंडों का भी समुचित विकास हो सके इसके लिए गांवों के विद्युतीकरण के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री सुनील शास्त्री--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद पीलीभीत में प्यूरिया के निकट बंगाल से आये विस्थापितों के पट्टे

49--डा0 दिनेश जौहरी--

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद पीलीभीत में प्यूरिया के निकट ग ाल से आये विस्थापितों को कई वर्ष पूर्व पांच एकड़ भूमि दी गयी थी एवं उसी के

अन्तर्गत बहुरिया कालोनी में श्री बलराम मण्डल के परिवार को भी पांच एकड़ भूमि मिली थी किन्तु परिवार के सभी सदस्यों के नाम पट्टों पर नहीं चढ़े होने के कारण उन्हें मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा है एवं एक सदस्य श्री पालम सरदार को जबरिया उसकी भूमि को मिल्कियत से वंचित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी पालम सरदार को उसके परिवार के मुखिया के माध्यम से मिली भूमि में हिस्सा दिलाने एवं उसका नाम पट्टों पर चढ़ाने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां, पट्टे के प्रारूप में केवल परिवार के मुखिया का ही नाम अंकित किए जाने का प्राविधान होने के कारण केवल मुखिया का ही नाम अंकित किया गया था। इसी परिवार के तथाकथित एक सदस्य श्री पालम सरदार को भूमि की मिल्कियत से वंचित नहीं किया गया है बल्कि उसका नाम राजस्व अभिलेखों में सह-खातेदार के रूप में अंकित किये जाने हेतु आवश्यक निर्देश तहसीलदार, पीलीभीत को दे दिये गये हैं।

हरदोई विद्युत् वितरण खण्ड के अवर अभियन्ता की वार्षिक वेतन-वृद्धि में रुकावट

50—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्प्रति हरदोई विद्युत् वितरण खण्ड में कार्यरत ऐसे अवर अभियन्ता कौन-कौन हैं जिनको वर्ष 79 के बाद से अब तक वेतन की वार्षिक वृद्धियां नहीं प्राप्त हुई हैं ? वार्षिक वृद्धियां प्राप्त न होने के क्या कारण हैं ? यह कब तक प्राप्त हो जायेंगी ? क्या यह सही है कि किसी अवर अभियन्ता की सेवा पुस्तिका गायब कर दी गई है ? यदि हां, तो किसकी तथा उनकी द्वितीय सेवा पुस्तिका कब तक तैयार हो जायेगी ?

श्री सुनील शास्त्री—

हरदोई विद्युत् वितरण खण्ड में कार्यरत केवल एक अवर अभियन्ता (श्री हरीश नारायण सेठ) हैं जिनको वर्ष 1979 के बाद से अभी तक वेतन की वार्षिक वृद्धियां प्राप्त नहीं हुई हैं। वार्षिक वृद्धियां प्राप्त न होने का कारण यह है कि श्री हरीश नारायण सेठ लखीमपुर-खीरी से स्थानान्तरित होकर हरदोई आए थे। उनकी सेवा पुस्तिका डाक द्वारा लखीमपुर से भेजी गयी जो हरदोई में प्राप्त नहीं हुई। डाक में सेवा-पुस्तिका खो जाने के कारण वेतन वृद्धियां रुकी हुई हैं। सेवा पुस्तिका की प्रविष्टियां सभी सम्बन्धित खण्डों से पूर्ण कराई जा रही हैं तथा इसके पूर्ण होने के पश्चात् वार्षिक वृद्धियां उनको प्राप्त हो जायेंगी।

जी नहीं।

स्थिति ऊपर अंकित की जा चुकी है।

प्रमुख अभियन्ता विद्युत् विभाग में साउन्ड सिस्टम आपरेटर का कथित पद सृजन

51—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता विद्युत् विभाग के ऐसे आदेश हैं कि उन साउन्ड सिस्टम मशीनों पर कार्यरत साउन्ड सिस्टम दैनिक वेतन आपरेटरों को कार्य प्रभारित अधिष्ठान में ले लेना चाहिए जिन्हें कार्य करते हुए 3 माह से अधिक हो चुके हैं तथा जिनकी आवश्यकता आगे भी हो ? यदि हां, तो ऐसे कितने साउण्ड सिस्टम आपरेटर हैं जिन्हें 3 माह पूरे होने के पश्चात् कार्य प्रभारित अधिष्ठान में ले लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

9127

श्री सुनील शास्त्री--

राज्य विद्युत् परिषद् वे प्राप्त सूचना के अनुसार परिषद् के अन्तर्गत साउन्ड सिस्टम आपरेटर नाम से कोई पद सृजित नहीं है ।

ग्राम अर्श (सीतापुर) के श्री नन्द लाल एवं उनकी पत्नी तथा बलों को बिजली के तार से घातक दुर्घटना में क्षतिपूर्ति

52--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

विधान सभा के प्रथम सूत्र 1987 के प्रथम शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 8 के उत्तर के बारे में क्या उर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्षेत्रीय समिति से उनका तात्पर्य किस समिति से है ? अधिशासी अभियन्ता, वि० वि० खण्ड, सीतापुर से सहायता देने हेतु प्रस्ताव कब मिला तथा वांछित कार्यवाही पूर्ण करके भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री सुनील शास्त्री--

क्षेत्रीय समिति से तात्पर्य अनुग्रह क्षतिपूर्ति की संस्तुति हेतु गठित विभागीय क्षेत्रीय समिति से है जिसके सदस्य मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता होते हैं । क्षेत्रीय समिति की संस्तुति के आधार पर मृतक श्री नन्द लाल तथा उसकी पत्नी श्रीमती रानी देवी के वैध आश्रितों को रुपये पांच-पांच हजार की अनुग्रह क्षतिपूर्ति की स्वीकृति परिषदादेश संख्या 2774-ई०ए०/राविप (औस-18)/87 एवं संख्या 2775-ई० ए०/राविप (औस-18)/87, दिनांक 14 जुलाई, 1987 द्वारा कर दी गयी है ।

जनपद मुरादाबाद के ब्लाक अमरोहा, जोया व छजलेट में आवासीय भूमि का आवंटन

53--हाजी मोहम्मद हयात--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के ब्लाक अमरोहा, ब्लाक जोया व ब्लाक छजलेट में प्रति ब्लाक कितनी भूमि आवास हेतु वर्ष 1984-85 व 1985-86 में आवंटित की गयी है ? यह भूमि किन-किन व्यक्तियों को किन-किन ग्रामों में दी गयी है तथा कितने व्यक्तियों को कब्जे मिल गये हैं तथा कितने व्यक्तियों को अभी तक कब्जे नहीं मिल पाये हैं ? कब्जे न मिलने के क्या कारण हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जनपद मुरादाबाद के ब्लाक अमरोहा में वर्ष 1984-85 में 254 व्यक्तियों को 6.12 एकड़, ब्लाक जोया में 331 व्यक्तियों को 7.52 एकड़ तथा ब्लाक छजलेट में 93 व्यक्तियों को 2.59 एकड़ भूमि आवास स्थल हेतु आवन्टित की गयी है । वर्ष 1985-86 में ब्लाक अमरोहा में 147 व्यक्तियों को 4.11 एकड़, ब्लाक जोया में 66 व्यक्तियों को 1.82 एकड़ तथा ब्लाक छजलेट में 163 व्यक्तियों को 3.44 एकड़ भूमि आवास स्थल हेतु आवन्टित की गयी है । समस्त आवन्टियों को मौके पर कब्जा दिला दिया गया है । आवन्टियों की ब्लाकवार एवं ग्रामवार सूची राजस्व राज्य मन्त्री जी के कार्यालय में देखी जा सकती है ।

54--श्री मुनियाद हुसैन अंसारी--

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ।]

55--श्री बुनियाद हुसैन अंसारी--

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ।]

56--श्री अफजाल अंसारी--

[6वें शुक्रवार के लिए स्थगित ।]

57--श्री राज किशोर सिंह--

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ।]

57-अ--श्री राज किशोर सिंह--

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ।]

58-59--श्री राम सजीवन--

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ।]

गृह जनपद फैजाबाद में लम्बी अवधि तक कार्यरत जूनियर इन्जीनियर

60--श्री सन्तोष चतुर्वेदी--

क्या सरकार को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के अन्तर्गत जनपद फैजाबाद में ऐसे कितने जूनियर इन्जीनियर हैं जो कि विगत 5 वर्षों या अधिक समय से अपने गृह जनपद फैजाबाद में ही कार्यरत हैं ? क्या सरकार ऐसे सभी इन्जीनियर्स का स्थानान्तरण जनपद फैजाबाद के बाहर करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

फैजाबाद जनपद में 16 जूनियर इन्जीनियर हैं जो कि विगत 5 वर्षों या अधिक समय से अपने गृह जनपद फैजाबाद में कार्यरत हैं । परिषद् द्वारा कार्यहित को दृष्टिगत करते हुये यथासमय उनके स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा ।

इलाहाबाद विद्युत् प्रदेय उपक्रम में लाइन लास

61--श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 में इलाहाबाद विद्युत् प्रदेय उपक्रम में कितना लाइन लास हुआ तथा इससे विद्युत् परिषद् को कितना आर्थिक क्षति हुई एवं इसके लिये जिम्मेदार विभागीय अधिकारी के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री बदरुद्दीन, ग्राम सुतारी, विकास खंड बुलन्दशहर के नाम फर्जी बिल

62--श्री किरन पाल सिंह--

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बदरुद्दीन पुत्र श्री जीवन खां, निवासी ग्राम सुतारी, विकास खंड बुलन्दशहर को बिना कनेक्शन लिये ही 1-4-1986 से 5 हार्स पावर के नलकूप का (बिल नं0 125/428/3) बकाया भुगतान हेतु फर्जी तरीके से तहसील बुलन्दशहर में वसूली के लिए भेज दिया है ? यदि हां, तो दोषी विद्युत् अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

63--श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

64--श्री राम सजीवन--

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

65--श्री चन्द्रभान मौर्य--

[6वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

श्री हरे लाल, ग्राम रहनकलां, कुबेरपुर, आगरा के भूमि की नियमित नीलामी

66--श्री चन्द्र भान मौर्य--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि हरे लाल पुत्र मोजीराम, निवासी ग्राम रहनकलां मौजा कुबेरपुर, तहसील एतमादपुर, जिला आगरा की भूमि, जो ट्रैक्टर के कर्जे के सम्बन्ध में सेन्ट्रल बैंक आफ इन्डिया कमला नगर आगरा में बंधक थी, की नीलामी हरे लाल को बिना सूचित किये, बिना घोषणा पत्र जारी किये, और बिना समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये और बिना चल सम्पत्ति की नीलामी कराये तहसीलदार एतमादपुर (श्री राम औतार गुप्ता) ने सीधे अपने रिश्तेदार श्री ओम प्रकाश गोयल, निवासी आगरा के परिवार के किसी सदस्य के नाम, जिसकी मौजूदा बाजार कीमत 5 लाख रु० से भी अधिक है, सिर्फ 78 हजार रुपया में नीलाम कर दी ? यदि हां, तो उक्त तहसीलदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

प्रश्नगत वसूली के सम्बन्ध में बाकीदार की अचल सम्पत्ति की नीलामी के पूर्व उसे गिरफ्तार कर 14 दिन हवालात में बन्द किया गया था । नीलामी के पूर्व बाकीदार को नोटिस भी दिया गया था तथा घोषणा पत्र भी जारी किया गया था, जिस पर बाकीदार ने हस्ताक्षर करने से मनाकर दिया था । घोषणा पत्र का प्रकाशन समाचार पत्र में कराना अनिवार्य नहीं है क्रेतागण के नीलामी अधिकारी के रिश्तेदार होने के सम्बन्ध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः नीलाम अधिकारी/तहसीलदार के विरुद्ध किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

जनपद फर्रुखाबाद के विकास खंड रामपुर में विद्युत् आपूर्ति व्यवस्था

67--श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के सर्वाधिक पिछड़े विकास खंड राजेपुर में विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु क्षेत्र के ग्राम अमृतपुर में 33/11 के० वी० के एक विद्युत् सब स्टेशन की स्थापना हेतु सर्वेक्षण करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

जनपद फर्रुखाबाद के विकास खंड राजेपुर क्षेत्र मे विद्युत् आपूर्ति हेतु राजेपुर में 1500 के० वी० ए० क्षमता का 33/11 के० वी० विद्युत् उपकेन्द्र पूर्व मे ही स्थापित किया जा चुका है जिस पर अधिकतम विद्युत् भार क्षमता का लगभग 50 प्रतिशत ही

है । ग्राम अमृतपुर में वर्तमान स्थिति में 63 के0 वी0 ए0 11/4 के0 वी0 का ट्रान्सफार्मर लगा हुआ है तथा अधिकतम विद्युत् भार ट्रान्सफार्मर की क्षमता से कम है । उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये तथा ग्राम अमृतपुर 33/11 के0 वी0 विद्युत् उपकेन्द्र, राजेपुर से केवल 12 किलोमीटर की दूरी पर होने की स्थिति में, मामले के परीक्षण करने पर अमृतपुर में 33/11 के0 वी0 विद्युत् उपकेन्द्र की स्थापना की आवश्यकता नहीं पायी गयी ।

प्रदेश में विद्युत् अभियन्त्रण में डिप्लोमा धारियों की कुल संख्या एवं चयन संख्या

68--श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के दूसरे शुक्रवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या--14 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या विद्युत मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जून, 85 तक प्रदेश में पंजीकृत बेरोजगार विद्युत् अभियन्त्रण में डिप्लोमा धारियों की संख्या क्या थी एवं विगत पांच वर्षों में विद्युत् सेवा आयोग द्वारा कितने डिप्लोमाधारियों का चयन कर उनको नियुक्ति की गयी ?

श्री सुनील शास्त्री--

वार्षिक परिलेखों के अनुसार दिसम्बर, 1985 तक प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों की सक्रिय पंजिका पर कुल 9681 विद्युत् अभियन्त्रण में डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी उपलब्ध थे ।

विद्युत् सेवा आयोग द्वारा विगत पांच वर्षों में 304 डिप्लोमाधारियों का चयन किया गया जिनको नियुक्ति आदेश दिये गये हैं ।

जनपद उन्नाव के श्रम कार्यालय को शहर के मुख्य मार्ग में स्थापित करने की मांग

69--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि जनपद उन्नाव में श्रम कार्यालय और श्रम हितकारी केन्द्र श्रमिक बस्तियों से दूर एवं शहर के मुख्य मार्ग से भी दूर हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी उक्त कार्यालयों को श्रमिक बस्तियों के निकट अथवा मुख्य मार्ग पर खोलने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सईदुल हसन--

जनपद उन्नाव के मुख्य भाग में समुचित स्थान न मिल पाने के कारण श्रम अधिकारी कार्यालय तथा श्रम कल्याण केन्द्र, सिविल लाइन्स स्थित किराये के भवन में कार्यरत है । सम्बन्धित अधिकारी उक्त दोनों कार्यालयों हेतु शहर के मुख्य भाग में समुचित स्थान की तलाश में हैं ।

जनपद उन्नाव के ग्राम रैकड़ की विद्युत् व्यवस्था

70--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रैकड़, तहसील पुरवा, जनपद उन्नाव में विद्युतीकरण हेतु 16 खम्भे स्वीकृत हुए थे ? यदि हां, तो क्या उक्त खम्भे लगा दिये गये है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी उक्त खम्भों को तत्काल लगवाने की व्यवस्था करने का कष्ट करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री--

जनपद उन्नाव, तहसील पुरवा के अन्तर्गत ग्राम रैकड़ में विद्युतीकरण हेतु एच0 टी0 लाइन, सब-स्टेशन, 12 खम्भों की एल0 टी0 लाइन तथा हरिजन बस्ती का प्राक्कलन स्वीकृत किया गया था । ग्राम के विद्युतीकरण हेतु एच0 टी0 लाइन, सब-स्टेशन का निर्माण किया जा चुका है. हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण करके बल्ब भी लगा दिये गये हैं । लेकिन ग्राम में विद्युत् कनेक्शन हेतु कोई भी ग्रामवासी इच्छुक न होने के कारण एल0 टी0 लाइन के लिये खम्भे नहीं लगाये जा सके । ग्रामवासियों द्वारा विद्युत् कनेक्शन लेने हेतु आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण करने पर ही खम्भे लगाये जा सकेंगे ।

71--श्री हाजी मोहम्मद हयात--

[6वें शुक्रवार के लिए स्थगित ।]

72--श्री राकेश धर त्रिपाठी--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

श्री काले सिंह/नेत्र राम, ग्राम ततारपुर, गाजियाबाद की अधिग्रहीत भूमि के मामले पर प्रतिकर निर्णय विचाराधीन

73--श्री कनक सिंह--

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि श्री काले सिंह/नेत्रराम, निवासी ग्राम ततारपुर, तह0 हापुड़, जिला गाजियाबाद की पूरी जमीन मण्डी समिति हापुड़ में अधिग्रहीत की गयी थी और क्या यह भी सही है कि तत्कालीन पटवारी, श्री नरेश चन्द्र, कार्यालय तहसीलदार, हापुड़ ने फर्जी काले सिंह को खड़ा कर 60060·38 रु0 स्टेट बैंक मेरठ से 28 सितम्बर, 1977 को निकाल लिया था और क्या यह मामला एस0 एल0 ओ0, गाजियाबाद के विचाराधीन है ? यदि हां, तो 10 वर्ष से अधिक हो जाने के बाद भी निर्णय क्यों नहीं हो पाया तथा कब तक निर्णय कर दिया जायेगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जी हां ।

श्री काले सिंह पुत्र नेत्र राम को 7-16-0 बीघा भूमि मण्डी समिति, हापुड़ हेतु अर्जित की गयी थी । उपरोक्त काले सिंह की अर्जित भूमि का प्रतिकर रु0 60060·38 रुपया नियमानुसार दिनांक 28 सितम्बर, 1977 को ग्राम ततारपुर के लेखपाल श्री नरेश चन्द्र की शिनाख्त पर वितरित किया गया, परन्तु बाद में एक काले सिंह पुत्र नेत्रराम ने एक प्रार्थना-पत्र दिया कि जो काले सिंह भुगतान ले गया है वह फर्जी था । जांचोपरान्त ज्ञात हुआ कि फर्जी व्यक्ति को प्रतिकर का भुगतान कर दिया गया है । फलस्वरूप लेखपाल व पार्टी के विरुद्ध धारा 409/420 आई0 पी0 सी0 के अन्तर्गत वाद दायर किया गया, जो अभी न्यायालय के विचाराधीन है ।

प्रदेश के तहबीलदारों (खजान्ची) का स्थायीकरण

74--श्री अफजाल अंसारी--

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के उप कोषागारों में बीस वर्ष से अधिक कार्यरत संग्रह तहबीलदारों (खजान्ची) को संग्रह विभाग के अन्य कर्मचारियों

[श्री अफजाल अंसारी---]

की भांति राज्य कर्मचारी घोषित करने तथा स्थायी करने पर शासन विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो राजकीय धन संग्रह का कार्य गैर सरकारी माध्यम से कराने और इन कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारी घोषित न करने का क्या औचित्य है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

एकीकृत संग्रह योजना के अन्तर्गत संग्रह तहबीलदारों को संग्रह विभाग के अन्य कर्मचारियों की भांति राज्य कर्मचारी माना जाता है तथा 12 संग्रह तहवीलदारों के पद स्थायी भी किये जा चुके हैं ।

जनपद गोरखपुर के ग्राम सहुआपार टोला, रूई बुजुर्ग, तप्पा कुरमोट के प्रधान के विरुद्ध शिकायती-पत्र

75--श्रीमती शारदा देवी--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सहुआपार टोला, रूई बुजुर्ग, तप्पा कुरमोट, परगना धुरियापार, तहसील खजनी बांस गांव, जिला गोरखपुर के हरिजनों ने ग्राम प्रधान श्री राम किशुन पाण्डेय के विरुद्ध 15 जनवरी, 1984 से 15 मार्च, 1987 तक कितने शिकायती-पत्र जिला प्रशासन व शासन को दिये हैं ? उन शिकायती-पत्रों पर दोषी ग्राम प्रधान के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

76--श्री अकबर हुसैन बाबर--

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ।]

जनपद फर्रुखाबाद के जिला हरिजन समाज कल्याण अधिकारी के सम्बन्ध में प्रश्नोत्तर

77--श्री सन्तोष चतुर्वेदी--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री को जानकारी है कि जनपद फर्रुखाबाद के जिला हरिजन समाज कल्याण अधिकारी के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र उक्त कार्यालय में जूनियर क्लर्क द्वारा 18 जून, 1986 को प्राप्त किया गया ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

माननीय विधायक को वांछित सूचना जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, फर्रुखाबाद द्वारा 31-7-86 को उपलब्ध करा दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजीपुर के ग्राम अवयहीं, सोनाडी, खड़ियाजोगा, मुसाहिन, बलुवां, तप्पा एवं कठऊत की ग्राम समाज की भूमि का आवंटन

78--श्री अफजाल अन्सारी--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम सभा अवयहीं, सोनाडी, खड़ियाजोगा, मुसाहिन, बलुवां, तप्पा कठऊत

में ग्राम समाज की कृषि योग्य एवं आबादी योग्य कुल कितनी-कितनी भूमि है जिसका पट्टा भूमिहीनों में अब तक नहीं किया गया है ? कब तक यह भूमि, भूमिहीनों में आवंटित की जा सकेगी ? इस गांव सभाओं में कितनी-कितनी भूमि, भूमिहीनों में आवंटित की गयी है और कितने-कितने व्यक्तियों को कब्जा दखल दिया जा चुका है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद के ग्राम कुर्चा, बिहलोलपुर सम्पर्क मार्ग के निर्माण में खेतों के रकबों की कटौती

79--श्री राम लाल--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद की तहसील अकबरपुर में बेवाना कुर्चा, जमालपुर टारा खुर्द, संदपुर भितरी, टारा खुर्द बिहलोलपुर, शिवराजपुर मार्ग तथा अकबरपुर नगरपालिका सीमा में टौंस नदी के बाद जो बाई पास कस्बा शहजादपुर के लिए वर्ष 1984-85 में बनाया गया था, में जिन खेतों के रकबे उन सड़कों में आये हैं, की कटौती क्या उन काश्तकारों के नम्बरों से कर खाते बनाये गये हैं अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो इस अनियमितता के लिये कौन कर्मचारी दोषी हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

तहसील अकबरपुर में ग्राम कुर्चा, बिहलोलपुर के सम्पर्क मार्ग में आये खेतों के रकबों में कटौती करके खाते बनाये गये हैं । ग्राम बेवाना, जमालपुर (सोनगांव), संदपुर भितरी सड़क में अधिकांश मामलों में गये रकबे की कटौती करके खाते बनाये गये । ग्राम जमालपुर (सोनगांव) व ग्राम शिवराजपुर (सस्पना) चकबन्दी प्रक्रिया के अन्दर चल रहे हैं । इसलिये सम्पर्क मार्ग में गये क्षेत्रफल की कटौती खातेदारों के रकबे से नहीं की गयी है ।

अकबरपुर नगरपालिका सीमा में टौंस नदी के बाद जो बाई-पास कस्बा शहजादपुर के लिए 1948-49 में बनाया गया था, में जिन खेतों में रकबे आये हैं, की कटौती काश्तकारों के नम्बरों से करके अधिकांश मामलों में खाते बनाये गये हैं । कुछ मामलों में कटौती करके खाते नहीं बनाये गये हैं । मामला वर्ष 1948-49 का है तथा तत्कालीन कर्मचारी के कार्यरत न होने के कारण दोषी कर्मचारी का पता लगाना संभव नहीं है ।

श्री भवानी प्रसाद व भवानी भीख (अनु० जाति) ग्राम घोड़वल, फैजाबाद के भू-अभिलेखों में नामान्तरण की कार्यवाही

80--श्री सत्य प्रकाश विकल--

विधान सभा के प्रथम सत्र 87 के प्रथम शुक्रवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 5 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1389 फसली से ग्राम समाज की भूमि नं० 592 गाटा सं० 560-क व 561 कुल रकबा 0-15-0 पर काबिज स्व० बुद्धू के पुत्रों के नाम नई खसरा खतौनी में उक्त नं० की दाखिल खारिज करके श्रेणी चार (वर्ग-4) समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी नहीं ।

ग्राम घोड़वल, परगना खंड़ासा, तहसील दीकापुर, जनपद फैजाबाद की खतौनी (वर्ष 1389-94 फसली) के अन्तर्गत खाता संख्या 592 मे अंकित गाटा संख्या 560-क तथा 561 कुल रकबा 0-15-0 ग्राम समाज की भूमि पर काबिज स्वर्गीय बुद्धू के पुत्रगण सर्वश्री भवानी प्रसाद व भवानी भीख (अनुसूचित जाति) को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की संशोधित धारा 122-ख की उपधारा (4-च) के अन्तर्गत असंक्रमणीय भूमिधर घोषित किये जाने तथा भू-अभिलेखों में नामान्तरण की कार्यवाही परगनाधिकारी, बीकापुर के न्यायालय में विचाराधीन है ।

राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय लखनऊ की अध्यापिका की हत्या के आरोप में सेवा समाप्त

81--श्री कामेश्वर उपाध्याय--

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री की जानकारी है कि राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय लखनऊ की तत्कालीन अधीक्षिका तथा सम्प्रति प्रधानाचार्य ने अपने अधीनस्थ अध्यापिका के पद पर कार्यरत श्रीमती माला गुप्ता की हत्या के अपराध में 72 घंटे से ज्यादा कारागार में रहने पर भी चांदगंज, लखनऊ के डाक्टर द्वारा जेल की अवधि का चिकित्सा प्रमाण-पत्र लेकर निदेशक को बिना अवगत कराये विद्यालय में ज्वाइन करा दिया गया था ? यदि हां, तो तत्कालीन अधीक्षिका द्वारा निलम्बन की कार्यवाही न करने से जो वे माह अगस्त, 1976 से आजन्म कारागार होने के दिनांक 13-2-85 तक जो वे पूर्ण वेतन लेती रहीं, के बारे मे अब तक अधीक्षिका के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? क्या मंत्री जी दोषी अधीक्षिका को निलम्बित कर मामले की जांच करायेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

यह सही है कि श्रीमती माला गुप्ता हत्या के अपराध में 72 घंटे से ज्यादा कारागार में रही । चांदगंज, लखनऊ के डाक्टर द्वारा नहीं वरन महानगर के डाक्टर द्वारा चिकित्सा प्रमाण-पत्र दिया गया । श्रीमती गुप्ता गिरफ्तार होने के पहले से चिकित्सा अवकाश पर थी । गिरफ्तारी की सूचना विभागीय अधिकारियों को पुलिस द्वारा नहीं दी गई । अतः निदेशक हरिजन एवं समाज कल्याण को अवगत कराने का प्रश्न नहीं उठता । 13-2-85 को श्रीमती गुप्ता की सेवायें समाप्त कर दी गई थी । उक्त स्थिति में अधीक्षिका के विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा को आवश्यकता के अनुरूप उपलब्ध ट्रान्सफार्मर

82--श्री विजय सिंह राणा--

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद में वर्ष 1984-85 व 1985-86 में कितने विद्युत् कनेक्शन मांगे गए और इस आवश्यकता के अनुरूप कितने ट्रान्सफार्मर उपलब्ध हैं और कितनी की आवश्यकता है ? यह आवश्यकता कब तक पूरी कर दी जायेगी ।

श्री सुनील शास्त्री--

आगरा जनपद में वर्ष 1984-85 व 1985-86 में क्रमशः 7068 एवं 8660 कनेक्शन मांगे गये और इस मांग के अनसार वर्ष 1984-85 व 1985-86 में क्रमशः 402 व

420 ट्रान्सफार्मर की आवश्यकता थी जबकि इसी आवश्यकता के अनुरूप वर्ष 1984-85 व 1985-86 में क्रमशः 348 व 356 ट्रान्सफार्मर उपलब्ध कराये गये। शेष ट्रान्सफार्मर की कमी वर्ष 1984-85 व 1985-86 में क्रमशः 54 व 64 को वर्ष 1986-87 में पूरा किया जा चुका है।

क्षेत्रीय विधायकों के साथ परगनाधिकारियों को निरीक्षण करने के आदेश

83--श्री शारदा प्रताप--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हृदय नारायण दीक्षित सदस्य, विधान सभा द्वारा द्वितीय सत्र 1986 के प्रथम शुक्रवार को निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 15 के उत्तर के संदर्भ में उत्तरित सीलिंग एवं ग्राम सभा भूमि के आवंटियों को भूमि आवंटन एवं कब्जा सुनिश्चित कराने तथा क्षेत्रीय विधायकगण के परामर्श का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से परगनाधिकारियों द्वारा प्रत्येक माह पहले शनिवार को क्षेत्रीय विधायक के परामर्श से कार्यक्रम बनाकर निरीक्षण करने के आदेश प्रभावी हैं ? यदि हां, तो प्रश्नकर्ता के साथ परगनाधिकारी, लखनऊ ने वर्ष 1986 में कितनी बार क्षेत्रीय निरीक्षण किया और किन-किन तारीखों को ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जी हां।

वर्ष 1986 में परगनाधिकारी, लखनऊ द्वारा माननीय विधायक श्री शारदा प्रताप शुक्ल के साथ निर्धारित अपेक्षित निरीक्षण कार्य व्यस्तता के कारण नहीं किया जा सका, परन्तु कब्जा दिलाओ अभियान एवं अन्य भू-आवंटन सम्बन्धित कार्य किये गये। आदेशों का अनुपालन न कर पाने के कारण जिलाधिकारी द्वारा परगनाधिकारी को मौखिक रूप से सचेत कर दिया गया है। क्षेत्रीय विधायकगण के साथ अपेक्षित निरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित कर अनुपालन करने के निदेश दे दिये गये हैं।

विवेकानन्द इन्टर कालेज, दुबौलिया बाजार, बस्ती के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं आर्थिक सहायता

84--श्री सुखपाल पान्डे--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विवेकानन्द इन्टर कालेज दुबौलिया बाजार जिला बस्ती में 1984-85 व 1985-86 में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के कितने छात्र पढ़ते थे ? उक्त दो वर्षों में अनुसूचित जाति के छात्रों को किन-किन तारीखों में कितना-कितना धन छात्रवृत्ति एवं अन्य सहायता हरिजन कल्याण विभाग, बस्ती द्वारा दी गयी है ? उक्त धन को किस-किस बैठक में जमा किया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

विवेकानन्द इण्टर कालेज दुबौलिया बाजार बस्ती में वर्ष 1984-85 में अनुसूचित जाति के 51, पिछड़ी जाति के 84 तथा वर्ष 1985-86 में अनुसूचित जाति के 57 तथा पिछड़ी जाति के 95 छात्र थे।

विभिन्न तिथियों में दी गयी छात्रवृत्ति तथा अनावर्ती सहायता के विवरण निम्नवत् हैं :

	छात्रवृत्ति धनराशि		अनावर्ती सहायता	
क्रम-सं०	भुगतान की तिथि	धनराशि	भुगतान की तिथि	धनराशि
1	2	3	4	5
		₹०		₹०
1	10-10-84	384	27-10-84	540
2	27-10-84	2,850	11-12-84	381
3	24-11-84	3,916	12-12-84	1,560
4	11-12-84	2,271	24-12-84	1,254
5	12-12-84	5,320	23-1-85	687.96
6	16-3-85	216	..	..
	योग ..	14,957		4,422.96
		वर्ष 1985-86		
1	5-10-85	6,714	5-10-85	2,358
2	4-11-85	1,470	4-11-85	280
3	4-11-85	2,850	4-11-85	540
4	12-2-86	8,019	11-2-86	2,277
5	11-2-86	682	22-1-86	420.42
	योग ..	19,735		5,873.42

उक्त धन भारतीय स्टेट बैंक दुबौलिया बाजार, बस्ती में जमा किया गया। प्रश्न नहीं उठता है।

माननीय अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के प्रति अविश्वास प्रकट करने हेतु संकल्प के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--

मैं सदन को एक सूचना देना चाहता हूं। श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी ने दिनांक 9 जुलाई, 1987 को माननीय उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रकट करने हेतु संकल्प

की सूचना दी है । संकल्प में माननीय सदस्य ने कहा है कि "यह सदन माननीय उपाध्यक्ष श्री त्रिलोक चन्द्र में अविश्वास प्रकट करता है"। श्री तिवारी ने दिनांक 14 जुलाई, 1987 को मेरे खिलाफ भी उसी प्रकार के संकल्प की सूचना दी है ।

संविधान के अनुच्छेद 179 (ग) तथा प्रक्रिया नियमावली के नियम 270 के अंतर्गत अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प तो आ सकता है पर उनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव या संकल्प नहीं आ सकता। अविश्वास का प्रस्ताव तो केवल मंत्रि परिषद् के खिलाफ नियम 275 के अंतर्गत प्रस्तुत किया जा सकता है ।

चूंकि दोनों प्रस्ताव मेरी राय में नियमानुसार प्रतीत नहीं होते हैं । अतः उन्हें आउट आफ आर्डर मानते हुए मैं अग्राह्य करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

नियम 301 के अंतर्गत केवल एक सूचना प्राप्त हुई है, जो माननीय श्री वीरेन्द्र नाथ दीक्षित जी की है, चूंकि यह सूचना दो विभाग–सिंचाई व नगर विकास से संबंधित है, इसलिए मैं इसकी ग्राह्यता को अस्वीकार करता हूं ।

(इस समय 11 बजकर 35 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

दि0 यू0 पी0 स्टेट ब्रासवेयर कारपोरेशन लिमिटेड, मुरादाबाद का 9 वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा आर्थिक चिट्ठा वर्ष 1982–83†

लघु उद्योग राज्य मंत्री (श्री निसार अहमद अन्सारी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से दि यू0 पी0 स्टेट ब्रासवेयर कारपोरेशन लिमिटेड, मुरादाबाद का 9 वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा आर्थिक चिट्ठा वर्ष 1982–83 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–ए उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (पैंतालिसवां संशोधन) नियमावली, 1987††

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन अनुभाग–4 की अधिसूचना संख्या 1775–टी/30–4–87–25 के एम–77, दिनांक 25 अप्रैल, 1987 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (पैंतालिसवां संशोधन) नियमावली, 1987 को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (छियालिसवां संशोधन) नियमावली, 1987 ††

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन अनुभाग–4 की अधिसूचना संख्या 1607 टी0/30–4–6 पी0–79, दिनांक 8 मई, 1987 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (छियालिसवां संशोधन) नियमावली, 1987 को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

†छापा नहीं गया ।

††छापी नहीं गयी ।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (सैंतालिसवां संशोधन) नियमावली, 1987 ††

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या 1836-टी/30-4-4 पी0-85, दिनांक 8 मई, 1987 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (सैंतालिसवां संशोधन) नियमावली, 1987 को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग) (पांचवां संशोधन) नियमावली, 1987††

ग्राम विकास एंव पंचायती राज्य मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से पंचायती राज अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 1147-बी/33-2-700 (85)/85-85—यू0 पी0 ए0-33-1961-नियम-1966-संशोधन (5)-1987, दिनांक 1 मई, 1987 को उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग) (पांचवां संशोधन) नियमावली, 1987 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का पंचम् प्रतिवेदन†

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का पंचम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष—

विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 16 जुलाई, 1987 की बैठक में सदन के दिनांक 17 व 18 जुलाई, 1987 के कार्य क्रम को निम्नलिखित संशोधित रूप में निर्धारित किये जाने की सिफारिश की है :

17 जुलाई, 1987, शुक्रवार—

1—वित्तीय वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक के ग्राम विकास विभाग व आबकारी विभाग तथा सैनिक कल्याण विभाग, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग और पर्वतीय विकास विभाग से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर क्रमशः चर्चा और मतदान ।

2—संगत नियमों को निलम्बित करते हुए निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :—

---

†छापा नहीं गया ।

††छापी नहीं गयी ।

(1) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1987-आधा घंटा ।

(2) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1987-आधा घंटा ।

(3) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1987-आधा घंटा ।

(4) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1987-आधा घंटा ।

(अन्तिम रूप से)

(5) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1987-आधा घंटा ।

3--जिला आगरा की फिरोजाबाद तहसील को जिला घोषित किये जाने के सम्बन्ध में श्री रघुवर दयाल वर्मा द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभि सूचित सूचना पर एक घंटे की चर्चा ।

18 जुलाई, 1987, शनिवार बैठक नहीं होगी ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मन्त्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना माननीय उपाध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गयी है, सहमत है ?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन माननीय संसदीय कार्य मन्त्री के प्रस्ताव से, जो उन्होंने अभी सदन में प्रस्तुत किया है, सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

राष्ट्रपति पद के लिये निर्वाचित होने पर श्री आर0 वेंकटरमण को बधाई

कुमारी अलुमेलु अरुमाल--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ?

मैं माननीय उपाध्यक्ष जी से कह रही हूं । इस सदन की ओर से राष्ट्रपति पद पर चुने गये राष्ट्रपति श्री वेंकटरमण साहब को बधाई देती हूं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, इसको सब की ओर से मान लिया जाय और यह उनको भिजवा दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है ।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1987†

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1987 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1987 को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री गौरी शंकर--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1987 को पुरःस्थापित करता हूं ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

आज कोई कार्य-स्थगन प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

वित्तीय वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 24--गन्ना विकास विभाग (गन्ना) तथा अनुदान संख्या 25--गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) तथा अनुदान संख्या 1 आबकारी विभाग

आबकारी राज्य मंत्री (श्री राम नाथ मुंशी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 24--गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,98,17,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 25--गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 43,71,67,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

---

†दिनांक 9 जुलाई, 1987 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 1—आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,10,02,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री चूरन सिंह माहरा—

मान्यवर, इसे ऐसे ही मान लिया जाय ।

कई सदस्य—

मान्यवर, इसे ऐसे ही स्वीकार कर लिया जाय ।

(व्यवधान)

श्री राम नाथ मुन्शी—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया । यह बजट बहुत ही महत्वपूर्ण है इसलिये मैं चाहूंगा कि आप दो मिनट इस पर मुझे कुछ कहने का अवसर अवश्य ही दें और मुझे उपलब्धियों के बारे में कुछ कहने के लिये अवसर दिया भी जाना चाहिये ।

(सत्ता पक्ष के सदस्य निरन्तर माननीय मंत्री जी से न बोलने का आग्रह करते रहे ।)

श्री उपाध्यक्ष—

थोड़ा सा तो कह लेने दीजिये ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

जब माननीय सदस्यों को माननीय मंत्री जी से इतना प्रेम है कि उनके बिना कुछ कहे ही वे उनकी सारी बातों को माने ले रहे हैं तो इसे ऐसे ही चलने दीजिये ।

(कटौती प्रस्तावों के प्रस्तावकों में से कोई भी सदस्य उपस्थित नहीं थे)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 24—गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,98,17,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 25—गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 43,71,67,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 1—प्राक्कारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखा नुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,10,02,000 रुपये से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 89—सैनिक कल्याण विभाग, अनुदान संख्या 90—हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (हरिजन कल्याण), अनुदान संख्या 91—हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण) तथा अनुदान संख्या 92—हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 89—सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 70,83,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 90—हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (हरिजन कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 67,42,66,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 91—हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 35,47,74,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, [मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 92—हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,38,19,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये :

(कटौती प्रस्तावों के प्रस्तावकों में से कोई भी सदस्य उपस्थित नहीं थे ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 89—सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए

आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 70,83,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 90—हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (हरिजन कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 67,42,66,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 91—हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 35,47,74,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 92—हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,38,19,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्रीमती शशि शर्मा--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, मैं गन्ना मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूं कि गन्ने के विकास के लिये जो बीज तैयार हो रहा है, उसका हमारे यहां केन्द्रीय रिसर्च इन्स्टीट्यूट है....।

श्री उपाध्यक्ष—

वह मद आगे निकल गयी है । उनके कक्ष में चली जायें और पूंछ लें । इस समय नहीं ।

श्री सुरेन्द्र सिंह गढ़वाल--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है....।

श्री पूरन सिंह माहरा--

एक व्यवस्था का प्रश्न....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्रीमती शशि शर्मा--

माननीय, पन्ने का सवाल है और हमारे क्षेत्र का सवाल है। दो मिनट का समय दे दें.....।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम आगे बढ़ गये हैं।

श्री पूरन सिंह माहरा--

जहां तक पन्ने का प्रश्न है...।

(कई सदस्य व्यवस्था के प्रश्न को लेकर एक साथ बोलने लगे)

श्री उपाध्यक्ष--

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कृपया बैठें। शशि जी, आप बैठें। वह व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता।

अनुदान संख्या 47-पर्वतीय विकास विभाग

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री राम औतार दीक्षित)--

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 47-पर्वतीय विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,36,02,59,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(कई सदस्यों के एक साथ "पास कराइये" कहने पर)

यहां पर पर्वतीय विधायक बैठे हुये हैं। उन्हें अपने यहां की समस्यायें रखनी हैं। (व्यवधान) यह भी कोई बात हुई।

कई सदस्य (एक साथ)--

पास कराइये। पास मान लिया जाय।

श्री राम औतार दीक्षित--

चार दिन से तैयारी कर रहा हूं। कैसे पास मान लें।

श्री उपाध्यक्ष--

कुछ कहना चाहें तो कहिये....। (व्यवधान) शांत रहें।

श्री राम औतार दीक्षत--

मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरा यह भाषण कार्यवाही में लिखवा दिया जाय। इसकी आप अनुमति दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप भाषण दीजिये । छपा हुआ भाषण नहीं दे सकते । आप भाषण कर सकते हैं । उसमें कोई दिक्कत नहीं है । लिखा हुआ भाषण कार्यवाही में नहीं छप सकता ।

(व्यवधान)

(श्री सुरेन्द्र कपिल तथा श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग कृपया बैठें।

(कटौती प्रस्ताव के प्रस्तावकों में से कोई भी सदस्य उपस्थित नहीं थे ।)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 47—पर्वतीय विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,36,02,59,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब तो पास हो गया ।

मद संख्या 17, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता, डाक्टर दिनेश जौहरी कोई संकल्प प्रस्तुत करने वाला नहीं है । इसलिये मद संख्या 18....

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1987

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1987 पारित किया जाय ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

पहले आप मद संख्या 18 ले....

(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1987 पर विचार किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मंत्री जो आप कुछ कहेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वंधीकरण) विधेयक, 1987 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

संशोधन के प्रस्तावक कोई नहीं हैं इसलिये नहीं रखा जा सकता ।

खण्ड 2 से 17, खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वंधीकरण) विधेयक, 1987

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 का अग्रतर संशोधन करने और कतिपय कार्यों और कार्यवाहियों को विधिमान्य करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वंधीकरण) अधिनियम, 1987 कहा जायगा ।

(2) यह 27 अप्रैल, 1987 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा, सिवाय धारा 3, 4, 12 और 17 के, जो तुरन्त प्रवृत्त होंगी ।

उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या 15 सन् 1948 की धारा 4-क का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4-क में,--

(1) उपधारा (1) में,--

(क) शब्द "विज्ञप्ति द्वारा" के स्थान पर शब्द "किसी विशिष्ट मामले में या सामान्यतया, विज्ञप्ति द्वारा" रख दिये जायेंगे और दिनांक बारह अक्तूबर, 1983 से रखे गये समझे जायेंगे ;

(ख) शब्द "उस माल के निर्माता का विक्रय वन" के पश्चात शब्द "उत्पादन प्रारम्भ करने के दिनांक या उसके पश्चात के ऐसे दिनांक से, जैसा राज्य सरकार द्वारा ऐसी विज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट किया जाय, जो विज्ञप्ति का दिनांक या ऐसी विज्ञप्ति का पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती दिनांक हो सकता है, और जहां कोई ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट न किया जाय, वहां" रख दिये जायेंगे और दिनांक बारह अक्तूबर, 1983 से रखे गये समझे जायेंगे ;

(2) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (2-क) बढ़ा दी जायेगी और दिनांक बारह अक्तूबर, 1983 से बढ़ाई गई समझी जायगी, अर्थात् :--

"(2-क) उपधारा (2) में या उसके अनुसरण में जारी की गई किसी विज्ञप्ति में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए

भी, राज्य सरकार किसी ऐसी नई इकाई को जिसने बिजली कनेक्शन प्राप्त किया हो, इस धारा के अधीन, छूट दे सकती है, यदि उसने, उत्पादन प्रारम्भ करने के दिनांक के पश्चात् और उन्तीस जनवरी, 1985 के पूर्व माल के निर्माण के लिए, कुल स्वीकृत विद्युत् भार का कम से कम 25 प्रतिशत, जो कारखाना या कर्मशाला के स्थापित करने में किये गये उपभोग से भिन्न हो, उपभोग किया हो ।"

(3) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी और दिनांक तेरह सितम्बर, 1985 से रखी गयी समझी जायगी, अर्थात् :--

"(3) यदि बिक्री-कर कमिश्नर की यह राय हो कि उपधारा (2) के खंड (घ) में निर्दिष्ट पात्रता के प्रमाण-पत्र के आधार पर प्राप्त कर से छूट या कर की दर में कमी की सुविधा का किसी भी रीति से दुरुपयोग किया गया है या नई इकाई जिसे पात्रता का प्रमाण-पत्र स्वीकृत किया गया है, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, इस धारा के अधीन सुविधा की हकदार नहीं है या अल्प अवधि के लिए ही ऐसी सुविधा की हकदार है तो वह पात्रता के प्रमाण-पत्र को, लिखित आदेश द्वारा, ऐसे दिनांक से चाहे वह ऐसे आदेश के दिनांक के पूर्व हो या पश्चात् हो, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाय, रद्द या संशोधित कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन कोई आदेश सम्बद्ध व्यापारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना नहीं दिया जायगा ।"

धारा 4-ख का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 4-ख में,--

(1) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्—

"(2) यदि किसी व्यापारी को उपधारा (1) में अभिदिष्ट कोई माल किसी विज्ञापित माल का प्रदेश में निर्माण करने के प्रयोजन के लिए या उसके द्वारा निर्मित या संशोधित ऐसे विज्ञापित माल की पंकिंग में प्रयोग के लिए अपेक्षित हो और उसका ऐसे विज्ञापित माल को राज्य में या अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान या भारत से बाहर निर्यात करने के दौरान बेचने का अभिप्राय हो तो वह कर-निर्धारक अधिकारी को, ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के भीतर जो निर्धारित की जाये, मान्यता का प्रमाण-पत्र दिये जाने के लिए प्रार्थना-पत्र दे सकता है, और यदि प्रार्थी ऐसी अपेक्षाओं और शर्तों को जो निर्धारित की जायें, पूरा करता हो तो कर-निर्धारक अधिकारी ऐसे माल के सम्बन्ध में व्यापारी को ऐसे प्रपत्र में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो निर्धारित की जायें, मान्यता का प्रमाण-पत्र देगा ।

स्पष्टीकरण--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए--

(क) निर्माण में प्रयोग के लिए अपेक्षित माल का तात्पर्य कच्चा माल, प्रसंस्करण करने का सामान, मशीन, संयंत्र सज्जा, उपभोज्य स्टोर, फालतू पुर्जा, सहायक सामान, संघटक भाग, उप समुच्चय, ईंधन या स्नेहक से है ; और

(ख) "विज्ञापित माल" का तात्पर्य ऐसे माल से है जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त समय-समय पर विज्ञापित किया जाय ।"

(2) उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्--

"(6) यदि कोई व्यापारी, जिसके पक्ष में उपधारा (2) के अधीन मान्यता का प्रमाण पत्र दिया गया हो, किसी विज्ञापित माल के निर्माण या पैकिंग में प्रयोग के लिए कोई माल-कर का भुगतान किये बिना या चार प्रतिशत से कम रियायती दर पर कर का भुगतान करके खरीदता है और ऐसे व्यापारी द्वारा ऐसा विज्ञापित माल राज्य के भीतर या अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान या भारत से बाहर निर्यात के दौरान विक्रय से भिन्न रीति से बेचा या निस्तारित किया जाता है तो ऐसा व्यापारी दण्ड स्वरूप ऐसी धनराशि का देनदार होगा जैसी कर-निर्धारक अधिकारी निश्चित करे, जो ऐसे कर की धनराशि से कम न होगी जो ऐसे माल के क्रय या विक्रय पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय होती और ऐसे कर की धनराशि के दुगुने से अधिक न होगी, जिसमें से वह धनराशि घटा दी जायगी जो उसने ऐसे माल के क्रय पर कर के रूप में वास्तव में भुगतान की हो ।"

नई धारा 4-ग का बढ़ाया जाना

4--मूल अधिनियम की धारा 4-ख के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्--

"4-ग--निर्यात प्रसंस्करण परिक्षेत्र में स्थापित औद्योगिक इकाइयों को विशेष छूट--

धारा 4-ख में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, विज्ञप्ति द्वारा, यह घोषणा कर सकती है कि ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें विनिर्दिष्ट किया जाय, किसी रजिस्टर्ड व्यापारी द्वारा निर्यात-अभिमुख ऐसी इकाई को, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य में गठित निर्यात प्रसंस्करण परिक्षेत्र में स्थापित की गयी हो और परिक्षेत्र के विकास आयुक्त द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्रमाणित हो, किसी माल के विक्रय पर कोई कर देय नहीं होगा, यदि उक्त माल ऐसे माल के निर्माण या पैकिंग में प्रयोग के लिए अपेक्षित हो जो भारत से बाहर निर्यात के लिए अभिप्रेत हो और जिसके सम्बन्ध में उक्त विकास आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी ने ऐसी इकाई के पक्ष में प्राधिकार-पत्र जारी किया हो ।"

5.—मूल अधिनियम की धारा 8-क में, उपधारा (1), (1-क) धारा 8-क का और (1-ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, संशोधन अर्थात्—

"(1) प्रत्येक व्यापारी—

(क) जो उत्तर प्रदेश के बाहर से अपने द्वारा आयात किया हुआ कोई ऐसा माल बेचता है जिसके विक्रय धन पर धारा 3-क की उपधारा (1) के अधीन कर देय है, या

(ख) जो इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन कर का देनदार है ; या

(ग) जो इस अधिनियम के अधीन दी गयी स्वीकृत या छूट के अभाव में तद्धीन कर का देनदार होता, यदि कर निर्धारण वर्ष में उसका वास्तविक या अनुमानित विक्रय-धन धारा 3 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट या उसके अधीन विज्ञापित धनराशि से कम न हो ; या

(घ) जो कर निर्धारण वर्ष के दौरान व्यापार प्रारम्भ करता है और जिसका ऐसे वर्ष के शेष भाग का औसत मासिक अनुमानित विक्रय-धन, या जिसका उपर्युक्त अवधि के किसी मास का वास्तविक विक्रय-धन, धारा 3 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट या उसके अधीन विज्ञापित धनराशि के बारहवें भाग से कम न हो,

कर-निर्धारक अधिकारी को ऐसे रूप-पत्र में, ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के भीतर, जो निर्धारित किये जायं, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा और प्रार्थना-पत्र के साथ एक सौ रुपये का शुल्क जमा करने का संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे व्यापारी के लिए इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करना आवश्यक न होगा जो केवल ऐसे माल का व्यापार करता है जो धारा 4 के अधीन, किन्तु उसके प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन आरोपित किसी शर्त के अधीन नहीं, कर मुक्त हो ।

स्पष्टीकरण:—खंड (ग) या खंड (घ) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित का योग विक्रय-धन होगा—

(1) धारा 3-घ की उपधारा (1) के अधीन विज्ञापित माल के क्रय का क्रय-धन या विक्रय का विक्रय-धन, जो भी अधिक हो ;

(2) अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन कर-योग्य क्रय का क्रय-धन ; और

(3) सभी अन्य माल के विक्रय का विक्रय-धन ।

(1-क) (क) (1) कर-निर्धारक अधिकारी ऐसी जांच के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे और धारा 8-ग के उपबन्धों और ऐसी अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त निर्धारित की जायं, प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर सकता है और व्यापारी को रजिस्टर करा सकता है ।

(2) इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए रजिस्ट्रीकरण तब तक प्रवृत्त बना रहेगा जब तक कि व्यापारी पर इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का दायित्व बना रहे और वह खंड (ख) में विनिर्दिष्ट शुल्क का भुगतान करता रहे ।

(ख) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यापारी ऐसे कर-निर्धारण वर्ष के, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण स्वीकृत किया गया हो, पश्चातवर्ती प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष के लिये, जब तक कि उसका रजिस्ट्रीकरण के लिए दायित्व न रह जाय, निर्धारित रीति से और उस कर निर्धारण वर्ष के, जिसके सम्बन्ध में शुल्क है, प्रारम्भ के पूर्व, पचास रुपये के शुल्क का देनदार होगा ;

प्रतिबन्ध यह है कि कर-निर्धारण वर्ष 1987-88 के सम्बन्ध में शुल्क का भुगतान तीस अप्रैल, 1987 तक किया जा सकता है ।

(ग) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अनुसार रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन या उपर्युक्त खंड (ख) में निर्दिष्ट शुल्क का भुगतान उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं करता है तो वह, धारा 14 या धारा 15-क के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अपेक्षित शुल्क के अतिरिक्त प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए, जिसमें व्यतिक्रम पूर्ववत् बना रहे, पच्चीस रुपये का अर्थदण्ड देगा ।

(1-ख) इस धारा के अधीन किसी व्यापारी को स्वीकृत रजिस्ट्री का प्रमाण-पत्र इसे स्वीकृत करने के लिए अधिकृत अधिकारी द्वारा, या तो व्यापारी के प्रार्थना-पत्र पर या स्वप्रेरणा से, रद्द किया जा सकता है यदि ऐसे अधिकारी का यह समाधान हो जाय कि उस व्यापारी ने, जिसे यह स्वीकृत किया गया था, व्यापार करना बन्द कर दिया है या वह रजिस्ट्रीकरण के दायित्वाधीन नहीं रह गया है या इसने कर, अर्थदण्ड या अन्य देयों का भुगतान ऐसे कर, अर्थ-दण्ड या अन्य देयों के देय होने के दिनांक से तीन मास से भीतर नहीं किया है या यदि किसी अन्य पर्याप्त कारण से ऐसा अधिकारी ऐसा करना उचित समझे ।

स्पष्टीकरण—किसी फर्म या व्यक्तियों के संघ का विघटन या पुनः संघटन या संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब का विभाजन या किसी व्यापारी द्वारा अपने व्यापार का हस्तान्तरण इस उपधारा के अर्थान्तर्गत व्यापार का बन्द किया जाना समझा जायगा ।"

धारा 8-ख का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 8-ख में, उपधारा (2) में, शब्द "पचहत्तर रुपये" के स्थान पर शब्द "एक सौ रुपये" रख दिये जायेंगे ।

धारा 8-ग का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 8-ग में,—

(1) उपधारा (1) में, खंड (क) में, शब्द "या उसका नवीकरण करने" के स्थान पर शब्द "या, यथास्थिति उसका नवीकरण करने" रख दिये जायेंगे ;

(2) उपधारा (2) में जहां-जहां भी शब्द "या नवीकरण आये हों उनके स्थान पर शब्द "या, यथास्थिति, नवीकरण" रख दिये जायेंगे ;

(3) उपधारा (7) में, खंड (क) में शब्द "या नवीकरण" के स्थान पर शब्द "या, यथास्थिति, नवीकरण" रख दिये जायेंगे ।

नई धारा 8-घ का बढ़ाया जाना

8—मूल अधिनियम की धारा 8-ग के पश्चात् निम्नलिखित धारा 8-घ बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :—

"8-घ-संकर्म संविदाकार को देय धनराशि से कर की कटौती—

(1) धारा 8-क की उपधारा (2) में किसी बात के होते हुये भी, प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी व्यापारी को (जिसे इस धारा में आगे संविदाकार कहा गया है) किसी ऐसी संकर्म संविदा के, जो ऐसे वर्ग या मूल्य की भवन निर्माण संविदा न हो, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त लोक हित में विज्ञापित करे, अनुसरण में किसी माल के (चाहे माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में) स्वामित्व के अन्तरण के लिये देय मूल्यवान प्रतिफल के कारण किसी दायित्व के निर्वहन में भुगतान के लिये उत्तरदायी हो, संविदाकार को, चाहे नकद या किसी अन्य प्रकार से, ऐसा भुगतान करते समय, ऐसी संकर्म संविदा के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन देय, यथास्थिति, संपूर्ण कर या उसके किसी भाग की तुष्टि के लिये, उसे देय राशि के चार प्रतिशत के बराबर धनराशि की कटौती करेगा।

(2) कोई संविदाकार, जो किसी उपसंविदाकार को उसके साथ संविदाकार द्वारा लिये गये संकर्म के पूर्ण या आंशिक निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त माल के स्वामित्व में, चाहे माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में, अन्तरण के लिये की गयी किसी संविदा के अनुसरण में कोई भुगतान करने या किसी दायित्व का निर्वहन करने के लिये उत्तरदायी हो, नकद या चेक या ड्राफ्ट द्वारा या किसी अन्य रीति से ऐसा भुगतान या निर्वहन करते समय, उप संविदाकार द्वारा प्रस्तुत बिल या बीजक से जो संविदाकार द्वारा देय हो, ऐसे अन्तरण पर इस अधिनियम के अधीन देय कर के आंशिक या पूर्ण भुगतान के रूप में, ऐसे भुगतान या निर्वहन के 4 प्रतिशत के बराबर धनराशि की कटौती करेगा ।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन काटी गयी धनराशि ऐसी कटौती करने वाले व्यक्ति द्वारा उस मास के,

जिसमें कटौती की जाय, आगामी मास की समाप्ति के पूर्व सरकारी कोषागार में जमा की जायगी ।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन ऐसी कटौती करने वाला व्यक्ति, भुगतान या निर्वहन करते समय, उस व्यक्ति को, जिसके बिल या बीजक से ऐसी कटौती की जाय, एक प्रमाण-पत्र देगा जिसमें काटी गयी धनराशि और जिस दर पर उसे काटा गया, विनिर्दिष्ट की जायेगी ।

(5) किसी कटौती को, जो इस धारा के उपबन्धों के अनुसार की गयी हो और सरकारी कोषागार में जमा की गयी हो, उस व्यक्ति की ओर से जिसके बिल या बीजक से ऐसी कटौती की गयी है, कर का भुगतान माना जायगा और उपधारा (4) में निर्दिष्ट प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर सुसंगत कर निर्धारण वर्ष के लिये किये गये कर निर्धारण में इस प्रकार काटी गयी धनराशि उस व्यक्ति की ओर से जमा धनराशि मानी जायगी ।

(6) यदि उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई ऐसा व्यक्ति कटौती करने में असफल रहता है या कटौती करने के पश्चात् इस प्रकार काटी गयी धनराशि को उपधारा (3) की अपेक्षानुसार जमा करने में असफल रहता है तो कर निर्धारक अधिकारी ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् लिखित आदेश द्वारा निदेश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति अर्थ-दण्ड के रूप में इस धारा के अधीन काटने योग्य किन्तु इस प्रकार न काटी गयी और यदि काटी गयी तो इस प्रकार सरकारी कोषागार में जमा न की गयी धनराशि के दुगने से अनधिक धनराशि का भुगतान करेगा ।

(7) उपधारा (6) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कोई ऐसा व्यक्ति कटौती करने में असफल रहता है या कटौती करने के पश्चात् इस प्रकार काटी गयी धनराशि को जमा करने में असफल रहता है तो वह इस धारा के अधीन काटने योग्य किन्तु इस प्रकार न काटी गयी और यदि काटी गयी तो इस प्रकार जमा न की गयी धनराशि पर उस दिनांक से जब ऐसी धनराशि कटौती योग्य थी, उस दिनांक तक जब ऐसी धनराशि वास्तव में जमा की गयी, अट्ठारह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज का देनदार होगा ।

(8) जहां कटौती करने के पश्चात् धनराशि जमा न की गयी हो, वहां उपधारा (7) में निर्दिष्ट ब्याज सहित ऐसी धनराशि सम्बद्ध व्यक्तियों की समस्त आस्तियों पर भार होगी ।

(9) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अनुसार कटौती के रूप में भुगतान से, यथास्थिति, संविदाकार या उपसंविदाकार से इस अधिनियम के अधीन देय कर की वसूली की किसी अन्य रीति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिये "कर निर्धारक अधिकारी" का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है जिसको उस स्थान

पर अधिकारिता हो जहां व्यक्ति के व्यापार का स्थान या निवास-स्थान स्थित हो ।"

धारा 15-क का संशोधन

9--मूल अधिनियम की धारा 15-क में, उपधारा (1) में, खंड (4) में प्रतिबन्धात्मक खंड निकाल दिया जायगा ।

धारा 21 का संशोधन

10--मूल अधिनियम की धारा 21 में--

(1) उपधारा (2) में, प्रतिबन्धात्मक खंड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक खंड पहली नवम्बर, 1986 को और उस दिनांक से रख दिया जायगा, अर्थात्--

"प्रतिबन्ध यह है कि कर निर्धारण वर्ष 1982-83 के लिये कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण 31 मार्च, 1988 तक किया जा सकता है ।"

(2) उपधारा (4) में, अन्त में आये हुये पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन रख दिया जायगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जायगा और पहली नवम्बर, 1986 को और उसी दिनांक से बढ़ाया गया समझा जायगा, अर्थात्--

"प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे मामले में जिसमें इस उपधारा में निर्दिष्ट अवधि नवम्बर, 1986 में समाप्त हो जाती है, 30 जून, 1987 तक पुनः कर निर्धारण का आदेश दिया जा सकता है ।"

(3) उपधारा (5) में, अन्त में आये हुये पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन रख दिया जायगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जायगा और पहली नवम्बर, 1986 को और उसी दिनांक से बढ़ाया गया समझा जायगा, अर्थात्--

"प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे मामले में जिसमें इस उपधारा में निर्दिष्ट अवधि नवम्बर, 1986 में समाप्त हो जाती है, 30 जून, 1987 तक कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण का आदेश दिया जा सकता है ।"

धारा 35 का संशोधन

11--मूल अधिनियम की धारा 35 में, उपधारा (1) में खंड (घ) में, शब्द "रजिस्ट्रीकरण कराना या उसके नवीकरण के लिये प्रार्थना-पत्र देना" के स्थान पर शब्द "रजिस्ट्रीकरण कराना" रख दिये जायेंगे ।

धारा 37 और 38 का बढ़ाया जाना

12--मूल अधिनियम धारा 36 के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् --

"37--कतिपय परिस्थितियों में कर से परिहार करने का अधिकार--

इस अधिनियम या किसी न्यायालय या अधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में दी गयी किसी बात के होते हुये भी, यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि--

(क) किसी वर्ग के क्रय या विक्रय पर उस दर से जिस पर कर उद्ग्राह्य है, निम्न दर पर कर लगाने या कोई कर न लगाने की प्रथा सामान्यतया प्रचलित थी या है ; और

(ख) ऐसे वर्ग के क्रय या विक्रय—

(1) उन मामलों में जिनमें उक्त प्रथा के अनुसार कर नहीं लगाया जा रहा था या नहीं लगाया जा रहा है, कर के दायित्वाधीन थे या हैं, या

(2) उक्त प्रथा के अनुसार लगाये जा रहे कर दर से उच्चतर दर पर कर के दायित्वाधीन थे या हैं,

तो राज्य सरकार, विज्ञप्ति द्वारा, निदेश दे सकती है कि ऐसे वर्ग के क्रय या विक्रय पर, यदि ऐसी प्रथा न होती तो, देय सम्पूर्ण कर या यथास्थिति, ऐसे वर्ग के क्रय या विक्रय पर देय अधिक कर का, ऐसे वर्ग के क्रय या विक्रय के सम्बन्ध में, जिस पर उक्त प्रथा के अनुसार कर नहीं लगाया जा रहा था या नहीं लगाया जा रहा है या कम कर लगाया जा रहा था या लगाया जा रहा है, भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जायगी ।

38—रुग्ण औद्योगिक इकाईयों के लिये सुविधा—

धारा 8 की उपधारा (1), (1-क), (1-ख), (1-ग) या (2) और धारा 36 में दी गयी किसी बात के होते हुए भी किन्तु ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें आरोपित किया जाना उचित समझा जाय, राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी औद्योगिक इकाई द्वारा देय बकाया के भुगतान को आस्थगित करने या ऐसे देयों का भुगतान उतनी किस्तों में, जितनी विनिर्दिष्ट की जाये, करने की अनुज्ञा दे सकती है यदि ऐसी औद्योगिक इकाई को रुग्ण इकाइयों के पुनरुद्धार के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा गठित प्राधिकृत निकाय द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार रुग्ण इकाई घोषित किया जाय और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी अनुमोदित अभिकरण द्वारा पुनरुद्धार के लिये अनुमोदित किया जाय ।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 1979 की धारा 6 का संशोधन

13—उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) अधिनियम, 1979 की धारा 6 में, उपधारा (1) में, शब्द "सात वर्ष" के स्थान पर शब्द "नौ वर्ष" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे ।

विज्ञप्तियों का संशोधन

14—(1) समय-समय पर यथासंशोधित सरकारी विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0-2-5787/दस-10(1)-80-उ0 प्र0 अधि0-15/48-आदेश-81, दिनांक 7 सितम्बर, 1981 में सूची की क्रम—संख्या 3 के सामने स्तम्भ-2 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी और 7 सितम्बर, 1981 को और उसी दिनांक से रखी गयी समझी जायेगी, अर्थात्—

"सोना-चांदी और सिक्का जिसके अन्तर्गत सोना या चांदी या उसकी किसी मिश्रधातु से बनाये गये पुराने गहने, पुराने बर्तन और अन्य पुरानी वस्तुएं भी हैं ।"

(2) सरकारी विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0-2-6705/दस-7(25)-86-उ0 प्र0 अधि0-15/48-आदेश-86, दिनांक 12 सितम्बर, 1986 में शब्द और अंक "15 सितम्बर, 1986" के स्थान पर शब्द और अंक "1 अप्रैल, 1980" रख दिये जायेंगे और सर्वत्र से रखे गये समझे जायेंगे ।

(3) सरकारी विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0-2-5025/दस-6(12)-79-उ0 प्र0 अधि0-15/48-आदेश-79, दिनांक 30 जून, 1979 और संख्या एस0 टी0-2-5395/दस-902(60)-59-उ0 प्र0 अधि0-15/48-आदेश-82, दिनांक 30 सितम्बर, 1982 में शब्द "बम्बई" और "कानपुर" निकाल दिये जायेंगे और सर्वत्र से निकाले गये समझे जायेंगे ।

एतद्द्वारा संशोधित विज्ञप्तियों की विधिमान्यता

15—इस अधिनियम द्वारा संशोधित विज्ञप्तियां तब तक प्रवृत्त बनी रहेंगी जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 21 के साथ पठित मूल अधिनियम की सुसंगत धारा के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग करके, चाहे इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या उसके पश्चात् उन्हें संशोधित या विखंडित न किया जाय ।

वैधीकरण

16—(1) किसी न्यायालय या अधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व जारी की गई कोई विज्ञप्ति या कृत कोई कार्य या कार्यवाही, जो इस अधिनियम द्वारा यथा-संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार हो, विधिमान्य और विधिपूर्ण समझी जायेगी और सर्वत्र से विधिमान्य और विधिपूर्ण रही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

(2) उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 1987 के प्रारम्भ के पूर्व धारा 4-क के अधीन जारी की गयी या जारी की जाने के लिये तात्पर्यित कोई विज्ञप्ति उक्त अधिनियम द्वारा यथा संशोधित धारा 4-क के अधीन जारी की गयी और इस प्रकार संशोधित धारा 4-क के उपबन्धों के अधीन और उसके अनुसार प्रवृत्त समझी जायेगी, और तब तक प्रभावी बनी रहेगी जब तक कि विधि के अनुसार संशोधित या प्रतिसंहृत न कर दी जाय ।

(3) जहां इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किसी न्यायालय या अधिकारी ने किसी कार्यवाही में मूल अधिनियम के अधीन किसी कर का निर्धारण, उद्ग्रहण या संग्रह किया हो या अर्थ-दण्ड लगाने या किसी अन्य मांग का कोई आदेश दिया हो, या ऐसे कर निर्धारण, उद्ग्रहण, संग्रह, अर्थ-दण्ड या मांग को (पूर्णतः या अंशतः) परिष्कृत, अपास्त या अभिखण्डित करने का कोई आदेश दिया हो, और ऐसा कर निर्धारण या अन्य आदेश इस अधिनियम के उपबन्धों के परिणाम-स्वरूप, इस अधिनियम द्वारा यथा-संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों से असंगत हो जाय, वहां उपधारा (4) के उपबन्धों के अधीन रहते

हुये, कार्यवाही का कोई पक्ष या बिक्री-कर कमिश्नर ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से छः मास के भीतर कर निर्धारण या आदेश का पुनर्विलोकन करने के लिए ऐसे अधिकारी या न्यायालय को प्रार्थना-पत्र दे सकता है और तदुपरान्त ऐसा अधिकारी या न्यायालय कार्यवाही का पुनर्विलोकन कर सकता है और पहले दिये गये आदेश में परिवर्तन या उसका पुनरीक्षण करते हुये ऐसा आदेश दे सकता है जैसा कि इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिये आवश्यक हो ।

(4) यथास्थिति, कर निर्धारक, अपील सुनने वाला या पुनरीक्षण अधिकारी अपने द्वारा दिये गये किसी आदेश में इस अधिनियम के प्रारम्भ से एक वर्ष की अवधि के भीतर या मूल अधिनियम की धारा 22 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, जो भी बाद में समाप्त हो, कोई सुधार कर सकता है जहां ऐसा सुधार इस अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम में किये गये संशोधन के परिणामस्वरूप आवश्यक हो गया हो :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई सुधार जिसका प्रभाव निर्धारित कर, अर्थदण्ड या अन्य देयों को बढ़ाना होगा, तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि सम्बद्ध अधिकारी ने ऐसा करने के अपने अभिप्राय की सूचना सम्बद्ध व्यापारी या व्यक्ति को न दे दी हो और उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया हो ।

निरसन और अपवाद

17--(1) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वधीकरण) अध्यादेश, 1987 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8 सन् 1987

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम और धारा 13 में निर्दिष्ट अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा-संशोधित उपर्युक्त अधिनियमों के तदनुरूप उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 17, खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वंधीकरण) विधेयक, 1987 पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वंधीकरण) विधेयक, 1987 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1987

कृषि मन्त्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)--

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1987 पर विचार किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

संशोधन के प्रस्तावक कोई नहीं हैं अतः प्रस्तुत नहीं किये जा सकते ।

एक सदस्य--

माननीय, पास कराइये ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1987 पर विचार किया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2, खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1987

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है--

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्प-कालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1987 कहा जायगा । — संक्षिप्त नाम

2--उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 की धारा 2 में, उपधारा (1) में, शब्द "चार वर्ष" के स्थान पर शब्द "पांच वर्ष" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे । — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1972 की धारा 2 का संशोधन

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

कृषि मन्त्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)--

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1987 पारित किया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1987 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

मद संख्या 22 में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जो संकल्प के प्रस्तावक हैं मौजूद नहीं है अतः प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1987

कृषि मन्त्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)—

माध्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1987 पर विचार किया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—

संशोधन के प्रस्तावक कोई नहीं हैं अतः संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता ।

एक सदस्य—

इसे पास कराइये ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1987 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्व-सम्मति के स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2 व 3, खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1987

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 1987 कहा जायगा ।

(2) यह 31 मार्च, 1987 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964 की धारा 17 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 को जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 17 में उसके अन्त में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"स्पष्टीकरण—खण्ड (3) के प्रयोजनों के लिए, जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाय, किसी लाइसेंस प्राप्त व्यापारी द्वारा या उसकी ओर से किसी मण्डी क्षेत्र के

बाहर ले जाये गये या ले जाने के लिये प्रस्तावित किसी विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में यह उपधारणा की जायेगी कि उसे ऐसे क्षेत्र के भीतर बेचा गया है और ऐसी स्थिति में, ऐसे उत्पादन के, जिसके बेचे जाने की उपधारणा की जाय, मूल्य को ऐसा युक्तियुक्त मूल्य समझा जायगा जैसा नियत रीति से अभिनिश्चित किया जाय ।"

निरसन और व्यावृत्ति

3—(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 1987 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश अध्या-
देश संख्या 4 सन्
1987

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

मद संख्या 24, कृषि मन्त्री ।

कृषि मन्त्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)—

माननीय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1987 पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1987 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

अब हम भोजनावकाश के लिये उठते हैं और 2·45 बजे (अपराह्न) फिर मिलेंगे ।

(इस समय अपराह्न 12 बजे सदन की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिये स्थगित हुई । भोजनावकाश के उपरान्त सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजकर 45 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

समय से पूर्व बजट प्रस्तुत होने तथा कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत न कर पाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री फजलुल बारी--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है और वह व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मुझको आज कटौती पेश करनी थी आबकारी बजट में और कुछ विभाग में, मेरा नाम एजेण्डा में इसके लिए छपा हुआ है जिसे आप खुद देखेंगे। कायदा यह है कि एक घंटा क्वेश्चन आवर और 20 मिनट अल्पसूचित प्रश्नों के लिए मुकर्रर है। तो इस तरह 12-20 तक प्रश्न चलने चाहिए थे। असल में हम लोग करते यह हैं कि जिस दिन कटौती पेश करनी होती है....

(व्यवधान)

ऊर्जा एवं पर्यटन राज्य मन्त्री (श्री प्रमोद कुमार)--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री फजलुलबारी--

मान्यवर, मैं व्यवस्था पर ही खड़ा हुआ हूं आपकी इजाजत से।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कहिये।

श्री प्रमोद कुमार---

तो इनके बाद आप मुझे बुला लीजिएगा।

श्री फजलुल बारी--

तो मैं अर्ज यह करूंगा कि यह अब तक का कायदा रहा है, आप इस पीठ पर रहे हों या और कोई रहा हो, जब से लंच होना शुरू हुआ है, लंच के बाद ही बजट रखा जाता है, लेकिन आज मान्यवर, कुछ नई बात हो गई, तो इस पीठ से आज प्रजातन्त्र का कत्ल हो गया।

(व्यवधान)

मेरी बात आप सुन लीजिए और मैं जानता हूं कि यहां पर बात सुनी नहीं जायेगी, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि जब जम्हूरियत के गले पर छुरी फेरी जा रही हो, तो यहां पर आकर मैं अपनी आवाज उठाऊं। यह हमारी ड्यूटी बनती है। मैंने कल कहा था और आज भी कहना चाहता हूं कि बजट को पेश किया आपने और अपने क्वेश्चन आवर में ही सारे का सारा ले लिया और मैं यहां पर तैयारी करके आया था कि कटौती पेश करूंगा। लेकिन कटौती के समय के पहले मालूम हुआ कि बजट पास हो गया। हालांकि 12.20 आपको यह करना चाहिये था कि बजट या दूसरा कोई आइटम लेते। मैं कार्यवाही ले आया हूं....

श्री प्रमोद कुमार--

यह व्यवस्था के नाम पर भाषण कर रहे हैं, आप इन्हें बिठाइये। यह समय बरबाद कर रहे हैं।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप सब बैठ जायं।

(व्यवधान)

श्री फजलुल बारी--

जो यह कार्य सरकार कर रही है वही कार्य हिटलर ने किया था जिससे जर्मनी तबाह हो गई थी....।

(घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, यह तीन दिन के लिए कहकर गये थे। यह कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं।

(घोर व्यवधान)

श्री फजलुल बारी--

ऐसी सूरत में मैं यहां रहना सदन के साथ गद्दारी समझता हूं, और मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री फजलुल बारी सदन त्याग करके चले गये)

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, यह परम्परा नहीं है कि घड़ी के हिसाब से कार्यवाही चलेगी। जैसे जैसे कार्यवाही समाप्त होगी, वैसे वैसे कार्यवाही आगे बढ़ेगी, तो मान्यवर, इन्होंने लोकतन्त्र का गला घोंटा है यह नहीं चाहते हैं कि सूखे पर चर्चा हो या और किसी पर चर्चा हो। यह व्यवस्था नहीं चाहते हैं, कुव्यवस्था यह चाहते हैं। मान्यवर, मैं इस बात पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि जो सदन से चला गया, जो सदन से तीन दिन के लिए चला गया क्या उसे आप सदन में बोलने का अधिकार देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

जब आबकारी ग्रान्ट पेश हुई थी उस समय बारी साहब नहीं थे और ग्रान्ट पारित हो गई, तो इस मामले पर तो व्यवस्था का प्रश्न ही नहीं उठाया जा सकता है।

कार्यमंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष--

विधान सभा की कार्यमन्त्रणा समिति ने अपनी दिनांक 17 जुलाई, 1987 की बैठक में सदन के दिनांक 17 जुलाई, 1987 से दिनांक 24 जुलाई, 1987 तक का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में निर्धारित किये जाने की सिफारिश की है :--

17 जुलाई, 1987 शुक्रवार	(1) आज की कार्यसूची में सम्मिलित अनुदानों की मांगों के अतिरिक्त वर्ष

1987-88 के आय-व्ययक के लेख समस्त अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान ।

(2) उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1987 का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण ।

(3) आज की कार्यसूची की शेष मदें ।

18 जुलाई, 1987 शनिवार
19 जुलाई, 1987 रविवार } बैठक नहीं होगी ।
20 जुलाई, 1987 सोमवार
21 जुलाई, 1987 मंगलवार } सूखे पर चर्चा ।
22 जुलाई, 1987 बुधवार
23 जुलाई, 1987 गुरुवार असरकारी दिवस (लम्बित असरकारी संकल्प) ।
24 जुलाई, 1987 शुक्रवार असरकारी दिवस (लम्बित असरकारी विधेयक) ।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

माननवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्यमन्त्रणा समिति की दिनांक 17 जुलाई, 1987 की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को दी है, सहमत है ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्यमन्त्रणा समिति की दिनांक 17 जुलाई, 1987 की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय उपाध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई, सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

वित्तीय वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 2--आवास तथा नगर विकास विभाग (आवास) तथा अनुदान संख्या 3--आवास तथा नगर विकास विभाग (नगर विकास)

नगर विकास राज्य मन्त्री (श्रीमती पद्मा सेठ)--

माननवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 2--आवास तथा नगर विकास (आवास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों का चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 28,81,66,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 3—आवास तथा नगर विकास विभाग (नगर विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,08,66,17,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

कटौती का प्रस्ताव पेश करने वाला कोई नहीं है इसलिये कटौती का प्रस्ताव पेश नहीं हो सकेगा । अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 2—आवास तथा नगर विकास (आवास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 28,81,66,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 3—आवास तथा नगर विकास विभाग (नगर विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,08,66,17,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 18—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)

ऊर्जा एवं पर्यटन राज्य मन्त्री (श्री प्रमोद कुमार)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 40,36,39,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

कटौती का प्रस्ताव पेश करने के लिये कोई माननीय सदस्य नहीं हैं इसलिये कटौती का प्रस्ताव पेश नहीं हो सकेगा ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वर्ष में अनुदान संख्या 18—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 40,36,39,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 20--कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)

ऊर्जा एवं पर्यटन राज्य मन्त्री (श्री प्रमोद कुमार)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 20-कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 50,23,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 20-कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 50,23,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 21-कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)

उर्जा एवं पर्यटन राज्य मन्त्री (श्री प्रमोद कुमार)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या--21 कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-21--कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 23--खेल विभाग

ऊर्जा एवं पर्यटन राज्य मन्त्री (श्री प्रमोद कुमार)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 23-खेल विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,22,10,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 23--खेल विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,22,10,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 26--गृह विभाग (कारागार)

गृह राज्य मन्त्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)--

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 26--गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 19,42,85,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-26--गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 19,42,85,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृति की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 28--गृह विभाग (राजनैतिक पेन्शन तथा अन्य व्यय)

सामान्य प्रशासन राज्य मन्त्री (श्री राम नरेश शुक्ल)--

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 28--गृह विभाग (राजनैतिक पेन्शन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,11,96,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 28--गृह विभाग (राजनैतिक पेन्शन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,11,96,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या-29 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)

सामान्य प्रशासन राज्य मन्त्री (श्री राम नरेश शुक्ल)--

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 29--गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,10,32,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि दिनांक 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 29--गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के

लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,10,32,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 30—गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)

गृह राज्य मन्त्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)—

माननीय, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 30—गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 28,13,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 30—गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 28,13,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 38—नागरिक उड्डयन विभाग

ऊर्जा एवं पर्यटन राज्य मन्त्री श्री (प्रमोद कुमार)—

माननीय, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–38 नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,21,59,000 रुपये से अनधिक धनराश स्वीकृत की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–38 नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,21,59,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 39—नियुक्ति विभाग

ऊर्जा एवं पर्यटन राज्य मन्त्री (श्री प्रमोद कुमार)—

माननीय, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 39–नियुक्ति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,61,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 39—नियुक्ति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,61,000 रु० से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 40—नियोजन विभाग

वित्त एवं नियोजन राज्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

माननीय, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 40—नियोजन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,31,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 40—नियोजन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,31,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 41—निर्वाचन विभाग

गृह राज्य मन्त्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)—

माननीय, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 41—निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,65,33,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 41—निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,65,33,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 42—न्याय विभाग

गृह राज्य मन्त्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)—

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 42—न्यायालय

विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 25,12,84,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 42—न्याय विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 25,12,84,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 44—पर्यटन विभाग

उप मन्त्री पर्यटन विभाग (श्रीमती प्रेमीला बद्धवार मेहरा)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हू कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 44—पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होन वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,59,86,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है और वह यह कि पर्यटन विभाग तो बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और हमारे नवयुवक माननीय विधायकगण इसमें रुचि रखते हैं चूंकि समयाभाव को देखते हुए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप माननीया मन्त्री जी को यह निर्देश दें कि जिन माननीय सदस्यों को इसमें रुचि है वे उनको अपने कक्ष में बुलाकर चर्चा का अवसर दे दें ।

(हंसी)

ऊर्जा एवं पर्यटन राज्य मन्त्री (श्री प्रमोद कुमार)—

मुझ मान्यवर, स्वीकार है ।

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय—

मान्यवर, माननीय डा० कौशल जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया था, उस पर आपने कोई व्यवस्था नहीं दी ?

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम आगे निकल गये, कृपया आप आसन ग्रहण करें ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 44—पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,59,86,000 रुपय से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 45—प्रशासनिक सुधार विभाग

ऊर्जा राज्य मन्त्री (श्री प्रमोद कुमार)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 45—प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 19,89,000 रु० से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1688 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 45—प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 19,89,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 46—प्राविधिक शिक्षा विभाग

प्राविधिक शिक्षा राज्य मन्त्री (श्री चेतराम गंगवार)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 46—प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 24,34,64,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 46—प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 24,34,64,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 48—मुस्लिम वक्फ विभाग

शिक्षा एवं मुस्लिम वक्फ मन्त्री (श्री सिब्ते रजी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 48—मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 22,07,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 48—मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्य

धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 22,07,000 रु० से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 52--राष्ट्रीय एकीकरण विभाग

ऊर्जा एवं पर्यटन राज्य मन्त्री (श्री प्रमोद कुमार)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 52--राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 46,02,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 52--राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 46,02,000 रु० से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 54--वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)

वित्त एवं नियोजन राज्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)--

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से और राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 54--वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,41,98,59,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 54--वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,41,98,59,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या--55 वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)

वित्त एवं नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)--

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 55--वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 68,53,38,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 55--वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 68,53,38,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 56--वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

वित्त एवं नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)--

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति और राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 56--वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,42,72,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 56--वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,42,72,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 57--वित्त विभाग (राज्य लाटरी)

वित्त एवं नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 57--वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 33,66,67,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 57--वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 33,66,67,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 58--वित्त विभाग (लेखा परीक्षा अल्प बचत आदि)

वित्त एवं नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 58--

वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,10,30,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृति की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 58--वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,10,30,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 59--वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)

वित्त एवं नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)--

माध्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 59--वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,59,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 59--वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,59,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 60--विधान परिषद् सचिवालय

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

माध्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 60--विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 93,36,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 60--विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 93,36,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 61—विधान सभा सचिवालय

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 61—विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,03,45,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 61—विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,03,45,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 62—विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 62—विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,83,33,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 62—विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,83,33,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 63—विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 63—विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,01,92,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 63—विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के

लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,01,92,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृति की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 64--शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)

शिक्षा मंत्री (श्री सिब्ते रजी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 64--शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 55,10,44,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या--64 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 55,10,44,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 65--शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)

शिक्षा मंत्री (श्री सिब्ते रजी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-65 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,29,66,88,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 65--शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,29,66,88,000 रुपय से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 66--शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा ।)

शिक्षा मंत्री (श्री सिब्ते रजी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 66--शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,20,64,10,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 66-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,20,64,10,000 रुपय से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 67-शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा)

शिक्षा मंत्री (श्री सिब्ते रजी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 67-शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,79,07,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 67-शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये, आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,79,07,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या--68 शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)

शिक्षा मंत्री (श्री सिब्ते रजी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 68-शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,26,32,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 68-शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,26,32,000 रुपये से अनधिक धनरशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

सदन में बैठे एक अजनबी व्यक्ति के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी--

मान्यवर, एक गम्भीर व्यवस्था का प्रश्न है । अभी बाहर का एक व्यक्ति मेरे बगल में सदन में बैठा हुआ था, जो किसी भी रूप में इस आदरणीय सदन का सदस्य

नहीं हैं और न ही यहां पर किसी भी रूप में आने का अधिकारी हैं । विधान सभा के जो रक्षक हैं, वह उसे पिछले दरवाजे से निकाल रहे थे । इस समय उनको 'हां' लाबी में रखा गया है । आप इस पर व्यवस्था दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं अभी मामले को दिखवा रहा हूं ।

वित्तीय वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 69-श्रम विभाग (श्रम कल्याण)

श्रम राज्य मंत्री (कुमारी सरस्वती अम्माल)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 69-श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 18,37,65,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 69-श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 18,37,65,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 70-श्रम विभाग (सेवायोजन)

श्रम राज्य मंत्री (कुमारी सरस्वती अम्माल)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 70-श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,53,08,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 70-श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,53,08,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 78-संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)

वित्त तथा नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 78-संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 23,90,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 78-संस्थागत वित्त विभाग (निवेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 23,90,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 79—संस्थागत वित्त विभाग (बिक्री-कर)

वित्त एवं नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 79—संस्थागत वित्त विभाग (बिक्री-कर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,88,62,000 रु० से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 79—संस्थागत वित्त विभाग (बिक्री-कर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,88,62,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 80—संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)

वित्त एवं नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 80—संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 72,50,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 80—संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 72,50,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 81—संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)

वित्त एवं नियोजन राज्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 81—संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की

पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृति धनराशि के अतिरिक्त 2,92,19,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 81--संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,92,19,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 82--सचिवालय प्रशासन विभाग

ऊर्जा एवं पर्यटन राज्य मन्त्री (श्री प्रमोद कुमार)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 82--सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,16,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 82--सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 14,16,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 83--सतर्कता विभाग

गृह राज्य मन्त्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 83--सतर्कता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,44,71,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 83--सतर्कता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,44,71,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 85--सांस्कृतिक कार्य विभाग

राजस्व राज्य मन्त्री (श्री गौरी शंकर)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 85--सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले

परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,67,04,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 85--सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,67,04,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 86--सामान्य प्रशासन विभाग

सामान्य प्रशासन राज्य मन्त्री (श्री राम नरेश शुक्ल)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 86--सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,82,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष --

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 86--सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,82,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 87--सार्वजनिक उद्यम विभाग

ऊर्जा एवं पर्यटन राज्य मन्त्री (श्री प्रमोद कुमार)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 87--सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,73,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 87--सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,73,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 88—सूचना विभाग

ऊर्जा एवं पर्यटन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 88--सूचना विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,81,12,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष--

कटौती के लिये अभी भी कोई माननीय सदस्य नहीं हैं, इसलिये इसे मैं प्रश्न के लिये उपस्थित करता हूं । प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 88--सूचना विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,81,12,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1987

वित्त तथा नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1987 को पुरः-स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1987 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1987 को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

सदन में प्रतियां बांट दी जायं ।

(सदन में विनियोग विधेयक, 1987 की प्रतियां वितरित की गयीं ।)

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1987 पर विचार किया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1987 पर विचार किये जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1987

31 मार्च, 1988 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्ष नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1987 कहलायेगा ।

उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 1987–88 के लिये 85,41,95,88,000 रुपयों का निकाला जाना

2—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त जो 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ 2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ 3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सब का कुल योग [उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1987 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1987) की अनुसूची के स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट धनराशियों को सम्मिलित करके] 85,41,95,88,000 रुपये (केवल पचासी अरब, इकतालिस करोड़, पंचानवे लाख, अट्ठासी हजार रुपये) होता है, अधिक न हो ।

विनियोग

3—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31, मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा, जो अनुसूची में दिये हुये हैं ।

अनुसूची
(धारायें 2 व 3 देखें)

अनुदान/क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2			3	
1	आबकारी विभाग ..	राजस्व	4,64,19	10	4,64,29
		पूंजी	..	..	..
2	आवास तथा नगर विकास विभाग (आवास)..	राजस्व	10,70,32	7,46,00	18,16,32
		पूंजी	32,08,34	3,60,45	35,68,79
3	आवास तथा नगर विकास विभाग (नगर विकास)	राजस्व	1,56,11,76	10	1,56,11,86
		पूंजी	5,37,50	..	5,37,50
4	उद्योग विभाग (खानें और खनिज) ..	राजस्व	1,70,63	5	1,70,68
		पूंजी	5,05,00	..	5,05,00
5	उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) ..	राजस्व	22,29,10	28	22,29,38
		पूंजी	9,29,77	50	9,30,27
6	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) ..	राजस्व	37,81,48	81	37,82,29
		पूंजी	3,34,78	90	3,35,68
7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) ..	राजस्व	2,84,67	1,38,33	4,23,00
		पूंजी	42,07,34	1,60,97	43,68,31

उत्तर प्रदेश विधान सभा

8	उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) ..	राजस्व	15,86,88	..	15,86,88	
		पूंजी	90,05	..	90,05	
9	उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) ..	राजस्व	11,87	..	11,87	
		पूंजी	2,35,00	..	2,35,00	
10	ऊर्जा विभाग ..	राजस्व	1,13,74	..	1,13,74	
		पूंजी	2,54,30,00	..	2,54,30,00	
11	कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (औद्यानिक विकास)	राजस्व	16,55,85	6,99	16,62,84	
		पूंजी	4,76,63	..	4,76,63	
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) ..	राजस्व	1,08,53,46	2.12	1,08,55,58	
		पूंजी	77,62,13	50	77,62,63	
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) ..	राजस्व	3,79,29,53	10	3,79,29,63	
		पूंजी	17,76,12	..	17,76,12	
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	राजस्व	53,78,61	21	53,78,82	
		पूंजी	1,00	..	1,00	
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) ..	राजस्व	36,24,69	10	36,24,79	
		पूंजी	2,68,13	..	2,68,13	
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	राजस्व	3,33,61	3,61	3,37,22	
		पूंजी	2,56,36	6,00	2,62,36	
17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) .	राजस्व	4,51,41	2	4,51,43	
		पूंजी	..	..	..	
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्व	11,91,98	5,37,65	17,29,63	
		पूंजी	41,78,54	6,09,32	47,87,86	
19	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास)	राजस्व	42,50,04	..	42,50,04	
		पूंजी	9,97,00	..	9,97,00	

1	2		3		
20	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) ..	राजस्व	1,04,41	..	1,04,41
		पूंजी	30,00	..	30,00
21	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) ..	राजस्व	..	1,72,22	1,72,22
		पूंजी	40,00	..	40,00
22	खाद्य तथा रसद विभाग ..	राजस्व	18,74,99	5,09,90	23,84,89
		पूंजी	6,50,92,00	45,00,50	6,95,92,50
23	खेल विभाग ..	राजस्व	3,21,75	..	3,21,75
		पूंजी	..	..	..
24	गन्ना विकास विभाग (गन्ना) ..	राजस्व	14,97,26	1,60	14,98,86
		पूंजी	3,00,00	4,86	3,04,86
25	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) ..	राजस्व	18,06,99	17,04,35	35,11,34
	..	पूंजी	42,19,01	1,70,08	43,89,0 9
26	गृह विभाग (कारागार) ..	राजस्व	22,04,93	2	22,04,95
	..	पूंजी	6,64,87	..	6,64,87
27	गृह विभाग (पुलिस) ..	राजस्व	3,20,37,30	51,59	3,20,88,89
		पूंजी	36,61,10	35,53	36,96,63
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व	12,15,44	..	12,15,44
		पूंजी	..	..	..
29	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) ..	राजस्व	16,62,99	..	16,62,99
		पूंजी	..	..	..
30	गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) ..	राजस्व	42,20	..	42,20
		पूंजी	..	..	.
*31	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय) ..	राजस्व	..	46,18	46,18
		पूंजी	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) ..	राजस्व	1,20,13,44	1,00	1,20,14,44	
		पूंजी	16,17,52	..	16,17,52	
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) ..	राजस्व	17,47,85	2	17,47,87	
		पूंजी	..	..	..	
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) ..	राजस्व	5,37,00	..	5,37,00	
		पूंजी	..	..	..	
35	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व	65,79,35	25	65,79,60	
		पूंजी	75,44	..	75,44	
36	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) ..	राजस्व	84,53,99	39	84,54,38	
		पूंजी	80,55	..	80,55	
37	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) ..	राजस्व	65,40,34	50	65,40,84	
		पूंजी	..	..	..	
38	नागरिक उड्डयन विभाग ..	राजस्व	2,86,93	..	2,86,93	
		पूंजी	9,49	..	9,49	
39	नियुक्ति विभाग ..	राजस्व	18,84	..	18,84	
		पूंजी	..	..	..	
40	नियोजन विभाग ..	राजस्व	9,32,69	..	9,32,69	
		पूंजी	..	..	..	
41	निर्वाचन विभाग ..	राजस्व	2,47,99	..	2,47,99	
		पूंजी	..	..	..	
42	न्याय विभाग ..	राजस्व	35,23,73	4,89,86	40,13,59	
		पूंजी	1,49,85		1,49,85	

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या

विधान सभा

1	2			3		
43	परिवहन विभाग	..	राजस्व	30,9 ,72	12	30,95,84
			पूंजी	2	..	2
44	पर्यटन विभाग	..	राजस्व	93,46	..	93,46
			पूंजी	96,76	..	96,76
45	प्रशासनिक सुधार विभाग	..	राजस्व	29,83	..	29,83
			पूंजी	..	..	..
46	प्राविधिक शिक्षा विभाग	..	राजस्व	32,46,84	2	32,46,86
			पूंजी	2,17,79	..	2,17,79
47	पर्वतीय विकास विभाग	..	राजस्व	1,24,07,60	22,01	1,24,29,61
			पूंजी	76,86,40	12,00	76,98,40
48	मुस्लिम वक्फ विभाग	..	राजस्व	33,11	2,73	35,84
			पूंजी	..	..	..
49	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	..	राजस्व	34,36,93	35	34,37,28
			पूंजी	..	..	..
50	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	..	राजस्व	11,50,89	16,41,06	27,91,95
			पूंजी	1,42,23	23,36	1,65,59
51	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	..	राजस्व	1,04,18,20	1,39,01	1,05,57,21
			पूंजी	73	2,51,52	2,52,25
52	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	..	राजस्व	62,59	..	62,59
			पूंजी	1,50	..	1,50
53	वन विभाग	..	राजस्व	61,26,42	20	61,26,62
			पूंजी	21,70	..	21,70
54	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	..	राजस्व	2,00,09,97	6,96,35,53	8,96,45,50
			पूंजी	13,24,67	13,74,43,94	13,87,68,61

उत्तर प्रदेश विधान सभा

55	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन) ..	राजस्व	1,02,37,57	15,37	1,02,52,94	
		पूंजी	..	..	..	
56	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व	7,39,37	..	7,39,37	
		पूंजी	61,70	..	61,70	
57	वित्त विभाग (राज्य लाटरी) ..	राजस्व	50,50,01	..	50,50,01	
		पूंजी	..	..	..	
58	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) ..	राजस्व	14,87,76	4	14,87,80	
		पूंजी	..	..	..	
59	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) ..	राजस्व	12,49	8,54,75	8,67,24	
		पूंजी	30	..	30	
60	विधान परिषद सचिवालय ..	राजस्व	1,39,91	3,38	1,43,29	
		पूंजी	..	..	..	
61	विधान सभा सचिवालय ..	राजस्व	4,54,09	4,49	4,58,58	
		पूंजी	..	..		
62	विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल) ..	राजस्व	..	..	..	
		पूंजी	4,32,00	..	4,32,00	
63	विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग ..	राजस्व	7,40,78	..	7,40,78	
		पूंजी	..	..	..	
64	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) ..	राजस्व	81,88,53	15,85	82,04,38	
		पूंजी	30,00	..	30,00	
65	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) ..	राजस्व	3,43,44,83	5,76,55	3,49,21,38	
		पूंजी	70,10	.	70,10	

1	2		3		
66	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) ..	राजस्व	4,79,07,20	11,00,01	4,90,07,21
		पूंजी	..	..	..
67	शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा) ..	राजस्व	11,68,60	..	11,68,60
		पूंजी	..	..	..
68	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) ..	राजस्व	1,89,48	..	1,89,48
		पूंजी	..	..	..
69	श्रम विभाग (श्रम कल्याण) ..	राजस्व	27,26,12	3	27,26,15
		पूंजी	..	..	..
70	श्रम विभाग (सेवायोजन) ..	राजस्व	16,39,38	20	16,39,58
		पूंजी	48,42	..	48,42
71	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) ..	राजस्व	67,34,33	5	67,34,38
		पूंजी	..	..	..
72	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) ..	राजस्व	5,20,75	17	5,20,92
		पूंजी	11,95,94	1,00	11,96,94
73	सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) ..	राजस्व	3,71,46	20,77	3,92,23
		पूंजी	5,10,45	50	5,10,95
74	सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) ..	राजस्व	6,59,27	20	6,59,47
		पूंजी	23,97,06	3,25	24,00,31
75	सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) ..	राजस्व	90,38,02	10	90,38,12
		पूंजी	1,56,35,15	50	1,56,35,65
75-क	सार्वजनिक निर्माण विभाग (राज्य सम्पति निदेशालय)	राजस्व	4,14	..	4,14
		पूंजी	..	..	..
76	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	67,30,71	20	67,30,91
		पूंजी	67,64,38	..	67,64,38

77	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व	3,27,98,05	50,10	3,28,48,15
		पूंजी	4,04,25,62	1,25,52	4,05,51,14
78	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	राजस्व	32,10	4	32,14
		पूंजी	3,75	..	3,75
79	संस्थागत वित्त विभाग (बिक्री-कर)	राजस्व	22,23,67	40	22,24,07
		पूंजी	..	..	..
80	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	राजस्व	1,07,51	..	1,07,51
		पूंजी	..	..	..
81	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	राजस्व	4,27,60	4	4,27,64
		पूंजी	5,00	..	5,00
82	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व	21,05,38	4	21,05,42
		पूंजी	..	..	..
83	सतर्कता विभाग	राजस्व	2,16,56	11,83	2,28,39
		पूंजी	..	..	..
84	सहायता एवं पुनर्वासन विभाग	राजस्व	22,93	5	22,98
		पूंजी	19,98	50	20,48
85	सांस्कृतिक कार्य विभाग	राजस्व	2,42,75	2	2,42,77
		पूंजी	..	..	..
86	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	13,23	2	13,25
		पूंजी	..	..	..
87	सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व	19,10	..	19,10
		पूंजी	..	..	..

अनुपूरक सभा

1	2		3		
88	सूचना विभाग	राजस्व	7,12,68	..	7,12,68
		पूंजी	..	..	..
89	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व	1,02,45	2	1,02,47
		पूंजी	..	..	..
90	हरिजन एंव समाज कल्याण विभाग (हरिजन कल्याण)	राजस्व	99,99,71	2	99,99,73
		पूंजी	..	..	..
91	हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण)	राजस्व	46,78,62	2	46,78,64
		पूंजी	..	..	..
92	हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (जन जाति कल्याण)	राजस्व	2,03,52	2	2,03,54
		पूंजी	2,40	..	2,40
	योग ..	राजस्व	42,77,46,45	7,85,10,16	50,62,56,61
		पूंजी	20,42,27,57	14,37,11,70	34,79,39,27
	कुल योग ..		63,19,74,02	22,22,21,86	85,41,95,88

उत्तर प्रदेश विधान मंडल

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3, अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

वित्त तथा नियोजन राज्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1987 पारित किया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1987 पारित किया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1987

उच्च शिक्षा राज्य मन्त्री (श्री प्रवीन कुमार शर्मा)—

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1987 पर विचार किया जाये ।

(इसमें संशोधन के प्रस्तावकों में से कोई भी सदस्य उपस्थित नहीं थे ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1987 पर विचार किया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

[खण्ड 2 से 7, खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1987

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) संक्षिप्त नाम अधिनियम, 1987 कहा जायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, सन् 1974 द्वारा यथा पुनः अधिनियमित तथा संशोधित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10, सन् 1973 की धारा 4 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 को, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 में,--

(क) उपधारा (1-क) में,--

(एक) खंड (ख) में, शब्द "और" निकाल दिया जायगा ;

(दो) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्

"(घ) जौनपुर में पूर्वांचल विश्वविद्यालय के नाम से विश्वविद्यालय"

(ख) उपधारा (1-ख) में, खंड (अ) में, शब्द "31 दिसम्बर, 1981 तक या" निकाल दिये जायेंगे और शब्द "जो भी पहले हो" के स्थान पर शब्द या "ऐसी अन्य पूर्वतर तारीख तक जैसी राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाय" रख दिये जायेंगे ।

धारा 38 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 38 में, उपधारा (8) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्--

"(8) इस धारा में या धारा 5 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे किसी विश्वविद्यालय के, जिस पर यह धारा लागू होती हो, क्षत्र में स्थित किसी सहयुक्त महाविद्यालय को ऐसे निबंधों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त जारी किये जायें, किसी ऐसे विश्वविद्यालय द्वारा जिस पर धारा 27 लागू होती हो सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान किया जा सकेगा ।"

धारा 50 का संशोधन

4--मूल अधिनियम की धारा 50 में, उपधारा (1-क) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्--

"(1-ख) इस धारा के अधीन पूर्वांचल विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमावली के बनाये जाने तक, उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त गोरखपुर विश्वविद्यालय के परिनियम, ऐसे अनुकूलनों और उपान्तरों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा उपबन्धित किये जायें इस पर लागू होंगे ।"

धारा 52 का संशोधन

5--मूल अधिनियम की धारा 52 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्--

"(2-क) उपधारा (2) के अधीन पूर्वांचल विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश बनाये जाने तक, उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त गोरखपुर विश्वविद्यालय के अध्यादेश ऐसे अनुकूलनों और उपान्तरों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा उपबन्धित किये जाय, इस पर लागू होंगे ।"

अनुसूची का संशोधन

6--मूल अधिनियम की अनुसूची में,--

(क) क्रम संख्या 4 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रख दी जायेंगी, अर्थात्--

"4--गोरखपुर विश्वविद्यालय--

(1) पूर्वांचल विश्वविद्यालय की स्थापना होने तक	आजमगढ़, बलिया, बस्ती, देवरिया, गाजीपुर, गोरखपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और वाराणसी के जिले ।
(2) पूर्वांचल विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाने पर	बस्ती, देवरिया और गोरखपुर के जिले ।"

(ख) क्रम संख्या 11 की प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्--

"12--पूर्वांचल विश्वविद्यालय	आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और वाराणसी के जिले ।"

कठिनाइयों को दूर करना

7--(1) राज्य सरकार पूर्वांचल विश्वविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा, निदेश दे सकती है कि मूल अधिनियम के उपबन्ध ऐसी अवधि के दौरान जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, चाहे वे उपान्तर, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे :

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जायेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई कठिनाई विद्यमान नहीं थी या उसको दूर करना अपेक्षित नहीं था ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 7, खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उच्च शिक्षा राज्य मन्त्री (श्री प्रवीण कुमार शर्मा)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्व-विद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1987 पारित किया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1987 पारित किया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और [illegible] संशोधन) विधेयक, 1987

राजस्व राज्य मन्त्री (श्री गौरी शंकर)—

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1987 पर विचार किया जाय ।

माननीय, यह एवं मासूम सा संशोधन विधेयक है और स्वतः स्पष्ट विधेयक है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1987 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया तथा और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2 व 3, खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर देश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1987

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 1987 कहा जायेगा ।

(2) यह 15 अप्रैल, 1987 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम, संख्या 1 सन् 1951 में नई धारा 131-क का बढ़ाया जाना

2—उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था-अधिनियम, 1950 को, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 131 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्—

"131-क-कतिपय परिस्थितियों में, गांव सभा या राज्य सरकार की भूमि में भूमिधर अधिकार

धारा 132 और 133-क के उपबन्धों के अधीन रहते हुये प्रत्येक व्यक्ति जिसकी जोत और कब्जे में जिला मिर्जापुर के कैमूर रेन्ज के दक्षिण भाग में 30 जून, 1978 के पूर्व से, भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 20 के अधीन अधिसूचित भूमि से भिन्न कोई ऐसी भूमि हो जो धारा 117 के अधीन किसी गांव सभा में निहित हो या राज्य सरकार की हो असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो गया समझा जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां किसी व्यक्ति की जोत और कब्जे में भूमि और उसके द्वारा उत्तर प्रदेश में धृत कोई अन्य भूमि उत्तर

प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के अधीन अवधारित अधिकतम क्षेत्र से अधिक हो, वहां ऐसे व्यक्ति के पक्ष में प्रथम उल्लिखित भूमि के उतने क्षेत्र के सम्बन्ध में जो उसके द्वारा धृत ऐसी अन्य भूमि को मिला कर उस पर लागू अधिकतम क्षेत्र से अधिक न हो, असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधरी अधिकार प्रोद्भूत होगा और उक्त क्षेत्र उपर्युक्त अधिनियम में निर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार नियत रीति से सीमांकित किया जायेगा ।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 1987

3--(1) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था निरसन और (संशोधन) अध्यादेश, 1987 एतद्द्वारा अपवाद निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृतकार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

राजस्व राज्य मन्त्री (श्री गौरी शंकर)--

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1987 पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1987 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

निलम्बित सदस्यों के निलम्बन को तत्काल प्रभाव से समाप्त किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

माननीय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि जो 52 सदस्य 25 जून, 1987 और 26 जून, 1987 को सदन के प्रस्ताव से, वर्तमान सत्र की शेष कालावधि के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किये गये थे, उनका निलम्बन तात्कालिक प्रभाव से समाप्त किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि जो 52 सदस्य 25 जून, 1987 और 26 जून, 1987 को सदन के प्रस्ताव से वर्तमान सत्र की शेष कालावधि के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किये गये थे, उनका निलम्बन तात्कालिक प्रभाव से समाप्त किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

आज की कार्यसूची की मद संख्या 29 के स्थगन की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

इसे माननीय रघुवर दयाल वर्मा की प्रार्थना पत्र पर स्थगित किया गया ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

आज नियम 51 के अन्तर्गत कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

सूचना विभाग उत्तर प्रदेश में छपाई के कागजों की खरीद में घोटाला किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य यदि सहमत हों तो यह वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय ?

(किसी के आपत्ति न करने पर ।)

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)

[माननीय सदस्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई नोटिस दिनांक 7 जुलाई, 1987 में जो बिन्दु उठाये गये हैं, चूंकि उन पर अभी सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच कराई जा रही है, जो अभी चल रही है, अतः इस समय कोई वक्तव्य देना जनहित में न होगा ।]

हाथरस-आगरा मार्ग पर परिवहन निगम की दो बसों में हुई दुर्घटना के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य यदि सहमत हों तो यह वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय ?

(किसी के आपत्ति न करने पर)

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

[दिनांक 3-7-1987 को 15-30 बजे आगरा-हाथरस मार्ग पर सादाबाद-संदीली के मध्य गोगला गांव के पास आगरा क्षेत्र के शिकोहाबाद डिपो की बस संख्या यू0 ओ ओ0 9114 तथा अलीगढ़ क्षेत्र के हाथरस डिपो की बस संख्या-यू0 एच0 एन0-1138 की आपस में टक्कर होने से दुर्घटना हुई । दुर्घटना के दिन दोनों बसें, सम्बन्धित डिपो के फोरमैनों द्वारा ओ0 के0 प्रमाण-पत्र दिये जाने के पश्चात् ही मार्ग पर भेजी गई थी और उनमें कोई यांत्रिक खराबी नहीं थी । इन दोनों ही बसों में स्पीड कन्ट्रोल-डिवाइस लगी थी ।

इस दुर्घटना में बस संख्या यू0 एच0 एन0-1138 के चालक सहित कुल 15 यात्रियों की मृत्यु हुई जिनमें से 6 की मृत्यु दुर्घटना-स्थल पर तथा 9 की मृत्यु बाद में अस्पताल में हुई, तथा 43 यात्री घायल हुए जिन्हें आगरा तथा हाथरस के अस्पतालों में भर्ती कराया गया । इनमें से 7 को प्राथमिक उपचार के बाद हाथरस के अस्पताल से मुक्त कर दिया गया था । गम्भीर रूप से घायल एक यात्री की दिनांक 5-7-1987 को आगरा के अस्पताल में मृत्यु हो गई, जो कि उक्त 15 में सम्मिलित है ।

नोट :—[ ] यह वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।

उक्त दुर्घटना की सूचना प्राप्त होते ही परिवहन सचिव एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, दिनांक 4-7-1987 को आगरा पहुंचे जहां उन्होंने घायलों को देखा तथा उनके उपचार के निमित्त आवश्यक व्यवस्था के निर्देश दिए ।

मृतकों के आश्रितों को निगम द्वारा 2,000 रु० प्रत्येक की दर से अंतरिम सहायता हेतु क्रमशः 16,000 रु० का चेक जिलाधिकारी, आगरा तथा 12,000 रु० का चेक जिलाधिकारी, मथुरा को वितरित करने के लिए दिया गया । मृतक चालक के आश्रित तथा आगरा अस्पताल में मृत यात्री के आश्रितों में से प्रत्येक को भी 2,000 रु० नकद भुगतान किया गया । मुआवजे का शेष रकम का भुगतान सम्बन्धित जिलाधिकारी से मृतक यात्रियों/राहगीरों के कानूनों वारिसान को जानकारी प्राप्त करने के बाद किया जायेगा । प्रश्नगत दुर्घटना में क्षेत्रीय प्रबन्धक, आगरा, द्वारा जिलाधिकारी, आगरा के मृतक व्यक्तियों के कानूनों वारिसान के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिए पत्र लिख दिया गया है । इस सम्बन्ध में निगम मुख्यालय द्वारा भी जिलाधिकारी, आगरा एवं मथुरा को अन्तरिम सहायता के भुगतान एवं शेष मुआवजे के भुगतान करने हेतु कानूनों वारिसान की जानकारी शीघ्र कराये जाने का अनुरोध किया गया है ।

घायलों के उपचार के लिए आवश्यक दवाइयां (जो अस्पताल में सुलभ न हों) उपलब्ध कराने हेतु आगरा तथा हाथरस के अस्पतालों में एक-एक वरिष्ठ केन्द्र प्रभारी को वांछित धनराशि के साथ तैनात किया गया । उनके द्वारा 4-7-1987 तक कुल 1,230 रु० की दवाएं बाजार से क्रय करके घायलों को चिकित्सा के लिए उपलब्ध कराई गयी ।

इसके अलावा घायलों को चोट की गम्भीरता के अनुसार 250 रु० तथा 500 रु० की दर से अन्तरिम सहायता भी दी गयी । इस प्रकार कुल 6,000 रु० की अन्तरिम सहायता घायलों को उपलब्ध कराई गयी ।

इसके अतिरिक्त, 15 मृतकों के आश्रितों के लिए 3,00 लाख रु० की धनराशि प्रतिकर के रूप में परिवहन आयुक्त द्वारा स्वीकृत करके सम्बन्धित जिलाधिकारी को टेलीग्राम द्वारा सूचित कर दिया गया है जिसे वे नियमानुसार पात्र आश्रितों को वितरित करेंगे ।

परिवहन निगम द्वारा बसों को कार्यशाला से ओ० के० प्रमाण-पत्र देने के पश्चात् ही मार्ग पर भेजा जाता है, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि वह पूर्णतः सही तथा संचालन योग्य है । हाथरस डिपो की दुर्घटनाग्रस्त बस नं० 1138 को डिपो के फोरमैन द्वारा ओ० के० प्रमाण-पत्र दिए जाने के पश्चात् ही सही दशा में मार्ग पर भेजा गया था । इस बस के स्टेयरिंग में कोई खराबी नहीं थी और न ही पूर्व में ऐसी कोई खराबी चालक द्वारा अवगत कराई गयी थी । जहां तक कमानी टूटने का प्रश्न है, उस दिन इस बस को मार्ग पर भेजने के पूर्व ही उसकी टूटी हुई कमानी को हटाकर दूसरी सही दशा की कमानी फिट की गयी थी । इस प्रकार यह बस सही हालत में थी ।

उक्त बस को संभागीय परिवहन विभाग द्वारा दी गई फिटनेस की वैधता 22-3-1987 को समाप्त हो गई थी, परन्तु सीनियर फोरमैन की लापरवाही के कारण उसका रिन्यूवल नहीं कराया गया, यद्यपि उसे यांत्रिक दशा सही होने तथा विभागीय तकनीकी अधिकारियों द्वारा फिटनेस दिये जाने के कारण संचालित किया जाता रहा । इसके लिए सीनियर फोरमैन एवं उस दिनांक को तैनात जूनियर फोरमैन को दोषी पाये जाने पर निलम्बित कर दिया गया है ।

नोट—[ ] यह वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।

सदन में बैठे अजनबी व्यक्ति को सजा दिये जाने के सम्बन्ध प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय संसदीय कार्य मन्त्री, आज जो सदन के अन्दर एक अजनबी व्यक्ति मौजूद था, उसके बारे में क्या रिपोर्ट है ?

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, हमें यह देखना है कि वह व्यक्ति अपनी मर्जी से आया या गलत फहमी से आया । लेकिन कुछ न कुछ सजा जो आप देना मुनासिब समझें, जरूर दें । उसकी जानकारी कर लें । हम लोग आपको यह अधिकार देते हैं कि जो भी आप उचित समझें इस सदन की गरिमा को बनाये रखने के लिये, सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए जो भी सजा मुनासिब समझें, वह दें ।

श्री पूरन सिंह माहरा—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । चूंकि यहां पर एक गैर आदमी, एक बाहरी व्यक्ति बैठा था इसलिये आप हम लोगों की सीटों का ऊपर, नीचे सूक्ष्म परीक्षण करा लें । क्योंकि यह एक गम्भीर बात है । इसलिये इसे भी आप देख लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संसदीय कार्य मन्त्री ने जो प्रस्ताव रखा है, उससे सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

अब हम उठते हैं और मंगलवार को 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 3 बजकर 54 मिनट पर मंगलवार, दिनांक 21 जुलाई, 1987 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ ।

माल चन्द्र शुक्ल,

सचिव,

दिनांक 17 जुलाई, 1987 ई०

विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

देखिये सा० प्र० सं० 5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 17 पर ।

संस्थाओं की सूची जिनको स्वीकृति के बाद अनुदान का भुगतान नहीं हुआ ।

क्रम-संख्या	संस्था का नाम	स्वीकृत धनराशि	वर्ष	तिथि
1	2	3	4	5
		रु०		
1	शहीद मेमोरियल मान्टेसरी स्कूल, लखनऊ	24773.00	1982-83	30-3-85
2	तदंव (फास्टर केयर योजना)	43110.00	1983-84	30-3-85
3	राजेश इम्प्राइडरी एशोसियेशन, कानपुर	19127.00	1981-82	11-10-83
4	ईश्वर शरण आश्रम, इलाहाबाद (बालगृह)	21969.10	1980-81	31-7-82
5	कृष्णा साइन्स कालेज, कानपुर, बालगृह	17314.00	1981-82	31-3-82
6	निराश्रित शिशु निकेतन, विशुनपुरा, देवरिया	78245.00	1980-81	31-3-81
7	सर्वोदय महिला एवं बाल सदन, हमीरपुर	2835.00	1979-80	31-3-80
8	सत्य जूनियर हाई स्कूल, आगरा	31255.00	1978-79	15-2-79
9	निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, लखनऊ को हिन्द स्वीपर सेवक समाज	43943.00	1984-85	23-7-85

पी० एस० यू० पी०--1 एल० ए०--विधान सभा-9-11-87-813 (पी० डी०) ।